

गांधी दर्शन अंतिम जन

वर्ष-7, अंक: 5, संख्या-55 अक्टूबर 2024

मूल्य: ₹20



गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति संग्रहालय

समिति के दो परिसर हैं- गांधी स्मृति और गांधी दर्शन।

गांधी स्मृति, 5, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित है। इस भवन में उनके जीवन के अंतिम 144 दिनों से जुड़े दुर्लभ चित्र, जानकारियाँ और मल्टीमीडिया संग्रहालय (Museum) है। जिसमें प्रवेश निःशुल्क है।

दूसरा परिसर गांधी दर्शन राजघाट पर स्थित है। यहाँ 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश' प्रदर्शनी, डोम थियेटर और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र संग्रहालय (Museum) है।

दोनों परिसर के संग्रहालय प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 6:30 तक खुलते हैं।

(सोमवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़ कर)



गांधी दर्शन अंतिम जल

वर्ष-7, अंक: 5, संख्या-55

अक्टूबर 2024

संरक्षक

विजय गोयल

उपाध्यक्ष, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

प्रधान सम्पादक

डॉ. ज्वाला प्रसाद

सम्पादक

प्रवीण दत्त शर्मा

पंकज चौबे

परामर्श

वेदाभ्यास कुंडू

संजीत कुमार

प्रबन्ध सहयोग

शुभांगी गिरधर

आवरण

सीताराम

मूल्य : ₹ 20

वार्षिक सदस्यता : ₹ 200

दो साल : ₹ 400

तीन साल : ₹ 500



गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110002

फोन : 011-23392796

ई-मेल : antimjangsds@gmail.com

2010gsds@gmail.com

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट,
नई दिल्ली-110002, की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेखकों द्वारा उनकी रचनाओं में प्रस्तुत विचार एवं
दृष्टिकोण उनके अपने हैं, गांधी स्मृति एवं दर्शन
समिति, राजघाट, नई दिल्ली के नहीं।

समस्त मामले दिल्ली न्यायालय में ही विचाराधीन।

मुद्रक

पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092



इस अंक में

धरोहर

मोक्षदाता राम - मोहनदास करमचंद गांधी

5

भाषण

जल संरक्षण को बनाएं जन आंदोलन - श्री नरेंद्र मोदी

8

संस्मरण

भुलाये नहीं भूलती गांधी की विनम्रता - के. डी. मदान

11

विमर्श

गांधीजी का आर्थिक दर्शन - डॉ. वर्षा दास

17

‘गांधीजी की फांस में फंस कर’ - प्रो. मनोज कुमार

21

गांधीजी का स्वराज- रामराज का पर्याय

- राकेश शर्मा “निशीथ”

26

लेख

महात्मा गांधी एवं रेलगाड़ी - सौरव कुमार राय

30

शिक्षा

नई तालीम जीवन शिक्षण - डॉ. प्रभाकर पुसदकर

34

सामयिक

उधार की संस्कृति - पूजा खिल्लन

38

स्मरण

गांधीजी के जीवन की झलक दांडी कुटीर में - सुमन बाजपेयी

40

कविता

माखनलाल चतुर्वेदी की कविता

43

केशव शरण की कविताएँ

45

फोटो में गांधी

48

चित्रकारी

49

गांधी क्विज-6

50

बाल कविता

बद्री प्रसाद वर्मा अनजान

51

बाल कहानी

जुलू का जोश - संदीप पांडे “शिष्य”

52

समझदार शिबू - हरीशचंद्र पांडे

54

किताब

संवेदना और मूल्य के अंतःसूत्रों की तलाश - डॉ. अरुंधति

56

गतिविधियाँ

59



स्वच्छता को अपना स्वभाव बनाकर दें गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि

महात्मा गांधी स्वच्छता के विशेष आग्रही थे। वे सफाई के कार्य को भगवान की आराधना और यहाँ तक कि स्वतंत्रता से भी अधिक आवश्यक मानते थे। उन्होंने कहा था—“स्वतंत्रता से स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण है, जब तक आप अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते हैं, तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को साफ नहीं कर सकते”। 1917 में जब वे बिहार के चंपारण क्षेत्र में पहुँचे, तो उन्होंने नील किसानों के लिए आंदोलन की शुरुआत तो की ही, साथ ही वहाँ सफाई अभियान भी चलाया। स्वतंत्रता के साथ स्वच्छता के लिए भी उन्होंने जन आन्दोलन चलाया।

गांधीजी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जिस बड़े अभियान की शुरुआत की, वो था— ‘स्वच्छ भारत अभियान’। बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी स्वच्छता मुहिम में आम जनता को भागीदार बनाया। वहीं मोदीजी का स्वच्छ भारत अभियान भी आज एक बड़े जनांदोलन में तब्दील हो चुका है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएँ सब शामिल हैं।

पिछले दिनों यूनिसेफ ने भी स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की है। सरकार की स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की तारीफ करते हुए यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरीएटा फोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी व देशवासियों का समर्पित किया और उन्हें इसमें गर्व महसूस हुआ। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने भी स्वच्छता अभियान की प्रशंसा की थी। यह इस अभियान की वैश्विक सफलता है।

गांधीजी की जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि गांधी के विचारों को आत्मसात करें। इस गांधी जयंती पर हम अपने आसपास के क्षेत्र, अपनी कॉलोनी, मोहल्ले आदि को गंदगीमुक्त बनाएं। अपने साथियों को साथ लेकर एक टोली बनाई जा सकती है, जो सफाई अभियान में सहभागी बनें। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि यह केवल एक दिन का कर्म बनकर ना रह जाए। कम से कम सप्ताह में एक दिन तो हम स्वच्छता को समर्पित कर ही सकते हैं। गांधीजी को उनकी जयंती पर इससे बढ़कर श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है।

‘अंतिम जन’ के नए अंक में हमने गांधीजी की जयंती पर विशेष आलेख दिए हैं। जिन्हें पढ़कर गांधीजी के बारे में आपकी दृष्टि और विस्तृत होगी। अंक के बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।


विजय गोयल

अनूठा था गांधीजी के साथ रेल का रिश्ता



इस वर्ष हम महात्मा गांधी की 155 वीं जयंती मना रहे हैं। सत्य और अहिंसा पर आधारित बापू का दर्शन आज देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। पूरे विश्व में समस्या चाहे जो भी हो उसका समाधान गांधी के दर्शन में ही मौजूद है।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का यह प्रयास रहता है कि विभिन्न कार्ययोजनाओं के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों से लोगों को जोड़ा जाए। गांधीजी का जीवन बड़ा सरल था। आजादी के आंदोलन के दौरान वे देश भर में घूमते थे और परिवहन के साधन के रूप में रेल का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। उनके जीवन से सीखने वाली बात यह है कि वे अक्सर तृतीय श्रेणी में यात्रा करते थे। ऐसा करके वे आम जनता से, उनके दुख-दर्दों से सीधे कनेक्ट करते थे।

एक बार वे मद्रास से मदुरै की रेलयात्रा कर रहे थे और अपने सहयात्रियों को खादी की महत्ता के बारे में बता रहे थे। तभी कुछ यात्रियों ने उन्हें बताया कि वे लोग इतने गरीब हैं कि खादी के कपड़े पहनने का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। गांधीजी को उस समय गुलाम देश की गरीबी का अहसास हुआ। मदुरै पहुँचते ही गांधीजी ने अपने सारे वस्त्रों का त्याग कर सिर्फ लंगोटी धारण करने का निर्णय लिया। इस तरह से रेल और गांधीजी का बहुत गहरा नाता रहा।

उनके रेल के साथ अनूठे रिश्ते को दर्शाते हुए एक रेल कोच को हमने राजघाट स्थित गांधी दर्शन परिसर में स्थापित किया है। जिसमें उनकी अंतिम रेल यात्रा, जो उन्होंने कलकत्ता से शाहदरा (दिल्ली) तक की थी, को चित्रित किया है। इसका उद्घाटन पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया। यह रेल कोच प्रदर्शनी काफी रोचक व जानकारीपूर्ण बन पड़ी है। आपसे अनुरोध है कि समय निकालकर इस रेल कोच का अवलोकन अपने बच्चों सहित करें, और गांधीजी के जीवन से प्रेरणा लें।

अंतिम जन का नया अंक आपके सामने है। इसमें गांधीजी के जीवन के विभिन्न आयामों पर चर्चा मूर्धन्य लेखकों ने की है। गांधीजी के अंतिम दिनों के भाषण को ऑल इंडिया रेडियो के लिए रिकॉर्ड करने वाले केडी मदान के संस्मरण पाठकों के लिए विशेष पठनीय है। उम्मीद है कि यह अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

डॉ ज्वाला प्रसाद

आपके खत

मानवता के लिए

अहिंसा के जरिये गांधी मानवता को स्थापित करने की बात करते हैं वह समरसतापूर्ण है। मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्य के जीवन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधीजी के साथ-साथ दुनिया के तमाम नेताओं ने हिंसा को मानव जाति के लिए खतरा माना है। और इसपर खूब कहा सुना गया। पर गांधी ने व्यवहार में अपनी सेवा भावना के जरिये दुनिया को प्रेम सौहार्द का सन्देश दिया।

आज यह जरूर है कि पूरी मानवता के संकट के दौर से गुजर रही है। यह संकट गांधी विचार के जरिये टाला जा सकता है। अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले लोगों के पद चिन्ह पर चलकर मानवता को बचाया जा सकता है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि जो हमारे विरोधी हो या समर्थक उनके प्रति भी प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इस सन्दर्भ में गांधी जी कहते हैं 'जो लोग हमसे प्रेम करते हैं केवल उन्हीं से यदि हम प्रेम करें, तो वह अहिंसा नहीं है। अहिंसा तभी कही जाएगी जब हम अपने से नफरत करने वालों पर भी अपना प्यार बरसायें।' गांधी के बिना हमने चलना तो सीखा पर हम लड़खड़ा रहे हैं। संकट हमारे पैरों को जमने नहीं दे रहा। यह रास्ता कठिन जरूर मालूम होता है पर मुक्कमल है। हिंसा

कमजोर और कायर लोगों का प्रतीक है। अहिंसा तो मजबूती, प्रेम, मानवता, सौहार्द का प्रतीक है। यह अवसर है दुनिया को बचाने का, जो गांधी के रास्ते ही संभव हो सकता है।

गांधीजी धर्म को बहुत सकारात्मक रूप में देखते थे। वे मानते थे कि, 'जो रोज इस तरह गीता का मनन करेगा, उसे उसमें से रोज नया आनन्द मिलेगा, नये-नये अर्थ मिलेंगे ऐसी कोई धार्मिक उलझन नहीं है जिसे 'गीता' न सुलझा सके। अपनी अपर्याप्त श्रद्धा के कारण हम उसे ठीक तरह से पढ़ना और समझना न जानें, यह दूसरी बात है। हमारी श्रद्धा गातार बढ़ती रहे और हम जाग्रत बने, इसीलिए हम प्रतिदिन 'गीता' का पारायण करते हैं। इस तरह 'गीता' का मनन करते हुए मुझे जो अर्थ मिले है और आज भी मित्र रहे हैं, उनका सार आश्रम वासियों की मदद के लिए मैं यहाँ देता हूँ।' धर्म के ज्ञान के जरिए भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

'अंतिम जन' पत्रिका में शामिल आलेख हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं।

प्रियरंजन पाठक
रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण

दो अक्टूबर फिर आया

दो अक्टूबर फिर आया,
माँ बापू मुझे बना दो।
उनके जैसे हाव भाव भी
माँ मुझको सिखला दो।।
सदा सत्य ही बोलूँ मैं
सत्याग्रह से प्रेरित,
उनके जैसा बन पाऊँ
मन करे सदा उत्प्रेरित।
एक लकड़िया बापू जैसी

माँ मुझको दिलवा दो।
शांति-अमन कायम हो
ऐसे काम हमें कर जाना,
चलें अहिंसा के पथ पर
जग को ये राह दिखाना।
खादी धोती बापू जैसी
मुझको भी मैंगवा दो।
पात्र मिला मुझको बापू का
है सौभाग्य हमारा,

मैं बोलूंगा सब बोलेंगे
आजादी का नारा।
बापू जैसी ही ऐनक एक
मुझे ढूँढ़ कर ला दो।
दो अक्टूबर फिर आया
माँ बापू मुझे बना दो।।

वसीम अहमद नगरामी
10/42, नगराम बाजार लखन

आप भी पत्र लिखें। सर्वश्रेष्ठ पत्र को पुरस्कृत कर, उपहार दिया जाएगा।

मोक्षदाता राम

मोहनदास करमचंद गांधी

हम जिन राम के गुण गाते हैं, वे राम वाल्मीकि के राम नहीं हैं, तुलसी 'रामायण' के राम भी नहीं हैं— हालाँकि तुलसीदास की 'रामायण' मुझे अत्यन्त प्रिय है और उसे मैं अद्वितीय ग्रन्थ मानता हूँ, तथा एक बार पढ़ना शुरू करने पर कभी उकताता नहीं; तो भी हम आज तुलसीदास के राम का स्मरण करने वाले नहीं हैं और न गिरधरदास के राम का। तब फिर कालिदास और भवभूति के राम का तो कहना ही क्या? भवभूति के 'उत्तररामचरित' में बहुत सौन्दर्य है, किन्तु उसमें वे राम नहीं हैं जिनका नाम लेकर हम भवसागर तर सकें या जिनका नाम हम दुःख के अवसर पर लिया करें। मैं असह्य वेदना से पीड़ित व्यक्ति से कहता हूँ कि 'रामनाम' लो'; अगर नींद न आती हो तो भी कहता हूँ कि 'रामनाम लो'। किन्तु ये राम तो दशरथ के कुँवर या सीता के पति राम नहीं हैं। ये तो देहधारी राम ही नहीं हैं। जो हमारे हृदय में बसते हैं वे राम देहधारी हो ही नहीं सकते। अंगूठे के समान छोटा-सा तो हमारा हृदय और उसमें भी समाये हुए राम देहधारी क्यों कर हो सकते हैं, या किसी साल चैत्र की नवमी को उनका जन्म हुआ ही नहीं होगा। वे तो अजन्मा हैं। वे तो सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, संसार के स्वामी हैं। इसलिए हम जिन राम का स्मरण करना चाहते हैं और जिनका स्मरण करना चाहिए वे राम हमारी कल्पना के राम हैं, दूसरे की कल्पना के राम नहीं।

इतना याद रखें तो हमारे मन में जो अनेक प्रश्न उठा करते हैं वे न उठें। कितनी बार यह सवाल उठता है कि बालि का वध करने वाले राम सम्पूर्ण पुरुष कैसे हो सकते हैं? मेरे पास भी ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं मन ही मन हँसता हूँ। किसी ने अगर छल से या छिपी रीति से किसी को मारा अथवा दस सिरवाले किसी देहधारी रावण को भी मारा हो तो इसमें कौन-सा बड़ा काम कर लिया ? आज का जमाना तो ऐसा है कि बीस क्या, असंख्य भुजाओं का भी कोई रावण पैदा हो तो एक बालक तोप के एक ही गोले से उसके असंख्य हाथ और माथा उड़ा दे। उसे हम अलौकिक बालक नहीं मानेंगे। उसे हम बड़ा राक्षस मानेंगे। मैं मानता हूँ कि हम राक्षस के बड़े भाई के समान शक्ति पैदा करना नहीं चाहते। उसकी पूजा करने से हमें शान्ति नहीं मिलेगी। हम पूजा करें तो उस अन्तर्यामी की, जो सबके भीतर है और साथ ही सबसे जुदा है और सबका स्वामी है। उन्हीं के

आज तुलसीदास के राम का स्मरण करने वाले नहीं हैं और न गिरधरदास के राम का। तब फिर कालिदास और भवभूति के राम का तो कहना ही क्या? भवभूति के 'उत्तररामचरित' में बहुत सौन्दर्य है, किन्तु उसमें वे राम नहीं हैं जिनका नाम लेकर हम भवसागर तर सकें या जिनका नाम हम दुःख के अवसर पर लिया करें। मैं असह्य वेदना से पीड़ित व्यक्ति से कहता हूँ कि 'राम नाम' लो'।

बारे में हमने गाया कि 'निर्बलके बल राम'। इसमें तो 'द्रुपद-सुता निर्बल भई' की बात आई है। अब द्रौपदी और देहधारी राम का मेल कहाँ बैठेगा ? तो भी कवि ने गाया है कि द्रौपदी की लाज राम ने रखी। इसमें तो वही राम है जो सभी के हैं, तो भी जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता। हम उसी राम का स्मरण करते हैं। इन अन्तर्यामी राम और कृष्ण में भेद नहीं है।

रामनवमी का पर्व इसीलिए मनाया गया कि इसके निमित्त हम कुछ संयम का पालन करें, लड़के कुछ निर्दोष आनन्द लें और 'रामायण' पढ़कर कुछ सीखें। देहधारी मनुष्य परमेश्वर को दूसरे तरीके से सहज ही नहीं पहचान

सकता। उसकी कल्पना अधिक दूर नहीं दौड़ सकती और इसलिए वह मानता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। हिन्दू धर्म में उदारता का पार नहीं है। इसलिए वर्णन किया है कि परमेश्वर ने मछली के रूप में, वराह के रूप में और नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। यों मनुष्य ने देहाध्यास से ईश्वर की कल्पना देहधारी के रूप में की है और जब तब उसके अवतार लेने की कल्पना की है। कहा है कि जब धर्म का पतन हो और अधर्म फैल जाये तो ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए

अवतार लेता है। यह बात भी उसी तरह और उतनी ही हद तक सच्ची है, जितनी मैंने कही है। नहीं तो अजन्मा का अवतार ही कैसा ? यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कोई ऐतिहासिक पुरुष ईश्वर के रूप में या ईश्वर किसी ऐतिहासिक पुरुष के रूप में अवतार लेता है। ईश्वर के सभी गुण किसी मनुष्य में हों तो यह माना जाता है कि

ईश्वर ने अवतार लिया। जो-जो महापुरुष हो गये हैं, उनके गुण देखकर मनुष्यों ने उन्हें पूर्ण अथवा अंशावतार माना। और यह जानते हुए भी बाल्मीकि के या तुलसीदास के राम के निमित्त से विभिन्न उपासक अपने ही भगवान की महिमा गाते हैं। उनकी उस भावना से पूर्ण भजनों को गाने में कोई दोष नहीं है। किन्तु मैंने जो बात पहले कही है आप उसे याद रखें तो भ्रमजाल में पड़ने का कोई कारण न रहे। हमारे सामने अगर कोई शंकाएँ रखकर हमें उलझन में डालना चाहे तो उसे कहें कि हम किसी देहधारी राम की पूजा नहीं करते हैं। हम तो अपने निरंजन, निराकार राम को पूजते हैं। हम उसके पास सीधे नहीं पहुँच सकते, इसलिए जिनमें ईश्वर की मूर्तिमन्त कल्पना की गई है, उन भजनों को गाते हैं।

जब तक हम देह की दीवार के पार नहीं देख सकते, तब तक सत्य और अहिंसा के गुण हममें पूरे-पूरे प्रकट होने वाले नहीं हैं। जब सत्य के पालन का विचार करें तब देहाध्यास छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि सत्य के पालन के लिए मरना जरूरी होगा। अहिंसा की भी यही बात है। देह तो अभिमान का मूल है। देह के बारे में जिसका मोह बना हुआ है, वह अभिमान से मुक्त हो ही नहीं सकता। जब तक मेरे मन में यह विचार है कि देह मेरी है, तब तक मैं सर्वथा हिंसायुक्त हो ही नहीं सकता हूँ। जिसकी अभिलाषा ईश्वर को देखने की है, उसे देह के पार जाना पड़ेगा, अपनी देह का तिरस्कार करना पड़ेगा, मौत से भेंट करनी पड़ेगी।

जब ये दो गुण मिलें तभी हम तर सकेंगे। ब्रह्मचर्यादि का पालन कर सकेंगे। अगर उनका पालन करना चाहें तो सत्य के बिना कैसे चलेगा? सत्य का मुख तो सुवर्णमय पात्र से ढंका हुआ है। सत्य बोलने, सत्य के आचरण करने का डर क्यों हो? असत्यरूपी चमकीला ढक्कन जब तक दूर न करें तब तक सत्य की झांकी क्यों कर होगी? कोई कसूर करे तो उस पर क्रोध करने के बदले प्रेम करना क्या हमें रुचता है, हम संसार को असार कहकर गाते हैं सही, मगर क्या उसे असार समझते भी हैं?

राम तो कहते हैं कि मुझसे मिलना हो तो इस संसार से भाग जा। मगर शरीर को भगाने से भागा नहीं जाता। असारता की वृत्ति पैदा करके चौबीस घंटे काम करते हुए भी हम राम से मिल सकते हैं। यही बात 'गीता' में सिखलाई गई है। 'गीता' को मैं इसीलिए आध्यात्मिक शब्दकोष मानता हूँ। तुलसीदास ने यही बात हमें सुन्दर

काव्य के रूप में सिखलाई है।

किन्तु चाबी तो वही है जो मैंने बतलाई है यानी हमारी अपनी कल्पना के ही राम हमारे तारणहार हैं। मेरा राम मुझे तारेगा, आपको नहीं ओर आपका राम आपको तारेगा, मुझे नहीं। हम सब तुलसीदास के समान सुन्दर काव्य नहीं लिख सकते किन्तु जीवन में ईश्वर को उतारकर, उसे काव्यमय बना सकते हैं।

सर्वधर्म समभाव

हमारे व्रतों में जो व्रत सहिष्णुता यानी बरदाश्त के नाम से पहचाना जाता था, उसे यह नया नाम दिया गया है। सहिष्णुता शब्द अंग्रेजी शब्द 'टॉलरेशन' का अनुवाद है। वह मुझे पसंद नहीं था, लेकिन दूसरा नाम सूझता नहीं था। काका साहब को भी वह पसंद नहीं था। उन्होंने सर्वधर्म-समादर शब्द सुझाया। मुझे वह भी पसंद नहीं आया। दूसरे धर्मों को बरदाश्त करने में उनकी (धर्मों की) कमी मान ली जाती है। आदर में मेहरबानी का भाव आता है। अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के लिए समभाव, बराबरी का भाव सिखाती है। आदर और सहिष्णुता अहिंसा की नजर से काफी नहीं हैं। दूसरे धर्मों के लिए समभाव रखने के मूल में अपने धर्म की अपूर्णता का स्वीकार आ ही जाता है। और सत्य की आराधना, अहिंसा की कसौटी यही सिखाती है। संपूर्ण सत्य अगर हमने देखा होता, तो फिर सत्य का आग्रह किसलिए? तब तो हम परमेश्वर हो गये। क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है, जैसी हमारी भावना है। हम पूरे सत्य को पहचानते नहीं हैं इसलिए इसका आग्रह रखते हैं, इसलिए पुरुषार्थ के लिए जगह है। जिसमें हमारी अपूर्णता का स्वीकार आ जाता है। अगर हम अपूर्ण हैं तो हमारी कल्पना का धर्म भी अपूर्ण है। स्वतंत्र धर्म संपूर्ण है। ऐसा हमने देखा नहीं है, जैसे ईश्वर को देखा नहीं है। हमारा माना हुआ धर्म अपूर्ण है और उसमें हमेशा हेरफेर हुआ करते हैं, होते रहेंगे। जैसा हो तभी हम ऊपर और ऊपर उठ सकते हैं; सत्य की ओर, ईश्वर की ओर रोज-ब-रोज आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आदमी के माने हुए सब धर्मों को हम अपूर्ण मानें, तो फिर किसी को ऊँचा या नीचा मानने की बात नहीं रहती। सब धर्म सच्चे हैं, लेकिन सब अपूर्ण हैं, इसलिए उनमें दोष हो सकते हैं। समभाव होने पर भी हम उनमें (सब धर्मों में)

दोष देख सकते हैं। अपने धर्म में भी दोष देखें। उन दोषों के कारण उसको (अपने धर्म को) छोड़ न दें, लेकिन दोषों को मिटायें। अगर इस तरह समभाव रखें तो दूसरे धर्मों में से जो कुछ लेने लायक हो उसे अपने धर्म में जगह देने में हमें हिचकिचाहट नहीं होगी, इतना ही नहीं बल्कि जैसा करना हमारा धर्म हो जायेगा।

सब धर्म ईश्वर के दिये हुए हैं, लेकिन वे मनुष्य की कल्पना के हैं। और मनुष्य अनका प्रचार करता है, इसलिए वे अपूर्ण हैं। ईश्वर का दिया हुआ धर्म पहुँच के परे - अगम्य है। इन्सान उसे (अपनी) भाषा में रखता है, इसका अर्थ भी इन्सान करता है। किसका अर्थ सच्चा है? सब अपनी अपनी दृष्टि से, जब तक इस दृष्टि के मुताबिक़ बरतते हैं तब तक, सच्चे हैं। लेकिन सबका गलत होना भी नामुमकिन नहीं। इसलिए हम सब धर्मों की ओर समभाव रखें। इससे अपने धर्म के लिए उदासीनता नहीं आती, लेकिन अपने धर्म के लिए हमारा जो प्रेम है वह अंधा न होकर ज्ञानवाला (ज्ञानमय) होता है, और इसलिए वह ज्यादा सात्त्विक, निर्मल बनता है। सब धर्मों की ओर समभाव हो तभी हमारे दिव्य चक्षु खुलें। धर्माधता और दिव्य दर्शन में उत्तर-दक्षिण का अंतर है। धर्म का ज्ञान होने पर अड़चनें दूर होती हैं और समभाव पैदा होता है। यह समभाव मन में बढ़ाकर हम अपने धर्म को ज्यादा पहचानेंगे।

यहाँ धर्म-अधर्म का भेद नहीं मिलता। यहाँ तो जिन धर्मों पर मुहर लगी हुई हम जानते हैं उनकी बात है। इन सब धर्मों में मूल सिद्धान्त बुनियादी उसूल तो अंक ही हैं। इन सब में संत स्त्री-पुरुष हो गये हैं, आज भी मौजूद हैं। इसलिये धर्मों के लिए समभाव में और धर्मियों - मनुष्यों के लिए समभाव में कुछ फर्क है। तमाम मनुष्यों के लिए, दुष्ट और श्रेष्ठ के लिए, धर्मी और अधर्मी के लिए समभाव की जरूरत है, लेकिन अधर्म के लिए कभी नहीं।

तब सवाल यह उठता है कि बहुत से धर्म किसलिए? धर्म बहुत से हैं यह हम जानते हैं। आत्मा अंक है, लेकिन मनुष्य-देह अनगिनत हैं। देहों का अनगिनतपन टाले नहीं टलता। फिर भी आत्मा की एकता को हम पहचान सकते हैं। धर्म का मूल अंक है, जैसे पेड़ का; लेकिन उसके पत्ते अनगिनत हैं।

जल संरक्षण को बनाएं जन आंदोलन

आज गुजरात की धरती से जलशक्ति मंत्रालय द्वारा एक अहम अभियान का शुभारंभ हो रहा है। उसके पूर्व पिछले दिनों देश के हर कोने में जो वर्षा का तांडव हुआ, देश का शायद ही कोई इलाका होगा, जिसको इस मुसीबत से संकट को झेलना ना पड़ा हो। मैं कई वर्षों तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक साथ इतने सभी तहसीलों में इतनी तेज बारिश मैंने कभी ना सुना था, ना देखा था। लेकिन इस बार गुजरात में बहुत बड़ा संकट आया। सारी व्यवस्थाओं की ताकत नहीं थी कि प्रकृति के इस प्रकोप के सामने हम टिक पाएं। लेकिन गुजरात के लोगों का अपना एक स्वभाव है, देशवासियों का स्वभाव है, सामर्थ्य है कि संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के हर कोई, हर किसी की मदद करता है। आज भी देश के कई भाग ऐसे हैं, जो भयंकर वर्षा के कारण परेशानियों से गुजर रहे हैं।

जल-संचय, ये केवल एक पॉलिसी नहीं है। ये एक प्रयास भी है, और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है, और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियाँ जब हमारा आंकलन करेंगी, तो पानी के प्रति हमारा रवैया, ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। क्योंकि, ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न जीवन का है, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसीलिए, हमने sustainable future के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है, उनमें जल-संरक्षण पहला संकल्प है। मुझे खुशी है, आज इस दिशा में जनभागीदारी के जरिए एक और सार्थक प्रयास शुरू हो रहा है। मैं इस अवसर पर, भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय को, गुजरात सरकार को, और इस अभियान में भाग ले रहे देश के सभी लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ।

आज जब पर्यावरण और जल-संरक्षण की बात आती है, तो कई सच्चाइयों का हमेशा ध्यान रखना है। भारत में दुनिया के कुल fresh water का सिर्फ 4 प्रतिशत ही है। हमारे गुजरात के लोग समझेंगे सिर्फ 4 प्रतिशत ही है। कितनी ही विशाल नदियाँ भारत में हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। क्लाइमेट चेंज इस संकट को और गहरा रहा है।

इस सबके बावजूद, ये भारत ही है जो अपने साथ-साथ पूरे विश्व के लिए इन चुनौतियों के समाधान खोज सकता है। इसकी वजह है भारत की



श्री नरेंद्र मोदी

आज जब पर्यावरण और जल-संरक्षण की बात आती है, तो कई सच्चाइयों का हमेशा ध्यान रखना है। भारत में दुनिया के कुल fresh water का सिर्फ 4 प्रतिशत ही है। हमारे गुजरात के लोग समझेंगे सिर्फ 4 प्रतिशत ही है। कितनी ही विशाल नदियाँ भारत में हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। क्लाइमेट चेंज इस संकट को और गहरा रहा है।

पुरातन ज्ञान परंपरा। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण ये हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं हैं, ये हमारे लिए किताबी ज्ञान नहीं हैं। ये हालात के कारण हमारे हिस्से आया हुआ काम भी नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। हम उस संस्कृति के लोग हैं, जहां जल को ईश्वर का रूप कहा गया है, नदियों को देवी माना गया है। सरोवरों को, कुंडों को देवालय का दर्जा मिला है। गंगा हमारी माँ है, नर्मदा हमारी माँ है। गोदावरी और कावेरी हमारी माँ हैं। ये रिश्ता हजारों वर्षों का है। हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों को जल और जल-संरक्षण का महत्व पता था। सैकड़ों साल पुराने हमारे ग्रन्थों में कहा गया है- अद्भिः सर्वाणि भूतानि, जीवन्ति प्रभवन्ति च। तस्मात् सर्वेषु दानेषु, तयोदानं विशिष्यते॥ अर्थात्, सब प्राणी जल से ही उत्पन्न हुये हैं, जल से ही जीते हैं। इसलिए, जल-दान, दूसरों के लिए पानी बचाना, ये सबसे बड़ा दान है। यही बात सैकड़ों साल पहले रहीमदास ने भी कही थी। हम सबने पढ़ा है। रहीमदास ने कहा था- रहिमान पानी राखिए, बिन पानी सब सून! जिस राष्ट्र का चिंतन इतना दूरदर्शी और व्यापक रहा हो, जलसंकट की त्रासदी के हल खोजने के लिए उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा होना ही होगा।

आज का ये कार्यक्रम गुजरात की उस धरती पर प्रारंभ हो रहा है, जहां जन-जन तक पानी पहुंचाने और पानी बचाने की दिशा में कई सफल प्रयोग हुए हैं। दो-ढाई दशक पहले तक सौराष्ट्र के क्या हालात थे, ये हम सबको याद है, उत्तर गुजरात की क्या दशा थी हमें पता है। सरकारों में जल संचयन को लेकर जिस विजन की आवश्यकता होती है, पहले के समय में उसकी भी कमी थी। तभी मेरा संकल्प था कि मैं दुनिया को बता के रहूँगा कि जल संकट का भी समाधान हो सकता है। मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई। जहां पानी की अधिकता थी, वहाँ से पानी, जलसंकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। विपक्ष के लोग तब भी हमारा मजाक उड़ाते थे कि पानी के जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उनमें से हवा निकलेगी, हवा। लेकिन आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं। गुजरात की सफलता, गुजरात के मेरे अनुभव मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश को जल-संकट से निजात दिला सकते हैं।

जल-संरक्षण केवल नीतियों का नहीं, बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय है। जागरूक जनमानस,

जनभागीदारी और जनआंदोलन ये इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत हैं। आप याद करिए, पानी के नाम पर, नदियों के नाम पर पहले भी दशकों तक हजारों करोड़ की योजनाएँ आती रहीं। लेकिन, परिणाम इन्हीं 10 वर्षों में देखने को मिले हैं। हमारी सरकार ने whole of society और whole of government की approach के साथ काम किया है। आप 10 वर्षों की सभी बड़ी योजनाओं को देखिए। पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार silos को तोड़ा गया। हमने whole of the government के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जलशक्ति मंत्रालय बनाया। जल-जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने 'हर घर जल' इसका संकल्प लिया। पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है। जल-जीवन मिशन के जरिए देश के 75 प्रतिशत से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुँच चुका है। जल-जीवन मिशन की ये जिम्मेदारी स्थानीय जल समितियाँ संभाल रही हैं। और जैसा गुजरात में पानी समिति में महिलाओं ने कमाल किया था, वैसे ही पूरे देश में अब पानी समिति में महिलाएं शानदार काम कर रही हैं। इसमें कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी गाँव की महिलाओं की है।

आज जलशक्ति अभियान एक राष्ट्रीय उपेख बन चुका है। पारंपरिक जलस्रोतों का renovation हो, नए structures का निर्माण हो, stakeholders से लेकर सिविल सोसाइटी और पंचायतों तक, हर कोई इसमें शामिल है। जनभागीदारी के जरिए ही हमने आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में अमृत सरोवर बनाने का काम भी शुरू किया था। इसके तहत देश में जनभागीदारी

अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में उमकसे भी जीतेंगे, और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में, मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूँगा। और हाँ.. इस बार हमारा Hashtag #Cheerp Bharat है। इस Hashtag के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को cheer करना है...

से 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने। आप कल्पना कर सकते हैं देश की भावी पीढ़ी के लिए ये कितना बड़ा काम है। इसी तरह, ग्राउंड वॉटर के रीचार्ज के लिए हमने अटल भूजल योजना शुरू की। इसमें भी जल स्रोतों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी गाँव में समाज को ही दी गई है। 2021 में हमने Catch the rain कैम्पेन शुरू किया। आज शहरों से लेकर गाँवों तक, catch the rain से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। 'नमामि गंगे' योजना का भी उदाहरण हमारे सामने है। 'नमामि गंगे' करोड़ों देशवासियों के लिए एक भावनात्मक संकल्प बन गया है। हमारी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लोग रूढ़ियों को भी छोड़ रहे हैं, अप्रासंगिक रीतियों को भी बदल रहे हैं।

आप सब जानते हैं, मैंने पर्यावरण के लिए देशवासियों से 'एक पेड़ माँ के नाम' लगाने की अपील की है। जब वृक्ष लगते हैं तो ग्राउंड वॉटर लेवल तेजी से बढ़ता है। बीते कुछ सप्ताह में ही माँ के नाम पर देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। ऐसे कितने ही अभियान हैं, कितने ही संकल्प हैं, 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से आज ये जन-आंदोलन बनते जा रहे हैं।

जल-संचयन के लिए आज हमें reduce, reuse, recharge और recycle के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। यानी, पानी तब बचेगा जब हम पानी का दुरुपयोग रोकेंगे—reduce करेंगे। जब हम पानी को reuse करेंगे, जब हम जलस्रोतों को recharge करेंगे, और दूषित जल को recycle करेंगे। इसके लिए हमें नए तौर-तरीकों को अपनाना होगा। हमें इनोवेटिव होना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारी पानी की जरूरतों का 80 प्रतिशत हिस्सा, खेती के कामों में आता है। इसलिए, sustainable agriculture की दिशा में हमारी सरकार drip irrigation जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है। Per drop more crop जैसे अभियान इनसे पानी की बचत भी हो रही है, कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है। सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट्स जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। कुछ राज्य जल-संरक्षण के लिए वैकल्पिक फसलों पर किसानों को incentive भी दे रहे हैं। मेरा आग्रह है, इन प्रयासों को और गति देने के लिए सभी राज्यों को साथ आना चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए। खेतों के पास तालाब-सरोवर बनाना, रीचार्ज

वेल बनाना हमें कई नई तकनीक के साथ ऐसे पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा देना होगा।

साफ पानी की उपलब्धता, जल संरक्षण की सफलता, इससे एक बहुत बड़ी वॉटर इकोनॉमी भी जुड़ी है। जैसे जल जीवन मिशन ने लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए हैं। बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, प्लंबर्स, इलेक्ट्रिशियन्स और मैनेजर्स जैसी जॉब्स लोगों को मिली हैं। WHO का आकलन है कि हर घर पाइप से जल पहुँचने से देश के लोगों के करीब साढ़े 5 करोड़ घंटे बचेंगे। ये बचा हुआ समय विशेषकर हमारी बहनों-बेटियों का समय फिर सीधे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगेगा। वॉटर इकोनॉमी का एक पहलू, अहम पहलू हेल्थ भी है—आरोग्य। रिपोर्ट्स कहती हैं जल जीवन मिशन से सवा लाख से ज्यादा बच्चों की असमय मौत भी रोकी जा सकेगी। हम हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरिया जैसी बीमारियों से भी बचा पाएंगे यानि बीमारियों पर लोगों का जो खर्च होता था, वो भी कम हुआ है।

जनभागीदारी के इस मिशन में बहुत बड़ा योगदान हमारे उद्यम क्षेत्र का भी है। आज मैं उन इंडस्ट्रीज को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने net zero liquid discharge standards और water recycling goals को पूरा किया है। कई industries ने corporate social responsibilities के तहत जल संरक्षण के काम शुरू किए हैं। गुजरात ने जल संरक्षण के लिए CSR का इस्तेमाल करने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। सूरत, वलसाड, डांग, तापी, नवसारी मुझे बताया गया है कि इस सब जगहों पर CSR initiatives की मदद से करीब 10 हजार बोरेल रीचार्ज स्ट्रक्चर्स का काम पूरा हुआ है। अब 'जल संचय-जन भागीदारी अभियान' के माध्यम से जलशक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने साथ मिलकर 24 हजार और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने का अभियान शुरू किया है। ये अभियान अपने आप में एक ऐसा मॉडल है, जो भविष्य में अन्य राज्यों को भी ऐसा प्रयास करने की प्रेरणा देगा। मुझे आशा है, हम साथ मिलकर भारत को जल संरक्षण की दिशा में पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बनाएँगे। इसी विश्वास के साथ, मैं आप सभी को एक बार फिर इस अभियान की सफलता के लिए अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूँ।

(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का संपादित अंश)

•

भुलाये नहीं भूलती गांधी की विनम्रता

के. डी. मदान, आकाशवाणी में कार्यरत थे। बिड़ला हाउस में सितंबर 1947 से गांधीजी के अंतिम समय तक होने वाले प्रार्थना प्रवचनों को वे प्रतिदिन रिकॉर्ड करते थे, जिनका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर होता था। गांधीजी की हत्या के समय भी वे बिड़ला हाउस में ही उपस्थित थे। वर्ष 2023 में उनका निधन हो गया। पाठकों के लिए हम गांधी स्मृति में दिए उनके संस्रणात्मक भाषण के संपादित अंश प्रस्तुत कर रहे हैं।

यह वो स्थान है जहां पर बापूजी प्रार्थना सभा में अपना भाषण दिया करते थे। यहां पर एक तख्तपोश हुआ करता था जो कि अभी भी उनके कमरे में आपने देखा होगा। मैं उस पीछे वाले कोने में बैठा था। तो तीस जनवरी 1948 को मैं अपने एक्विपमेंट को भी देख रहा था एक तरफ से और दूसरी तरफ से यह देख रहा था कि बापू जी आ रहे हैं क्योंकि मुझे तैयारी करना होती थी और अपने एक्विपमेंट टेस्ट करके ताकि जब प्रार्थना में उनका व्याख्यान शुरू हो तो ठीक से रिकॉर्ड हो जाए, उस समय मुझे एक शॉट की आवाज आई मैंने सोचा कि शायद कोई पटाखा है जो कि पीछे दीवार के पीछे किसी ने छोड़ा होगा क्योंकि चंद दिन पहले करीब दस ग्यारह दिन पहले ऐसे ही एक पटाखे की आवाज आई थी जो कि बाद में पता चला कि एक क्रूड बम किसी ने फेंका था, लेकिन कुछ ही क्षणों में जब दूसरी आवाज ऐसी ही सुनाई दी तब मेरे समझ में आया कि यह पटाखा नहीं है बल्कि किसी ने गांधीजी के ऊपर कुछ हमला किया है।

प्रार्थना सभा में रोजाना करीब-करीब चार या पाँच सौ लोग आकर बैठा करते थे और कुछ लोग जो कि बाद में आते थे वो खड़े हो जाते थे। ये हर दिन का किस्सा है और कई उनमें से ऐसे थे जो कि रोजाना आया करते थे। उस दिन जो लोग खड़े हुए थे उनमें से रास्ता ढूँढ़ के वो जिनके हाथ में बंदूक थी, अपना रास्ता ढूँढ़ के गांधीजी के सामने पहुंच गया और करीब-करीब तीन या चार फुट के सामने से एकदम से उसने दूसरा शॉट मारा और उसके एक या दो सेकंड के बाद जब उन्होंने तीसरी दफे ट्रिगर को खींचा तो मैंने उसको खुद देखा। उसने खाकी कपड़े पहने हुए थे और मीडियम हाइट के थे। गांधीजी ऐसे गिरे कि जो उनका सिर था वो आभा जी के तरफ था और पैर जो थे वो मनु गांधी जी की तरफ थे और कुछ ही देर के बाद एक सज्जन जो कि काफी उम्र के थे लेकिन डीलडौल काफी उनका अच्छा था। उनका मैंने चेहरा नहीं देखा लेकिन उन्होंने अकेले ही



के. डी. मदान

उस दिन जो लोग खड़े हुए थे उनमें से रास्ता ढूँढ़ के वो जिनके हाथ में बंदूक थी, अपना रास्ता ढूँढ़ के गांधी जी के सामने पहुंच गया और करीब-करीब तीन या चार फुट के सामने से एकदम से उसने दूसरा शॉट मारा और उसके एक या दो सेकंड के बाद जब उन्होंने तीसरी दफे ट्रिगर को खींचा तो मैंने उसको खुद देखा। उसने खाकी कपड़े पहने हुए थे और मीडियम हाइट के थे।

उनको उठाया और वो ले गए।

गांधीजी को उनके कमरे की तरफ लेकर जाया गया और जितने लोग वहाँ थे सब उनके पीछे पीछे चले.. आज तक ये नजारा मुझे याद है और बार बार याद आता है। उसके बाद मैं चलता चलता वहीं पहुँचा जहाँ पे मजमा था लोगों का और सब हालांकि सबको ये एहसास था कि गांधी जी अब नहीं रहे लेकिन कोई इसको कनफर्म करने वाला उस समय तक नहीं था।

उस दिन यह बाहर वाले रास्ते से जहाँ से यह कदम के निशान हैं इसी रास्ते से आए थे और आमतौर पर यही हुआ करता था। उनको सपोर्ट चाहिए होती थी और सपोर्ट देने के लिए मनु गांधी और आभा गांधी आमतौर पर हुआ करती थी। उस दिन भी यही दोनों उनके साथ थी और उसके अलावा बहुत से लोग उनके पीछे-पीछे आ रहे थे जो कि अमूमन उनके कमरे से आया करते थे।

सबसे पहले तो मैं यह आपसे बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ (बिड़ला हाउस) पर किस लिए उपस्थित हुआ करता था। मेरी आयु उस समय चौबीस बरस की थी और मैं ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम आफिसर था।

सितंबर के महीने में ऑल इंडिया रेडियो ने यह निर्णय लिया कि गांधी जी की जो पोस्ट प्रेयर स्पीच है वह रोजाना रिकार्ड की जाए और रात के नौ बजे न्यूज हुआ करती थी। आपको याद होगा उस समय चौबीस घंटे के न्यूज चैनल्स तो कोई नहीं हुआ करते थे, चैनल्स क्या टीवी नहीं हुआ करता था और ऑल इंडिया रेडियो में भी दिन भर तो बाकी के प्रोग्राम हुआ करते थे। नौ बजे, छह बजे और सुबह आठ बजे तीन बुलेटिन हुआ करते थे न्यूज के। तो यह फैसला किया गया कि गांधी जी की जो पोस्ट प्रेयर स्पीच है वह साढ़े आठ बजे प्रसारित की जाएगी। यह तय किया गया कि इसके लिए कोई कर्मचारी हफ्ते में पहले दिन आएगा, कोई दूसरे दिन आएगा, कोई तीसरे दिन आएगा लेकिन कुछ लोगों को इसमें असुविधा थी, मुश्किल थी। तो उन लोगों ने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे, तो मैंने तब उस समय कहा कि मैं रोजाना जाने को तैयार हूँ। इस फैसले के बाद मुझे 19 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक यहाँ पर करीब-करीब रोजाना, करीब करीब इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन गांधी जी कुरुक्षेत्र रिफ्यूजी कैंप में गए थे। उस दिन प्रार्थना नहीं हुई और जनवरी में 3 दिन उनका व्रत था। तो इन चार दिनों को

छोड़कर सभी दिन मैं यहाँ पर उपस्थित था रिकॉर्डिंग के लिए। अब यह भाषण जो थे, उस समय रिकॉर्डिंग का वह जमाना बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। आजकल के जो केसेट्स होते हैं और रिकॉर्डिंग के उपकरण हैं वह तो होते नहीं थे। यहाँ से लैन्डलाइन से टेलीफोन के जरिए आवाज जाती थी स्टूडियो में, ब्रॉडकास्टिंग हाउस में जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में है।

यहाँ से जो गांधी जी बोला करते थे वह टेलीफोन के जरिए वहाँ पर जाता था। वहाँ पर रिकार्ड होता था और रिकार्ड भी उस समय बड़े पुराने किस्म का था। 16 और 18 इंच के डायमीटर की डिस्क हुआ करती थी। उसमें रिकार्ड होता था। गांधी जी करीब-करीब आधा घंटा बोलते थे और उससे पहले अन्तर धार्मिक प्रार्थना और गीता, कुरान, जैन और ईसाई, गुरु ग्रंथ साहब-यह पांच किस्म की प्रार्थना उस समय हुआ करती थी। पहले प्रार्थना होती थी और उसके बाद गांधीजी अपना व्याख्यान किया करते थे। एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन गांधी जी कहते थे कि किसी को भी प्रार्थना संबंधी या किसी मजहब की कोई आपत्ति हो, कोई असुविधा हो तो अपना हाथ खड़ा कर दे।

एक सरदार जी जो कि रोजाना आया करते थे। उनका नाम था-गुरकीमत सिंह। गुरकीमत सिंह काफी आयु के थे, वह रोजाना आते थे, रोजाना वह जब कुरान की प्रार्थना शुरू होती थी तो वह अपना हाथ उठा दिया करते थे और उसके बाद हाथ नीचे कर दिया करते थे। इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। बापू सिर्फ उसमें मुस्कुरा दिया करते थे और उसके बाद बाकी का कार्यक्रम हुआ करता था। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह समझ लीजिए कि गांधी जी में जैसे कोई आंतरिक शक्ति होती थी कि कोई भी आपत्ति नहीं होती थी। वह सरदार जी क्योंकि रोज आया करते थे तो गांधी जी उन्हें कभी-कभी प्रार्थना शुरू होने से पहले ही उनकी पीठ थपथपा दिया करते थे। अब उन सरदार जी से मेरा कोई संपर्क तो नहीं है। वह सरदार जी साहब नहीं भी रहे होंगे। उस समय भी वे ज्यादा आयु के थे।

उस जमाने में जब यह प्रेयर मीटिंग जब शुरू हुई तो उससे पहले जब स्वतंत्रता दिवस था, तो गांधीजी यहाँ नहीं थे। वह कलकत्ता में थे। कलकत्ता में बहुत दंगे हो रहे थे उन दिनों। गांधी जी जगह-जगह जाते रहे और कोशिश



करते रहे कि लोग शांत हो जाए। नहीं हुए तो उन्होंने कलकत्ते में व्रत किया। और जैसे ही व्रत आरंभ किया तो सब मजहबों के लोग हिंदू, मुस्लिम, वगैरह सब आकर उनके पास गांधीजी को (दंगे न करने का) आश्वासन देने आने लगे। सुहारावर्दी उस जमाने में वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वह भी आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया, तब गांधी जी ने व्रत तोड़ा और उसके बाद वह दिल्ली आए। जब वह दिल्ली आए तो यहां पर एक रिवर्स रीएक्शन हुआ। गांधीजी के कहने पर दूसरी जगह तो दंगे खत्म हो गए। लेकिन यहां पर (दिल्ली में) हिंदू भाईजनों के कुछ लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने यहां पर दंगा शुरू कर दिया।

गांधी जी भी जगह-जगह जाया करते थे शहर के

अंदर। यहाँ भी उनका वही प्रयास था कि शांति लाई जाए। यहां पर आकर उनको फिर व्रत रखना पड़ा। इससे पहले वह जब भी दिल्ली में आया करते थे, तो कभी तो वह मंदिर मार्ग के पास जिसे हरिजन कॉलोनी कहते हैं, वहां पर रहा करते थे और कभी-कभी यहां (बिड़ला हाउस) रहते थे। लेकिन सितंबर के महीने में जब वह दिल्ली आए तो फिर वही शुरू हो गया यहां पर हिंदुओं ने बड़े दंगे किए तो दुबारा से उनको एक या दो दिन का व्रत करना पड़ा और जैसे ही व्रत किया तो उसका बिजली जैसा प्रभाव हुआ, एकदम से शांति हो गई।

तो उसके बाद यह फैसला हुआ ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से कि इनके जो प्रार्थना प्रवचन हैं, यह रिकॉर्ड की जाए, तो मेरा यहाँ (बिड़ला हाउस) आना यह इस

तरीके से शुरू हुआ। एक दो चीजें मैं जो कि उनकी विनम्रता के बारे में है, वह एक किस्सा मैं अभी आपको बयान करूंगा—गांधी जी से पहले से कह दिया गया था कि क्योंकि यह स्पीच साढ़े आठ बजे प्रसारित होनी है तो करीब आधे घंटे के लिए वे बोलेंगे।

लेकिन वह बोलने में इतने व्यस्त हो जाते थे तो कभी कभार इकतीस मिनट भी हो जाते थे। हालांकि वह हर समय टाइम देखा करते थे। हर दूसरे, तीसरे चौथे मिनट, उनकी वह आदत मैंने देखी थी कि हर पांचवें, छठे मिनट में वे घड़ी देखा करते थे अब इसकी सिग्निफिकेन्स मेरे लिए यह थी कि जब स्पीच उनकी खत्म हो जाती थी तो उसके बाद इसको समेट के ऑल इंडिया रेडियो जाना और जब तक मैं वहां पहुंचता था, करीब सात बज जाते थे। अब उसके बाद मान लीजिए कि उनका भाषण इकतीस मिनट का है तो उसको संपादित करना पड़ता था। चूँकि न्यूज का टाइम तो नौ बजे था और न्यूज टाइम जो होता है, जैसे उनका यह भाषण भी सारे स्टेशन प्रसारित करते थे उसी तरीके से न्यूज भी सभी स्टेशन से आती थी तो यह बड़ा आवश्यक था कि 9 बजे से पहले ही इनकी प्रेयर स्पीच खत्म हो जाए। इसके माने यह होते थे कि मुझे वहां पर बैठ के उस स्पीच को और कुछ नहीं तो हफ्ते में तीन या चार बार संपादित करना होता था। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण ड्यूटी थी और खास करके गांधी जी की प्रेयर स्पीच।

सो, यह मुश्किल जो थी, यह बहुत मुझे स्ट्रैन करती थी। अभी मैं गांधीजी की विनम्रता की बात कह रहा था। तो एक दिन सुशीला नैयर जी गांधीजी की खास सहयोगी थीं। मैंने उनसे कहा कि गांधी जी 28 या 29 मिनट में भाषण खत्म कर दें तो वह संपादित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब उन्होंने यूँ सुना कि मैं सम्पादन की बात कर रहा हूँ तो वह एकदम से अत्यंत क्रोधित हुई मेरे ऊपर कि आपकी जुरत कैसे हुई कि आप गांधी जी की स्पीच को एडिट करते हैं। आपको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए।

तो जब मैंने उनसे कहा कि यह डायरेक्टर जनरल के आदेश हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि डायरेक्टर जनरल को भी नौकरी से निकाल देना चाहिए। खैर ना मैं और ना डायरेक्टर निकाले गए, लेकिन मेरी समस्या हल तो हुई नहीं। तो उसके 4 या 6 दिन के बाद एक दिन मैंने हौसला

किया कि बापू को खुद ही क्यों ना कह दिया जाए यह बात। वह तो शायद नहीं कहेंगे कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए।

तो एक दिन मैंने हौसला किया। मैंने गांधी जी से कहा कि यह भाषण 30 मिनट रखना होता है। यदि आप उनतीस मिनट में हो जाए। तो जो कहते हैं ना कि, 'ह्यूमिलिटी ऑफ द मेन हू रियली मेड हिस्ट्री' वह मुझे कहते हैं—तो इसमें क्या है? तो आप मुझे अंगुली का इशारा करिए 29 मिनट पर। यह गांधी जी ने मुझे कहा और सबसे हर्ष की बात यह है कि सुशीला नैयर यह सुन रही थी। फिर मुझे कई साल बाद एक दफा सुशीला जी से दुबारा मिलने का मौका मिला। वह बेचारी उस समय बीमार थी, तो मैं उनको मिलने गया। तो मैंने पहले सोचा कि उन्हें यह वाकया याद दिलाऊँ, लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया।

अब तारीख तो याद नहीं है पर यह अक्टूबर का किस्सा है या उसके बाद की जितनी भी स्पीचीज हैं, यह बड़ी खास चीज कहना चाहता हूँ। गांधी जी को जब मैं उंगली उठाकर बताता था कि टाइम हो गया है तो भले वह बीच वाक्य में हो, वह कहते, बस हो गया। तो जितने भी उसके बाद के व्याख्यान हैं, जितने भी स्पीचीज हैं, यह सभी के सभी 'दे ऑल वेंट विद द वर्ड' बस हो गया। यह सब भाषण आर्काइव में हैं।

यह 'बस हो गया' जो है इसका अर्थ समझ लीजिए कि मैं अपने आप को क्रेडिट देता हूँ कि 'इन ए वे आई हेव समथिंग टू डू विद दिस। दिस इस रिमार्केबल, बट आई वाज गीविंग यू दिस एज अ मेजर ऑफ द ग्रेट मेंस ह्यूमिलिटी। कहाँ तो सुशीला नैयर ने मुझे नौकरी से निकालना था और कहाँ गांधीजी ने कहा कि आप ऐसा कर दीजिए। तो उसके बाद मैं देखा करता था साढ़े अट्ठाईस मिनट होने के बाद में और वह सेंटेंस के बीच में ही कह देते की हो गया।

गांधी के पास कोई ऑफिस नहीं था,, उनका कोई ऑफिसियल स्टेटस नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन उनकी शक्ति की मैं एक मिसाल दे दूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वह कुरुक्षेत्र गए थे।

नवंबर के महीने की बात है, तो वहां पर (कुरुक्षेत्र में) उन दिनों पाला शुरू हो जाता है, रिफ्यूजी कैंप था वहां पर, बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप था। वहां गए, उन्होंने देखा कि कुछ ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है। ठंड पड़ रही है और

कंबल का इंतजाम नहीं था। उस जमाने में चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे-गोपीचंद भार्गव। आपने नाम सुना होगा।

दूसरे दिन स्पीच में गांधीजी ने कहा, पता नहीं गोपीचंद का कैसा इंतजाम है? कंबल भी नहीं है वहां पर, उतनी ठंड बढ़ रही है। बस इतना ही फिकरा था। बाद में मैंने अपने साथी से कहा कि अब गोपीचंद जी जाते रहे, देखिएगा। दूसरे दिन सुबह सभी हेडलाइन्स आप देखिएगा, किसी ने कहा कि गोपीचंद अयोग्य हैं, किसी ने कुछ कहा। जितने भी मुख्य समाचार पत्र थे उस जमाने में सभी ने यह जिक्र किया। उस दिन शाम को प्रार्थना प्रवचन में गोपीचंद जी आके सामने बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल में उनकी उपस्थिति से शायद वह बच गए। यही मैं कहना चाहता हूं कि उनका वर्ड जो था 'ऑफ देट टाइम लिटरली वाज ला फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री'।

अब वह बात नहीं रही किसी पोलिटिशियन के पास वह नहीं है। लेकिन जो गांधी जी, का इतना फिकरा जो था, वह इतनी अहमियत रखता था। यहाँ मैं दुबारा से अब तीस जनवरी पर आना चाहता हूं। तीस जनवरी को वह इसी रास्ते से उनका आना हुआ, वैसे आमतौर पर वह 5 बजकर 5 या 10 मिनट तब तक पहुंच जाते थे। हालांकि टाइम सब लोगों के लिए पांच बजे था लेकिन गांधीजी के पास इतने विजिटर रहा करते थे कि दो चार छह मिनट ऊपर हो जाते थे। मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूं जो भूल गया। यहां पर जो श्रोता हुआ करते थे, उसमें बड़े-बड़े महारथी, बड़े-बड़े ऊंचे से ऊंचे लोग यहां पर आकर उनके सामने बैठते थे- लेडी माउंटबेटन, वाइफ ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन।

कम से कम दो बार तो मुझे याद है कि वह सामने आकर बैठी थी। एक बार लॉर्ड माउंटबेटन खुद आए थे, बैठे नहीं थे। गांधीजी के साथ-साथ वे प्रार्थना स्थल तक आए, जब गांधी अपने तख्त तक पहुंचकर बैठ गए, तब वहाँ तक उन्हें छोड़कर लॉर्ड माउंटबेटन चले गए।

सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद कई बार यहां पर बैठे हुए देखे जाते थे। तो इस स्तर के महानुभाव भी यहां पर आया करते थे। गांधीजी जब आते थे तो करीब-करीब हमेशा ही उनके एक तरफ मनु गांधी रहती थी, एक तरफ आभा गांधी रहती थी। उस दिन दोनों थी। अब दोनों नहीं रहीं।

तो जो वह मैंने आपसे वहां बताया था कि तीसरी गोली के बाद वह गिर गए।

एक सज्जन जिनका डीलडौल बहुत अच्छा था और उनकी सफेद दाढ़ी, मैंने कुछ पीछे से देखा, उन्होंने गांधी जी को उठाया। उस समय जब तक उठाया तो अंधेरा हो चुका था। वहाँ इतनी भीड़ थी कि कुछ ठीक से पता नहीं चला। मेरा अपना कुछ अनुमान था कि वे डॉक्टर दीनशा मेहता थे। जिनको दादा जी भी कहते हैं, वह गांधी जी के नेचर क्योर स्पेशलिस्ट थे, उनके चेले थे, उनके पास रहा करते थे। लेकिन मेरे लिए आज भी यह रहस्य है मुझे कोई बता नहीं पाया है मैंने भी काफी कोशिश की। लकड़वाला जी से पूछा, प्यारेलाल जी से पूछा, बल्कि मैंने मनु गांधी से पूछा था कि यहां आपको याद है कि गांधीजी को किसने उठाया?

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी को याद नहीं है कि किसने गांधीजी के पार्थिव शरीर को उठाया? मेरा अपना अनुमान था कि डॉक्टर दीनशा मेहता ने उठाया। मैं डॉ मेहता से चार या पांच दिन के बाद जब मिला तो जिक्र करने पर उन्होंने कहा-नहीं मैं तो नहीं था। मैं तो उन दिनों गांधी जी के आदेश पर कराची में था। जब उन्होंने यह कहा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं सोचता था कि वही होंगे, लेकिन वह नहीं थे, कोई दूसरे सज्जन थे।

इसका आज तक मुझे पता नहीं चल रहा है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और अगर आप में से कोई इस पर प्रकाश डाल सके तो, मुझे बड़ी खुशी होगी, पता नहीं लग पाया मुझे। लेकिन मुझे याद है कि एक ही सज्जन थे अकेले ही उन्होंने गांधीजी को उठाया था और वह आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जब वह गांधीजी का शरीर लेकर चल दिए तो मेरे लिए दो चीजें थी।

किसी ने कहा कि गोपीचंद अयोग्य हैं, किसी ने कुछ कहा। जितने भी मुख्य समाचार पत्र थे उस जमाने में सभी ने यह जिक्र किया। उस दिन शाम को प्रार्थना प्रवचन में गोपीचंद जी आके सामने बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल में उनकी उपस्थिति से शायद वह बच गए। यही मैं कहना चाहता हूं कि उनका वर्ड जो था 'ऑफ देट टाइम लिटरली वाज ला फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री'।

एक तो यह है कि मुझे मेरे उपकरण संभालने थे जल्दी से और दूसरा यह है कि मुझे भी आल इंडिया रेडियो को बताना था कि यह घटना हो गई है। उस समय बड़ा पुराना सिस्टम था टेलीकम्यूनिकेशन का। वहाँ टेलीफोन तक नहीं थे। आजकल तो एक मिनट में यहां से किसी भी दुनिया के भाग में पता लग सकता है लेकिन उस जमाने में सिर्फ टेलीफोन लाइन थी और वह भी सिर्फ कंट्रोल रूम जो होता है उससे कनेक्टेड किसी और से नहीं। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टर जनरल को बताना चाहता या डायरेक्टर न्यूज को, तो कोई तरीका नहीं था। सिवाय यह कहने के कि भाई उनको बुला दीजिए।

फिर भी दो चार मिनट मुझे उपकरण संभालने में लग गए। मैंने देखा कि किसी ने वहां पर एक छोटी सी कैंडल जहां पर गांधी जी गिरे थे, वह जलाकर रख दी। वह मैंने देखा 'आई मस्ट से आई वाज डीपली टर्च्ड'।

यह एक ऐसी छोटी सी चीज है मगर इतना मुझे उसने प्रभावित किया कि छोटी इतनी सी मोमबत्ती वहां पर फिलकर कर रही थी यहां पर। अब वापस चलते हैं। गांधीजी का पार्थिव शरीर जहां पहुंचा, तब तक मैं भी पहुंच गया था। मैंने किसी तरीके से घटना के बारे में सूचना कर दी थी। मैं यहां पर बताना चाहता हूँ कि सबको अंदेशा था की अब गांधी जी रहे नहीं, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, कोई कहना भी नहीं चाहता था। शायद यही कारण रहा कि उस दिन बीबीसी लंदन ने गांधी जी के निधन की पहले घोषणा की।

मैं बताना चाहता हूँ कि उस हिस्से में जहां गांधी जी का पार्थिव शरीर था, बाहर लोगों का जमघट हो गया था। यहाँ एक साइड में दरवाजा है, छोटा सा। करीब 05:58 के करीब जवाहरलाल जी उस दरवाजे से निकले उन्होंने स्वयं घोषणा कि-‘गांधी जी नहीं रहे’। ऑल इंडिया रेडियो ने घोषणा कि-‘गांधीजी की हत्या हो गई’। गांधीजी का पार्थिव शरीर रखने के कुछ मिनट के बाद माउंटबेटन स्वयं पहुँचे, लगभग तभी जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद और भी बड़े-बड़े महारथी आते रहे। उसके बाद कुछ देर के बाद मेन गेट, पर नेहरू जी आए तो उन्होंने जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, वह उन्होंने कही, जो थीं- ‘हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या बताऊँ और कैसे कहूँ कि प्रिय नेता बापू, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, राष्ट्रपिता नहीं रहे। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि देश के लाखों-करोड़ों

लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और किसी भी सलाह से आघात को कम करना कठिन है जो मैं या कोई और आपको दे सकता है।’

नेहरू जी का यह कथन उनके मुँह से अनायास ही निकला था। कोई उनके पास नहीं था। इसे ऑल इंडिया रेडियो ने लाइव प्रसारित किया था। यह कहकर नेहरू जी ने रोना शुरू कर दिया। एक बच्चे की तरह। और जब वह रोए तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग वहां पर एकत्रित थे सभी रो रहे थे। उन्होंने अपने आसुओं को पोंछने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने पुनः कहा कि ‘रोशनी चली गई है, और फिर भी मैं गलत था। क्योंकि इस देश में चमकने वाली रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं थी। जिस रोशनी ने इतने सालों तक इस देश को रोशन किया है, वह इस देश को कई और सालों तक रोशन करेगी, और एक हजार साल बाद, वह रोशनी इस देश में दिखाई देगी और दुनिया उसे देखेगी और वह असंख्य दिलों को सांत्वना देगी। क्योंकि वह रोशनी तत्काल अतीत से कहीं ज्यादा कुछ दर्शाती थी, वह जीवित, शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करती थी, हमें सही रास्ते की याद दिलाती थी, हमें गलतियों से दूर खींचती थी, इस प्राचीन देश को आजादी की ओर ले जाती थी।

यहाँ मैं पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल उनकी बिना किसी पूर्व तैयारी का भाषण था और मैं इसे ‘पोइट्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर’ समझता हूँ। उनके यह शब्द ऑल इंडिया रेडियो ने लाइव प्रसारित किए थे। जिसे बीबीसी ने करीब आधा घंटा बाद दोबारा रिपीट किया। दूसरे दिन सुबह लॉर्ड माउण्टबेटन ने गांधी जी के बारे में कहा-महात्मा गांधी विल गो डाउन इन हिस्ट्री ओन ए पार विद बुद्ध एण्ड जीसस क्राइस्ट। यहाँ पत्थर पर एल्बर्ट आइंस्टीन का लिखा हुआ ट्रिब्यूट तो आप जानते ही होंगे। जो कि प्रसिद्ध है। लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ-‘आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता-फिरता था’।

अंत में मैं एक चीज कहूँगा कि हालांकि गांधी जी कोई राजप्रमुख नहीं थे। कोई उनकी आधिकारिक स्थिति नहीं थी। लेकिन पहली बार सिक्युरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो कि विश्व युद्ध के बाद बना था, उसने पहली बार अपना कार्य स्थगित कर दिया था। पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने अपना झण्डा आधा झुकाया था।

गांधीजी का आर्थिक दर्शन

महात्मा गांधी जब केवल एम. के. गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते थे तब एक जहाज से लन्दन से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे। यह वर्ष 1909 की बात है। जहाज में उन्होंने गुजराती में एक पुस्तक लिख डाली थी जिसका नाम है 'हिन्द स्वराज'। 'लिख डाली' इसलिए कहा कि उसकी प्रस्तावना में उन्होंने कहा है कि 'जब मुझसे रहा नहीं गया तभी मैंने यह लिखा है....' लन्दन में कई क्रांतिकारी स्वराज-प्रेमी युवकों से उन्होंने बातचीत की थी। उसी को 'हिन्द स्वराज' में एक काल्पनिक संवाद के रूप में लिखा गया है। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने एक और बात कही है, 'जो विचार यहाँ रखे गए हैं, वे मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वे मेरे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद रखता हूँ ; वे मेरी आत्मा में गढ़े-जड़े हुए जैसे हैं। वे मेरे नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो, सो बात नहीं। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल में भीतर ही भीतर मैं जो महसूस करता था, उसका इन किताबों ने समर्थन किया।'।

गांधीजी स्वयं बताते हैं कि करीब 80 पृष्ठों की यह पुस्तक 'द्वेषधर्म की जगह प्रेमधर्म सिखाती है; हिंसा की जगह आत्म-बलिदान को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है।'।

तो इस पुस्तक में ऐसा क्या है? इसमें भारत के भविष्य की गांधीजी द्वारा की गई परिकल्पना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर उनके विचार हैं। इन तीनों के बारे में बात करेंगे तो पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी, इसलिए केवल आर्थिक दर्शन के बारे में उनके विचार प्रस्तुत कर रही हूँ जो 'हिन्द स्वराज' एवं उनके अन्य लेखन तथा वक्तव्यों में पाए जाते हैं।

धन कमाने के कई जरिए होते हैं, लेकिन 'हिन्द स्वराज' में गांधीजी ने साधन और साध्य की जो बात कही है वह सनातन सत्य है। आजकल पैसे के पीछे लोग अंधी दौड़ लगाते हैं। उनके लिए गांधीजी



डॉ. वर्षा दास

धन कमाने के कई जरिए होते हैं, लेकिन 'हिन्द स्वराज' में गांधीजी ने साधन और साध्य की जो बात कही है वह सनातन सत्य है। आजकल पैसे के पीछे लोग अंधी दौड़ लगाते हैं। उनके लिए गांधीजी की इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं कि धतूरे का पौधा लगाकर आप मोगरे के फूल की इच्छा नहीं कर सकते हैं। साधन बीज है और साध्य हासिल करने की चीज है।

की इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं कि धतूरे का पौधा लगाकर आप मोगरे के फूल की इच्छा नहीं कर सकते हैं। साधन बीज है और साध्य हासिल करने की चीज है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने घड़ी का उदाहरण दिया है। “मुझे अगर आपसे आपकी घड़ी छीन लेनी हो, तो बेशक आपके साथ मुझे मार-पीट करनी होगी। लेकिन अगर मुझे आपकी घड़ी खरीदनी हो, तो आपको दाम देने होंगे। अगर मुझे बख्शिशा के तौर पर आपकी घड़ी लेनी

यानी इस जगत में जो कुछ भी है, वह सब ईश्वर का बसाया हुआ है। इसलिए तुम त्याग करके यथाप्राप्त भोग करो। किसी के धन की वासना न करो। राजा और प्रजा, धनी और गरीब, मालिक और मजदूर सब बराबर हैं। समाजवाद यानी अद्वैतवाद। उसमें द्वैत या भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है। बेरोजगारी के प्रश्न पर गांधीजी कहते हैं कि जब तक एक भी सशक्त आदमी ऐसा हो जिसे काम न मिलता हो या भोजन न मिलता हो, तब तक हमें आराम करने या भरपेट भोजन करने में शर्म महसूस होनी चाहिए।

होगी, तो मुझे आपसे विनती करनी होगी। घड़ी पाने के लिए मैं जो साधन काम में लूंगा, उसके अनुसार वह चोरी का माल, मेरा माल या बख्शिशा की चीज होगी। तीन साधनों के तीन अलग परिणाम आएंगे।”

गांधीजी के लिए ‘हिन्द स्वराज्य’ का अर्थ है सब लोगों का राज्य, न्याय का राज्य। ‘यंग इंडिया’ पत्रिका के 5.3.39 के अंक में उन्होंने लिखा है कि जितना किसी राजा के लिए होगा उतना ही किसान के लिए, जितना किसी धनवान

जमींदार के लिए होगा उतना ही भूमिहीन खेतिहर के लिए, जितना हिन्दुओं के लिए होगा उतना ही मुसलमानों के लिए, जितना जैन, यहूदी और सिक्ख के लिए होगा उतना ही पारसियों और ईसाइयों के लिए। यानी कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं।

उसी वर्ष के ‘यंग इंडिया’ के 26 मार्च के अंक में वे गरीबों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं, ‘मेरे सपने का

स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही तुम्हें भी सुलभ होनी चाहिए; इसमें फर्क के लिए स्थान नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं की हमारे पास उनके जैसे महल होने चाहिए। सुखी जीवन के लिए महलों की कोई आवश्यकता नहीं। हमें महलों में रख दिया जाए तो हम घबड़ा जाएं। लेकिन तुम्हें जीवन की वे सामान्य सुविधाएँ अवश्य मिलनी चाहिए, जिनका उपभोग अमीर आदमी करता है।’

समाजवाद और साम्यवाद के बारे में बात करते समय गांधीजी ने ईशोपनिषद् के पहले श्लोक का उदाहरण दिया था।

“ईशावास्यमिदम् इदं सर्वं, यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनं।”

यानी इस जगत में जो कुछ भी है, वह सब ईश्वर का बसाया हुआ है। इसलिए तुम त्याग करके यथाप्राप्त भोग करो। किसी के धन की वासना न करो। राजा और प्रजा, धनी और गरीब, मालिक और मजदूर सब बराबर हैं। समाजवाद यानी अद्वैतवाद। उसमें द्वैत या भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है।

बेरोजगारी के प्रश्न पर गांधीजी कहते हैं कि जब तक एक भी सशक्त आदमी ऐसा हो जिसे काम न मिलता हो या भोजन न मिलता हो, तब तक हमें आराम करने या भरपेट भोजन करने में शर्म महसूस होनी चाहिए। ‘मंगल-प्रभात’ में उन्होंने कहा है कि सही सुधार, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि सोच-समझकर और अपनी इच्छा से उसे कम करना है। ज्यों-ज्यों हम परिग्रह घटाते जाते हैं त्यों-त्यों सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवा की शक्ति बढ़ती जाती है।....सुनहला नियम तो यह है कि जो चीज लाखों लोगों को मिल नहीं सकती उसे लेने से हम भी दृढ़तापूर्वक इनकार कर दें।

‘हरिजन’ के 9 अक्टूबर 1937 के अंक में गांधीजी ने लिखा है, जिस तरह सच्चे नीतिधर्म में और अच्छे अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं होता, उसी तरह सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी नीतिधर्म के ऊँचे से ऊँचे आदर्श का

विरोधी नहीं होता। जो अर्थशास्त्र धन की पूजा करना सिखाता है और बलवानों को निर्बलों का शोषण करके धन का संग्रह करने की सुविधा देता है, उसे शास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता।

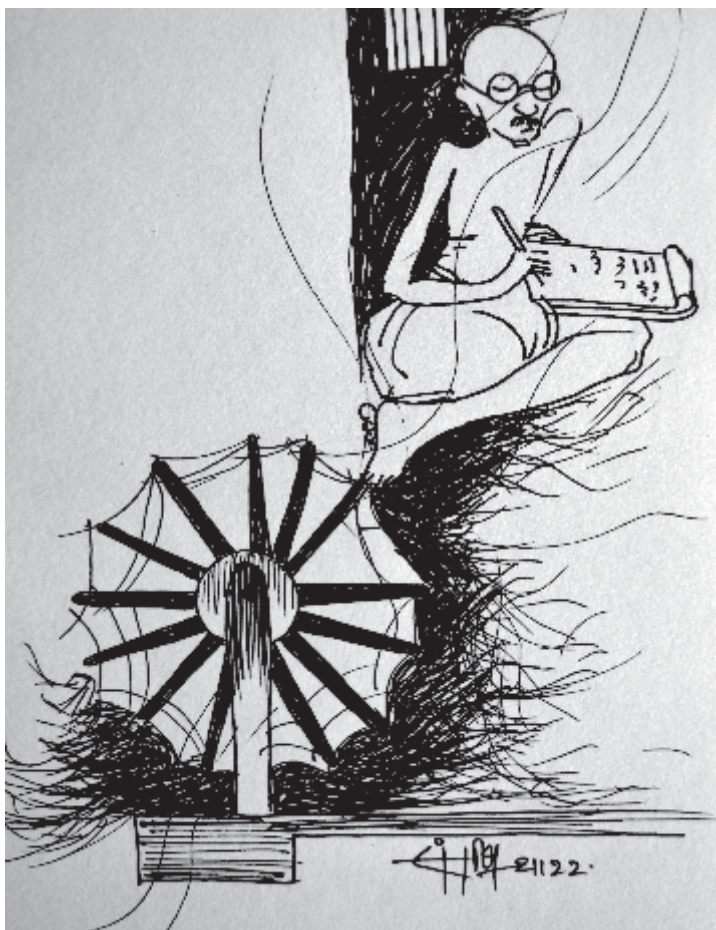
गांधीजी के बताए हुए रचनात्मक कार्यक्रम जीवन जीने की राह दिखाते हैं। उसी में उन्होंने बताया है कि आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है, पूंजी और मजदूरी के बीच के झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। इसका अर्थ यह होता है कि एक ओर से जिन मुट्ठीभर पैसेवाले लोगों के हाथ में राष्ट्र की संपत्ति का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है, उनकी संपत्ति को कम करना और दूसरी ओर से जो करोड़ों लोग अधपेट खाते हैं और नंगे रहते हैं उनकी संपत्ति में वृद्धि करना। जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे रहने वालों के बीच बेइंतहा अंतर बना रहेगा, तब तक अहिंसा की बुनियाद पर चलने वाली राज्य-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती।

गांधीजी के आर्थिक दर्शन का संक्षिप्ततम विवरण इन दो शब्दों में समाहित है: 'सर्वोदय और अंत्योदय'। यानी सभी का कल्याण, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी कल्याण।

गांधीजी के निजी सचिव नारायणभाई देसाई ने 'सबके गांधी' शीर्षक के अंतर्गत गांधी विचार और दर्शन के बारे में छोटी-छोटी बारह पुस्तिकाएँ लिखी हैं। इनका हिन्दी अनुवाद रामनरेश जी सोनी ने किया है और जयपुर

स्थित राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति ने इसका प्रकाशन किया है। इस संपुट में एक पुस्तिका है 'गांधीजी की तीन मुख्य देन' और वह देन हैं-सत्याग्रह, एकादश व्रत एवं रचनात्मक कार्यक्रम। ये तीनों मौलिक गांधीदर्शन की बुनियाद हैं। ग्यारह व्रतों में एक है परिश्रम और दूसरा स्वदेशी। ये दोनों मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कल्याण से जुड़े हैं। रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची में है खादी और अन्य ग्रामोद्योग।

खादी यानी वह कपड़ा जो चरखे या तकली से काते



हुए सूत को हाथ करघे पर बुनकर बनाया गया हो। गांधीजी के शब्दों में “खादी का मतलब है देश के सभी लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का आरंभ।” खादी - वृत्ति का अर्थ है जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और उनके बंटवारे का विकेन्द्रीकरण। इसका मतलब है कि हरेक गाँव को अपनी जरूरत की सब चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिए और शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ अधिक उत्पत्ति करनी चाहिए।

वर्ष 1940 के अप्रैल की 13 तारीख के 'हरिजन' के अंक में गांधीजी ने लिखा था, “चरखा मुझे जन-साधारण की आशाओं का प्रतीक मालूम होता है।.... चरखा देहात की खेती की पूर्ति करता था और उसे गौरव प्रदान करता था। वह विधवाओं का मित्र और सहारा था। वह देहातियों को आलस्य से बचाता था, क्योंकि चरखे में पहले और

पीछे के सब उद्योग-लोढ़ाई, पिंजाई, ताना करना, मांड लगाना, रंगाई और बुनाई आ जाते थे। और इनसे गाँव के बढई और लुहार काम में लगे रहते थे। चरखे से सात लाख गाँव आत्म-निर्भर रहते थे। चरखे के चले जाने पर तेलघानी आदि दूसरे ग्रामोद्योग भी खतम हो गए। इन धंधों की जगह किसी और धंधे ने नहीं ली। इसलिए गाँवों के विविध धंधे, उनकी उत्पादक प्रतिभा और उनसे होने वाली थोड़ी आमदनी, सबका सफाया हो गया।”

सन 1940 में 13,451 से भी अधिक गाँवों में फैले हुए 2,75,146 देहातियों को कताई, पिंजाई, बुनाई वगैरह

मिलकर कुल

34,85,609 रुपये बतौर

मजदूरी के मिले थे। इनमें

19,645 हरिजन और

57,378 मुसलमान थे,

और कातनेवालों में ज्यादा

तादाद औरतों की थी। ये

सारे आंकड़े गांधीजी ने

स्वयं रचनात्मक कार्यक्रम

के अंतर्गत खादी के बारे

में लिखे हैं।

स्वदेशी की भावना

को समझाते हुए गांधीजी

कहते हैं कि यह वह

भावना है जो हमें दूर का

छोड़कर अपने आसपास

के प्रदेश का उपयोग और

सेवा करना सिखाती है। ‘मंगल-प्रभात’ में गांधीजी ने स्वदेशी को बड़े सरल शब्दों में समझाया है: “खादी सामाजिक स्वदेशी की प्रथम सीढ़ी है, वह स्वदेशी-धर्म की आखिरी हद नहीं है।..... स्वदेशी-व्रत का पालन करने वाला हमेशा अपने आसपास निरीक्षण करेगा और जहाँ-जहाँ पड़ोसियों की सेवा की जा सके, यानी जहाँ-जहाँ उनके हाथ का तैयार किया हुआ जरूरत का माल होगा, वहाँ दूसरा छोड़कर वह लेगा। फिर भले ही स्वदेशी चीज पहले-पहल महँगी और कम दरजे की हो।

उसे सुधारने की कोशिश करेगा। स्वदेशी खराब है इसलिए कायर बनकर वह परदेशी का इस्तेमाल करने नहीं लग जाएगा।”

खादी के काम को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को क्या-क्या करना चाहिए? खादी के उत्पादन में शामिल काम हैं-कपास बोना, कपास चुनना, उसे झाड़-झटक कर साफ करना और ओटना, रई पींजना, पूनी बनाना, सूत कातना, सूत को मांड लगाना, सूत रंगना, उसका ताना भरना और बाना तैयार करना, सूत बुनना और कपड़ा धोना। इनमें से हरेक काम गाँवों में अच्छी तरह हो सकता है और उससे कुछ कमाई होती है।

गांधीजी के समय में भारत में सात लाख गाँव थे। ग्रामोद्योग के बारे में गांधीजी कहते हैं कि हाथ से पीसना, हाथ से कूटना और कछोरना, साबुन बनाना, कागज बनाना, चमड़ा कमाना, तेल पेरना और इस तरह के सामाजिक जीवन के लिए जरूरी और महत्व के अन्य व्यवसायों के बगैर गाँवों की आर्थिक रचना सम्पूर्ण नहीं हो सकती। गाँव स्वयंपूर्ण घटक नहीं बन सकते। भारत का प्रत्येक व्यक्ति यदि गाँवों में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेगा तो उसकी माँग बढ़ेगी। ग्रामोद्योग का विकास होगा। लोग शहर की ओर नहीं दौड़ेंगे।

गांधीजी ने ये सारी बातें उनके समय के ग्रामवासियों के सन्दर्भ में कही थी। आज के प्रायः सारे गाँव बदल गए हैं। आमदनी के जरिये भी बदल चुके हैं। तथापि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था यदि गांधीजी के आर्थिक दर्शन की बुनियाद पर गढ़ी जाती तो गरीब और अमीर के बीच आज जो बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है वह नहीं होता।

(लेखिका राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की निदेशक, गांधी शिक्षण प्रतिष्ठान, वाराणसी की ट्रस्टी, गांधी स्मारक निधि की कार्यकारिणी सदस्य तथा अनेक शैक्षिक संस्थाओं की संस्थापक व आजीवन सदस्य भी रही हैं।)

सम्पर्क :

2176, पार्क व्यू अपार्टमेंट बी-2, वंसत कुंज, नई दिल्ली-110070

‘गांधीजी की फांस में फंस कर’

आत्मकथा की परम्परा-भारत में सातवीं-आठवीं शताब्दी तक ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा थी। भक्तिकाल में विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा के काव्य में उनके जीवन की झांकी का दिग्दर्शन होता है। इसे हरिवंशराय बच्चन ‘आत्मकथक’ की संज्ञा देते हैं। आर्यों का मानना था कि गुणों या अवगुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुणों पर स्वाभाविक ही लोग संदेह करेंगे और अवगुणों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास। हालाँकि 16 वीं शताब्दी के अन्त और 17 वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजे-महाराजों की शेखी में भी जीवनी लिखी गई। इसमें लेखक अपनी दृष्टि से संसार को देखता है वह चीज बताना नहीं चाहता जो संसार को मालूम नहीं है। ‘बाबरनामा’, ‘तुजुके-जहाँगीरी’, ‘जिक्रेमीर’ ऐसी ही जीवनी में से हैं।

18वीं शताब्दी में विदेशी लेखकों में रूसो की ‘कनफेशंस’ (आत्मस्वीकृति), गिवन की ‘मेमवायर्स’ (संस्मरण) और बेंजामिन फ्रेंकलिन की ‘ऑटोबायोग्राफी’ काफी प्रसिद्ध हुई। गांधीजी शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को खुली किताब की तरह रख दिया। हरिवंशराय बच्चन कहते हैं कि गांधीजी की आत्मकथा ‘मूल’ है जबकि राजेन्द्रबाबू की आत्मकथा ‘भाष्य’। गांधीजी की आत्मकथा ‘सत्य के प्रयोग’ 1920 में, नेहरू जी की आत्मकथा 1936 में तथा राजेन्द्र बाबू की आत्मकथा अगस्त 1946 में समाप्त हुई। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में गांधी जी को 116 बार याद किया है। आचार्य नरेन्द्र देव ने राजेन्द्र बाबू की आत्मकथा के बारे में कहा है कि इसमें देश का इतिहास सजीव और प्रामाणिक रूप से पढ़ने को मिलता है। कई बार राजेन्द्र बाबू ने दोहराया भी है कि “घर-परिवार से उनका सम्बन्ध बहुत कम रहा है विशेषकर राजनीति में आने पर, गांधीजी की फांस में फंस जाने पर, कांग्रेस के कार्यों में वक्त जाने पर।” इस प्रकार राजेन्द्र बाबू ने अपने संस्मरण लिखे। गांधीजी की फांस में फंस कर हजारों ने इतिहास बनाया और महानता अर्जित की। दुनिया में सामाजिक अहिंसा का नया समाजशास्त्र गांधीजी ने रचा और इसे विज्ञान का आधार दिया। गांधी व्यक्ति नहीं विचार बन गए। आज भी स्थायी विकास, परिवर्तन व विकल्प के लिए गांधी विचार जीवन मरण का प्रश्न बन गया है।

भाई जयराम दास जी ने गांधीजी से सब काम छोड़कर उनसे अपनी आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया था। स्वामी आनन्द ने भी उनसे



प्रो. मनोज कुमार

भाई जयराम दास जी ने गांधीजी से सब काम छोड़कर उनसे अपनी आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया था। स्वामी आनन्द ने भी उनसे बार-बार इसकी मांग की थी। मूल रूप में यह आत्मकथा गुजराती में लिखी गई। इसमें जन्म(1869) से 1920 तक की घटना दी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव भाई देसाई ने किया, जो 1927 में प्रकाशित हुआ। वर्तमान में आत्मकथा 12 भाषाओं में उपलब्ध है।

बार-बार इसकी मांग की थी। मूल रूप में यह आत्मकथा गुजराती में लिखी गई। इसमें जन्म (1869) से 1920 तक की घटना दी गई है। इसे 'सत्य के मेरे प्रयोग' (My Experiment with Truth), आत्मकथा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव भाई देसाई ने किया, जो 1927 में प्रकाशित हुआ। वर्तमान में आत्मकथा 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अंतिम अध्याय में गांधीजी ने आगे के प्रकरणों को नहीं लिख पाने का कारण बताया है - "इसके बाद का मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि शायद ही कोई चीज ऐसी हो, जिसे जनता न जानती हो।" वे सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन के भेद को मिटा देना चाहते थे। उनका मानना था कि व्यक्तिगत जीवन के गंदगी के छोटे सार्वजनिक जीवन पर पड़ता है। (अमृतलाल वि. ठक्कर को पत्र में वा. खण्ड 63, पृ- 314) दुनिया में उनके लिए एक भी ऐसी बात नहीं है जिसे वे निजी बनाकर रखें। उनका संपूर्ण निजी जीवन सार्वजनिक हो गया था। वे कहते हैं कि उनका प्रयोग आध्यात्मिक है। इन प्रयोगों का आधार बहुत कुछ आत्म-निरीक्षण है। वे यथा पिण्डे तथा ब्रह्मांडे, के अनुसार प्रयोग कर रहे थे। उनकी मान्यता थी कि जो बात उनके लिए संभव है वह दूसरों के विषय में भी संभव होगी। (सं. गां. वा. खण्ड 27, पृ. 111)

आगे वे लिखते हैं कि "मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेस के द्वारा हुए हैं।" "फिर अभी चलने वाले प्रयोगों के विषय में मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं गिने जा सकते। अतः मेरी कलम ही अब आगे बढ़ने से इनकार करती है।" आत्मकथा का हिन्दी अनुवाद महावीर प्रसाद पोद्दार और तमिल अनुवाद आर. वेंकटराजुलु ने किया है। अपनी व्यस्तता के बावजूद 'सत्य के प्रयोग' अथवा 'आत्मकथा' गांधीजी ने लिखी। इसके पूर्व बापू दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिख चुके थे। एक साथी ने उनसे यह भी कहा कि यह पश्चिम की प्रथा है। लेकिन गांधी कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा कहाँ लिखनी है। उन्हें तो "आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किये हैं, उनकी कथा लिखनी है।" लेकिन वे कहते हैं कि इन प्रयोगों के द्वारा मुझे "महात्मा का जो पद मिला है उसकी कीमत भी कम ही है।" इसने मुझे दुःख ही दिया है। वे कहते हैं कि "मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं, जब इस विशेषण के कारण मैं फूल गया हूँ।" सच है कि लाखों-लाख जनता उन्हें महात्मा के रूप में पूजती थी। इनकी कसमें तो सभ्य जगत खूब खाता है पर उन पर

आचरण वह रत्ती भर भी नहीं करता। ऐसी कथा वे तटस्थ भाव से, निरभिमान रहकर लिखना चाहते थे ताकि उसमें से दूसरे प्रयोग करने वालों को रास्ता मिल सकें। वे इसमें सम्पूर्णता का दावा नहीं करते हैं। उनके जीवन के अनुभव से निकले हुए परिणाम सबके लिए अन्तिम ही हैं, वे सच हैं, अथवा वे ही सच हैं, ऐसा दावा वे कभी करना नहीं चाहते थे। वे कहते हैं कि "मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है, मैं कितना भला हूँ इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है।" वे कहने योग्य एक भी बात नहीं छुपायेंगे ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। मैं स्वयं अपने को आदर्शवादी मानता हूँ और व्यवहार कुशल भी। लेकिन मैं नहीं समझता कि उस नियम का पालन तभी हुआ माना जा सकता है जब वह ज्ञानपूर्वक किया जाये। इसलिए मैं श्रद्धालु और अश्रद्धालु सबके सम्मुख इस नियम को ठीक वैद्य के समान प्रस्तुत करता हूँ। उसके महत्व को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है-इसे सिद्ध करने के निमित्त मैं अपने से विपरीत विचार रखने वाले को अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। (नवजीवन, 15 अगस्त, 1920)

गांधीजी के जीवन पर आधारित 'बापू कथा' हरिभाऊ उपाध्याय ने विनोबाजी की इच्छा से 15 जुलाई 1969 से 15 अगस्त 1969 के बीच लिखी। गांधीजी की कलम जहाँ रूकी थी वहाँ से गांधीजी के उत्तरार्द्ध को बापू कथा में रखा है। इसमें 1920 से लेकर गांधी शहादत तक की घटना एवं संस्मरणों का उल्लेख है। गांधीजी के जीवन पर लिखी गई पुस्तकों में अमरीकी पत्रकार लुई फिशर की 'द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी' सी. एफ. एन्ड्रयूज की 'Mahatma Gandhi & Work' मनु गांधी की 'बापू मेरी माँ', बी. आर. नन्दा की 'ए- बायोग्राफी', विसेन्ट शीन की 'महात्मा गांधी ए ग्रेट लाइफ इन ब्रीफ', डी. जी. तेन्दुलकर की 'महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी की जीवनी' (8 खण्ड), आदि के अलावा 'महात्मा गांधी- मेरे पितामह' सुमित्रा गांधी कुलकर्णी और 'अकाल पुरुष गांधी', जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है। रोमां रोला द्वारा महात्मा गांधी की जीवनी अंग्रेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं में उपलब्ध है। इन्होंने अपनी फ्रेंच डायरी "ल इंदे" में भी गांधीजी पर काफी कुछ लिखा है। इसका हिन्दी में प्रफुल्लचन्द्र ओझा 'मुक्त' द्वारा अनुवाद किया गया। लुई फिशर रचित 'द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी' का हिन्दी अनुवाद 'गांधी की कहानी' नाम से चंद्रगुप्त वाष्णीय ने किया और यह सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित हुआ।

गांधीजी पर काफी लोगों ने काफी कुछ लिखा है, फिर भी कुछ बच जाता है? उनका जीवन तो खुली किताब थी। उनकी सारी चीजें सब की थी। गांधीजी सार्वजनिक इतिहास है। आज उन्हें जानने का दावा करना सूर्य को दीपक दिखाना होगा, फिर भी गांधीजी के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा कभी किसी की खत्म नहीं होगी। “उनके नाम के साथ जुड़ी हर बात सिक्के की तरह हाथों – हाथ चलकर भी कभी बासी और जूठी नहीं होती। इस तरह उखाड़े होने पर भी गांधीजी एक रहस्य हैं, जिसे दुनिया कभी जान न पायेगी। रोमां रोला लिखते हैं कि महात्मा जिन्होंने विश्व सत्ता के साथ अपने को एकाकार कर दिया है।” इसी कारण द. अफ्रीका में पियर्सन को 1913 में इन्हें देखते ही असीसी के सन्त फ्रान्सिस की याद आ गयी। गांधी एक उच्चकोटि के राष्ट्रीय नेता पैगाम्बर और शिक्षक थे। उन्होंने समाज के पुनर्निर्माण और मनुष्य के उत्थान के लिए कुछ मौलिक विचारों पर बल दिया। इस रूप में उनको नैतिक और राजनीतिक विचारक माना जाता है। (डॉ. वी. पी. वर्मा के शब्दों में) गांधी नैतिकता के पुजारी, युग पुरुष एवं आध्यात्मिक संत कहे जा सकते हैं।

गांधी की भांति अपने जीवन-काल में अखिल मानवता को इतना अधिक स्पंदित और आंदोलित करने वाला शायद कोई दूसरा हुआ ही नहीं इसी कारण जुलाई 1944 में आइंस्टीन ने लिखा था कि “भावी पीढ़ियों को विश्वास ही न होगा कि इस धरती पर हाड़-मांस का कोई गांधी कभी जन्मा भी था,” गांधीजी कोई सिद्धांतशास्त्री नहीं थे, और न सिद्धांतों के अंधभक्त। उनके सिद्धांत उनकी निजी आवश्यकताओं और वातावरण की उपज थी। बी. आर. नन्दा ने सच ही लिखा है कि “राजनीतिक विरोधी उन्हें चतुर राजनीतिज्ञ ही समझते थे। अंग्रेज भी सत्ता हस्तांतरण हो जाने पर 1946-47 के बाद ही यह विद्रोही मि. गांधी से मानव गांधी को भिन्न करके देख और उनके सही स्वरूप को पहचान सके।” गांधीजी ने मानव राजनीति का ऐसा सशक्त आंदोलन आरंभ किया जिसकी तुलना दो हजार वर्षों के ज्ञात इतिहास में नहीं है। इसी कारण जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि “सारा संसार, आगामी सारा इतिहास अपने लिए उनमें सामग्री और प्रकाश खोजता और पाता रहेगा,” सचमुच गांधी राष्ट्र और राष्ट्रीयता के नहीं थे, राष्ट्र और राष्ट्रीयता उनसे थी।

जैनेन्द्र कुमार की वाणी आज सच लगने लगी है। वे कहते हैं कि जल्द ही गांधीवाद की परीक्षा होने वाली है,

वह समय आयेगा जब कुछ गांधीवादियों को शहीद बनना पड़ेगा। वे विद्रोही करार दिये जायेंगे, उन्हें दण्डित किया जायेगा। उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है कि गांधी के जीवन में एक महा समन्वय की अभिव्यक्ति हो रही है। वह भक्त है पर कूट राजनीतिज्ञ भी है। महात्मा है संसारी भी कम नहीं। आदर्शोपासक है, पर व्यवहार में किसी से कम विलक्षण नहीं है। समन्वय की यह शक्ति धीमे-धीमे कम देखी जायेगी। फलस्वरूप गांधीवाद आदर्श अधिक और लोकतंत्रोपयोगी एवं आवश्यक कम रह जायेगा। आज गांधीवाद को पवित्रता और आदर्श का, सात्विकता और नीति का एक अव्यावहारिक सिद्धान्त बनाकर उसकी प्रबलता और तेजस्विता को क्षीण किया जा रहा है। आज लोक कर्मवाद गांधीवाद को ललकार रहा है, दुत्कार रहा है। यह विचार प्रगति की राह में रोड़ा समझा जाने लगा है। यह विचार भारी अड़चन की तरह उपस्थित है। यह चुनौती है कि इस विचार को, गांधी को मानने वाले गांधी नहीं हैं। स्वयं गांधी गांधी नहीं थे, गांधीवादी तो बिल्कुल नहीं थे। 20 अक्टूबर, 1947 को मनु गांधी को लिखे पत्र में गांधीजी कहते हैं, मुझे जो गाली देता है वह मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि इस प्रकार उसका रोष उतर जाता है और सारा विकार दूर हो जाता है। मेरी जय-जयकार करने वाला साथ ही हत्या कर डाले और मेरी कही बातों का पालन न करे, ऐसे आदमी से तो गाली देने वाला आदमी मुझे हजार गुना अच्छा लगता है। (सं. गां. वा., खण्ड 89, पृ. 393)

आज गांधीवाद धर्म बनने की प्रक्रिया में है। विश्व अंतिम संघर्ष की तैयारी कर रहा है। गांधी आज व्यक्ति नहीं हैं। वह स्वप्न है, उद्देश्य है। वह स्वप्न दो संस्कृतियों के अन्तिम संघर्ष की ओर हमें ढकेल रहा है, इसी कारण जवाहरलालजी कहते हैं कि हम बच्चों की तरह उनकी मूर्तियाँ स्थापित करने की बात करते हैं, उनके सिद्धान्त पर सोचते नहीं, लेकिन वह शक्तियाँ चुपचाप किन्तु जोरों के साथ काम कर रही हैं। दूसरी विपरीत शक्ति भी संघर्ष के लिए आतुर है। उन्हें विश्वास है कि जो रोशनी गुल हुई थी वह बुझी नहीं है वह पहले से ज्यादा चमक रही है।

“गांधीजी की मानवता हिन्दू धर्म में उनकी श्रद्धा-भक्ति से कहीं ऊँची थी।” बी. आर. नन्दा भी मानते हैं कि उन्हें देव-परंपरा में अवतार-पुरुष की गरिमा से बचाकर आत्मानुशासन और आत्म-विकास के लिए संघर्षशील, परिस्थितियों से प्रभावित और परिस्थितियों के

नियामक-निर्माता सहज मानव के रूप में प्रतिष्ठित करना नितांत आवश्यक हो गया है। सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय के श्रद्धांजलि शीर्षक में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने 16 जनवरी 1958 को लिखा कि अगर कभी कोई ऐसा पुरुष हुआ जिसने जीवन को सम्पूर्ण रूप में देखा और जिसने अपने-आपको सम्पूर्ण मानवजाति की सेवा में न्यौछावर कर दिया, तो वह निश्चय ही गांधीजी थे। उनके कार्य और प्रत्यक्ष शिखाएँ, सदा एकान्त नैतिक और अत्यन्त व्यावहारिक विचार से प्रभावित होती थी। लोकनेता की हैसियत से अपने लगभग साठ वर्ष के सारे सेवा काल में उन्होंने अपने विचारों को कभी सामयिक सुविधाओं के अनुसार नहीं बदला। उन्होंने कभी उचित साध्य के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं किया। उनके साध्य की सिद्धि भी साधनों के गुण-दोष के अधीन हो जाती थी। जवाहर लाल नेहरू ने 27 दिसम्बर 1957 को वाङ्मय की प्रस्तावना में लिखा कि हमें उनकी याद एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आयेगी जो वसन्त की संजीवनी शक्ति लेकर नये भारत के जन्म का प्रतिनिधि बना। वे लिखते हैं कि जीवन-काल में तो वे बड़े थे ही, मरने पर और भी बड़े हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि “जिन लोगों को उनके बहुत से कामों में से कुछ में उनके साथ रहने का सौभाग्य रहा है, उनके लिए वे सदा नौजवानों की सी शक्ति के प्रतीक बने रहेंगे।” आगे उन्होंने लिखा है कि हमें उनकी याद किसी बूढ़े आदमी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आयेगी जो वसन्त की संजीवनी शक्ति लेकर नये भारत के जन्म का प्रतिनिधि बना। किसी से दो शब्द बोल लेना, किसी पीड़ित को हलके से सलाह देना उनके लिए उतनी ही बड़ी बात थी, जितनी कि ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का कोई प्रस्ताव!

गांधी जी के अत्यंत कर्मठ सार्वजनिक जीवन (1888 से 1948) के 60 वर्ष की यादें भारत, इंग्लैंड और द. अफ्रीका में बिखरी हुई हैं।

गांधी अपने जीवन काल में ही मिथक बन गए थे। मृत्यु के बाद यह और गहरा हो गया है। गांधी को इस मिथक से बाहर करना होगा। सभी चिंतक यह मानने लगे हैं कि आज विश्व अहिंसा के अधिक नजदीक आया है। “शस्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।” लेकिन प्रेम के सहयोग का आदर्श स्थापित नहीं हुआ। विज्ञान ने शस्त्र दिया लेकिन पड़ोसी को दोस्त बनाने की शक्ति विज्ञान में नहीं है। आचार्य राममूर्ति पड़ोसीपन के विकास

की समस्या को मूल मानते हैं। विज्ञान जड़ रूप है वह अपनी गति खो चुका है। सामाजिक बदलाव हिंसक और वैज्ञानिक क्रांति के बाहर की वस्तु है। इसलिए आज की समस्या विज्ञान से बाहर है। गांधी मूल्य परिवर्तन चाहते थे। राज्य-परिवर्तन हुए, निराशा हाथ लगी। आज का संकट व्यवस्था या तंत्र का नहीं मूल्य का संकट है। जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि यदि समाज की हालत यह है कि नेक और परिश्रमी नीचे रह जाता है और चतुर चालाक ऊपर चढ़ जाता है तो यह अवस्था पुलिस और न्यायालय के जरिये संभल नहीं सकती।

हम गांधी विचार सागर में तैरना चाहते हैं। सवाल है तैरें कैसे? इस पर हम विचार कर चुके हैं। तैरें कैसे? और कहाँ तैरे? ताकि डूबें नहीं यह गहरा सवाल है। हम घिर चुके हैं। पानी में मगरमच्छ और स्थल पर चतुर-चालाक लोमड़ी का भय है। इस विचार को बड़ी चालाकी से बचाना हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ गया है।

गांधी की मूर्तियाँ हैं, गांधी का उपयोग है, गांधी का नाम है। गांधी ही नहीं, अम्बेडकर को भी वही स्वरूप दिया जा रहा है। वाद दिमागी है, वह झमेला खड़ा करता है। यह वाद से ज्यादा है उसे किसी वाद से द्वेष नहीं है, सब वाद का इसमें स्वागत है। वह हृदयगम्य है, कर्म से उत्पन्न होता है। और नित्य नये सत्य की खोज करता है। श्रद्धा और विश्वास उसके उपकरण हैं, इसलिए साधन की शुद्धता का टेक है। वह समय आयेगा, आ रहा है जब गांधी मूर्तियों से, अपने नामों से बाहर आयेगा। यह महत्वपूर्ण लड़ाई प्रारंभ होने वाली है। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है कि गांधी ने नीति ही नहीं दी, बल्कि शक्ति भी प्रकट कर दिखाई और शक्ति ही प्रकट नहीं की, बल्कि समग्र कार्यक्रम की एक संगत श्रृंखला भी दी। हमें नीति, शक्ति और तदनुकूल व्यवस्थित कर्म गांधी से मिलते हैं। हम नीति को आदर्श में, मूर्तियों में, नामों में, शक्ति को कायरतापूर्ण वंदना में और कर्म को आडंबर में व्यक्त कर रहे हैं। चर्खा को खिलौना, ड्राइंगरूम की शोभा के लिए उपयोग करना इस विचार के साथ धोखा करना है, इस विचार को गाली देना है। यही दो संस्कृतियों का संघर्ष है। भौतिकवादी संस्कृति चर्खा को अपनी सुरक्षा का कवच बनाना चाहती है। जब तक यह चलता रहेगा तब तक संघर्ष रूका रहेगा।

एक तरफ आडम्बर है, दूसरी तरफ भ्रम है। बुद्धिजीवियों का एक ऐसा भी वर्ग है जो अपनी विद्वता

साबित करने के लिए गांधी को विरोधी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर अपने को स्थापित करना चाहता है। यह वही वर्ग है जो व्यवहार से ब्राह्मणवादी है और दलितवाद का अवसरवाद की तरह उपयोग कर रहा है। दरअसल सुविधाभोगियों का यह वर्ग गांधी, अम्बेडकर और इनके प्रतीकों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करता है। रजनी पाम दत्त ने स्वतंत्रतापूर्व प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'इंडिया टुडे' में लिखा था कि, 'गांधी के शामिल होने के पहले राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की गतिविधियों का दायरा बहुत संकीर्ण था। गांधी ने उन्हें इस संकीर्ण दायरे से निकाल कर देशव्यापी जनांदोलन के स्तर तक पहुंचा दिया। हिंदुस्तान की अत्यंत पिछड़ी निष्क्रिय जनता के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। फिर भी कुछ वामपंथी आलोचक गांधी का निरी कठमुल्लावादी शैली में इकतरफा आकलन कर उन्हें जनांदोलन का एक दुश्मन मात्र और कई बार तो अंग्रेजों का दलाल तक कहा करते थे। ऐसे समय में गांधी की इस सकारात्मक भूमिका पर जोर देना जरूरी था। वहीं 1970 में इसी पुस्तक के संशोधित संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा कि 20 वीं सदी के चौथे दशक में अंतिम सालों में जब यह किताब लिखी गई तब गांधी की भूमिका और उनकी नीतियों के आकलन पर जोरदार बहस चल रही थी। ... आज इस महान ऐतिहासिक शख्सियत का ज्यादा संतुलित आकलन करना ज्यादा उचित होगा।... इस आकलन के लिए गांधी के अंतिम दिनों के कामकाज के ऊँचे स्तर और श्रेष्ठता पर भी गौर करना होगा। उन दिनों उन्होंने खुलकर माउंटबेटन समझौते की निंदा की और कहा कि यह उनके सपनों के स्वराज का मजाक है। इस समझौते की वजह से भड़के कौमी दंगों और मारकाट की आग को बुझाने में गांधी ने खुद को अपनी जान की परवाह किए बिना झोंक दिया।

“अगर मुझे पूरी इमानदारी से राष्ट्र का पिता कहा जाता है, तो सिर्फ इसी अर्थ में सच है कि द. अफ्रिका से लौटने के बाद कांग्रेस का जो स्वरूप बना उसे बनाने में मेरा बड़ा हाथ था। यानी देश-भर में मेरा बड़ा असर था। मगर आज मैं ऐसे असर का दावा नहीं कर सकता” (15 नवंबर, 1947 की प्रार्थना सभा में, सं. गां. वा. खण्ड-09, पृ. 41) एक पत्र में 11 नवंबर, 1947 को किससे कहूँ? और आज सुनेगा कौन? (सं. गां. वा. खण्ड 90, पृ- 5) महात्मा गांधी न फरिश्ता है, न शैतान है, सिर्फ आप जैसा इन्सान ही है।

(ज्ञानी करतार सिंह को सिख प्रतिनिधि मण्डल के साथ बातचीत में वा. 09, पृ. 450) 21 जनवरी, 1948 को भी गांधी प्रार्थना सभा में बीमारी के कारण 10 मिनट देर से पहुँचे थे। उसने तो मान लिया कि मैं हिंदू-धर्म का दुश्मन हूँ (20 जनवरी के बम विस्फोट पर 21 जनवरी के प्रार्थना सभा में वा. 90 पृ. 415) अगर सबके मन में यही है कि बूढ़े का पगला निकम्मा था पर इसे मरने कैसे दें, कौन उसका इलजाम ले, तो आप गुनहगार हैं, न कि बम फेंकने वाला नौजवान (वा. 90 पृ. 451) प्यारेलाल जी को 15 नवंबर, 1947 के बाद के पत्र में तिल-तिल करके मरने से एक आघात में मरना बेहतर है। (सं. गां. वा. खण्ड 90 पृ. 42) इन्सान जिंदा रहता है तो इन्सानियत को ऊँचा उठाने के लिए ईश्वर और खुदा की तरफ जाना ही इन्सान का फर्ज है।

कैसे कोई आदमी महान बन जाता है। यह तो ऐसा महान हुआ जिसने महानता की सामूहिक साधना की। एक ऐसा शिक्षक जो अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर कर लेने की शक्ति रखता है। गोखले ने एक बार कहा था “इनमें मिट्टी के लौंधें से बड़े-बड़े बहादुरों का निर्माण करने की शक्ति है।” धर्मवीर भारतीजी ने भी 26 जनवरी 1968 को ‘अकाल पुरुष गांधी’ पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है कि मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी कैसे? राजनीतिक क्रांति की राह देखी जाय या गांधी जैसे महापुरुष के अवतरण की बाट जोहें? अगर ऐसा हुआ तो वह गांधी को समझकर भी न समझना होगा। बरबस गांधी के विरोधी भी गांधी के वश में हो जाते थे। इनकी वीरतापूर्ण दयालुता के पीछे की पृष्ठभूमि कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। विधाता किसी को बनाता है? आदमी अपने कर्मों से बनता है? पत्थर को तराशने के लिए उपकरण तो होते हैं तभी तो अनगढ़ पत्थर भी मूर्ति बन जाता है। गांधी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पारिवारिक संस्कारों के अलावा सामाजिक वातावरण ने भी गांधीजी के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। गांधीजी के विचार निर्माण में गांधीजी का अपना जीवन, पूर्ववर्ती विचार और भारत की विशिष्ट संस्कृति को महत्वपूर्ण माना जाता है।

(लेखक महात्मा गांधी अं. हिंदी वि. के पूर्व अधिष्ठाता हैं एवं वरिष्ठ गांधीवादी विचारक हैं)

सम्पर्क : फ्लैट नं. 604, माधवी केन्द्र एक्वलेव, सुगुना मोड़, दानापुर, स्टेशन रोड़, पटना-801105

गांधीजी का स्वराज-रामराज का पर्याय

राकेश शर्मा “निशीथ”

गांधीजी पिछली सदी के विश्व में सबसे चर्चित राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। आईंस्टाइन ने तो कहा कि “आने वाली पीढ़ियाँ सहसा विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़-मांस का ऐसा पुतला कभी धरती पर चलता था।” अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने कहा था, “महात्मा गांधी बीसवीं सदी के सबसे बड़े इंसान है।” गांधीजी को अपने आदर्श, राज्य एवं प्रजा-राजा का संबंध कैसा हो आदि रामकथा से मिले हैं। इसी कारण उन्होंने राम के आदर्शों को अपने आंदोलनों में समाहित कर स्वतंत्रता के लिए न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के सपने का अर्थ है रामराज की स्थापना। उनका मानना था कि रामराज अर्थात् जहाँ अंत्योदय की प्रकृति राज करती हो। रामराज ही वास्तविक लोकतंत्र है। वे मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने में विश्वास करते थे। रामराज के संबंध में उनके विचार उनके अनेक लेखों में मिलते हैं।

गांधीजी ने रामराज को आदर्श राज्य के रूप में पेश किया था। रामराज से उनका तात्पर्य ऐसे राज्य से था, जहाँ न्याय और समानता के मूल्य प्रचलित हो, प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग और पंथ के बावजूद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता हो और देश के सबसे कमजोर नागरिक को भी न्याय मिले। सदाचरण के प्रति समर्पित लोगों के साथ 19 सितम्बर, 1929 को यंग इंडिया में गांधीजी ने लिखा था, “रामराज, भगवान का राज्य। सत्य और धार्मिकता के एक ईश्वर के अलावा किसी अन्य ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। चाहे मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर रहे हों, रामायण का प्राचीन आदर्श निःसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें सबसे तुच्छ नागरिक भी विस्तृत और महँगी प्रक्रिया के बिना त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकता है।”

गांधीजी का रामराज कोई प्रतिमा पूजन का रामराज नहीं था, बल्कि वह अंधविश्वासों से मुक्ति का रामराज था। रामराज में राजा महलों में नहीं सोता था बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के समान जमीन पर बैठता था। तुलसीदास ने लिखा है कि महल के बावजूद राम बिछावन पर बैठते हैं, बिछावन का अर्थ है जमीन पर बिछा चादर। शंकराचार्य, तुलसी, संत

“रामराज, भगवान का राज्य। सत्य और धार्मिकता के एक ईश्वर के अलावा किसी अन्य ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। चाहे मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर रहे हों, रामायण का प्राचीन आदर्श निःसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें सबसे तुच्छ नागरिक भी विस्तृत और महँगी प्रक्रिया के बिना त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकता है।”

रविदास और महात्मा गांधी भी जमीन पर ही चादर बिछाकर बैठते थे। रामराज में सभी लोग बिना किसी भय के अपने-अपने धर्म का पालन करते थे और वे सभी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से मुक्त थे। तुलसीदास ने मानस में लिखा है-‘दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति॥’ गांधीजी के राम सत्य और न्याय के प्रतिमूर्ति थे। 22 मई, 1921 को गुजराती नवजीवन में गांधीजी ने रामराज के बारे में लिखा, “कुछ मित्र रामराज का अक्षरार्थ करते हुए पूछते हैं कि जब तक राम और दशरथ फिर से जन्म नहीं लेते तब तक क्या रामराज मिल सकता है? हम तो रामराज का अर्थ स्वराज्य, धर्मराज्य, लोकराज्य करते हैं। वैसा राज्य तो तभी संभव है जब जनता धर्मनिष्ठ और वीर्यवान बने।”

गांधीजी ने 20 मार्च 1930 को हिंदी पत्रिका ‘नवजीवन’ में स्वराज्य और रामराज शीर्षक से लेख लिखा। इसमें उन्होंने कहा था, “स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, और वह है रामराज। यदि किसी को रामराज शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूँगा। रामराज शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्मपूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। सच्चा चिंतन तो वही है, जिसमें रामराज के लिए योग्य साधन का ही उपयोग किया गया हो। यह याद रहे कि रामराज स्थापित करने के लिए हमें पाण्डित्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गुण की आवश्यकता है, वह तो सभी वर्गों के लोगों – स्त्री, पुरुष, बालक और बूढ़ों तथा सभी धर्मों के लोगों में आज भी मौजूद है। दुख मात्र इतना है कि सब कोई अभी उस हस्ती को पहचानते ही नहीं हैं। सत्य, अहिंसा, मर्यादा-पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणों का हममें से हरेक व्यक्ति यदि वह चाहे तो क्या आज ही परिचय नहीं दे सकता?” गांधीजी राज्य को एक हिंसा व बल प्रयोग का संगठन मानते थे। वे धरती पर दैवीय साम्राज्य की स्थापना के समर्थक थे। अहिंसा के समर्थक होने के कारण उन्होंने हिंसा के प्रयोग का विरोध किया। उनका कहना था, “राज्य की शक्ति में बढ़ोतरी को मैं भय की दृष्टि से देखता हूँ,

कमोबेश शोषण करके कुछ अच्छा करने के लिए, यह व्यक्ति को नष्ट कर उसे बहुत अधिक कष्ट पहुँचाता है।”

गांधीजी के अनुसार स्वराज एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है स्वशासन और आत्म-संयम। देश के आयात और निर्यात एवं सेना तथा अदालतों पर जनता का पूरा नियंत्रण हो। देश में अन्न तथा वस्त्र की बहुतायत हो जिससे किसी को भी उनके बिना भूखा और नंगा न रहना पड़े। ऐसी स्थिति हो जाने पर भी किसी जाति और श्रेणी के लोग दूसरों को दबा नहीं सकते हैं। अतः स्वराज का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें एक बालिका भी घोर अंधकार में निर्भयता के साथ घूम-फिर सके। स्वराज वह है जिसमें स्त्रियाँ माताएँ और बहनें समझी जाएँ और उनका मान-सम्मान हो तथा ऊँच-नीच का भेदभाव दूर होकर सब भाई-बहन की भावना से बर्ताव करें। स्वराज में समाज का प्रत्येक अंग सजीव और समुन्नत होना चाहिए। इस दृष्टि से स्वराज का अर्थ है अन्त्यजों की अस्पृश्यता का सर्वथा नाश। स्वराज में लोगों में मृत्युभय समाप्त हो जाता है क्योंकि स्वराज तो अपने मन पर राज है,

जिसकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल अथवा दयाबल है।

गांधीजी ने जब हिंद स्वराज लिखा तो उनकी उम्र चालीस साल और डेढ़ महीने की थी। वे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं पर अंग्रेज सरकार से बातचीत करने इंग्लैंड गये हुए थे। यह पुस्तक उन्होंने वहाँ से लौटते समय किल्डोनन कासल नामक जहाज में 13 से 22 नवम्बर, 1909 के बीच 10 दिन में लिखी थी। सारी दुनिया में लिखने-पढ़ने वाले इस पुस्तक को गांधीजी की बीज पुस्तक मानते हैं। गांधीजी अपने फीनिक्स आश्रम से ‘इंडियन ओपीनियन’ नाम का अखबार निकालते थे उसके

“स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, और वह है रामराज। यदि किसी को रामराज शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूँगा। रामराज शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्मपूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा।

11 और 19 दिसम्बर के दो अंकों में हिन्द स्वराज छपा। मूल पुस्तक गुजराती में है और गांधीजी ने मूल गुजराती से खुद ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया।

वर्ष 1929 में गांधीजी ने स्वयं 'हिन्द स्वराज' के संबंध में लिखा कि मेरी यह छोटी-सी किताब इतनी निर्दोष है कि यह किताब बच्चों के हाथ में भी दी जा सकती है, क्योंकि यह किताब द्वेष धर्म के स्थान पर प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, शत्रुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। 01 अगस्त, 1959 को काका कालेलकर ने हिन्द स्वराज के संदर्भ में लिखा था, "गांधीजी के समस्त जीवन कार्य के मूल में जो श्रद्धा काम करती रही...वह सारी हिन्द स्वराज में पाई जाती है, इसलिए गांधीजी के विचार सागर में इस छोटी-सी पुस्तक का असाधारण महत्त्व है।"

वर्ष 1921 में हिन्दी नवजीवन में उन्होंने लिखा, "स्वराज का अर्थ है हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, यहूदी आदि सभी धर्मों के लोग अपने-अपने धर्म का पालन कर सकें और ऐसा करने में एक-दूसरे की रक्षा करें और एक-दूसरे के धर्म का आदर करें। प्रत्येक ग्राम चोरों और डाकुओं के भय से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाए और प्रत्येक ग्राम अपने लिये आवश्यक अन्न-वस्त्र पैदा करे। देशी राज्यों, जमींदारों और प्रजा में मित्र भाव रहे, देशी राज्य अथवा जमींदार प्रजा को परेशान न करे। धनवान और श्रमजीवियों में परस्पर मित्रता हो। मजदूर उचित मजदूरी लेकर धनवान के यहाँ खुशी से मजदूरी करें।"

गांधीजी ने हिन्दी नवजीवन में वर्ष 1925 में लिखा था, "स्वराज से मेरा अभिप्राय है लोक-सम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन। लोक-सम्मति का निश्चय देश के बालिग लोगों की बड़ी-से-बड़ी तादाद के मत के जरिये हो, फिर वे चाहे स्त्रियाँ हों या पुरुष, इसी देश के हो या इस देश में आकर बस गये हो। वे लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा लिया हो।... सच्चा स्वराज थोड़े लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता हो, तब सब लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में,

स्वराज जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर कब्जा करने और उसका नियमन करने की क्षमता उसमें है।"

हिन्दी नवजीवन में वर्ष 1927 में गांधीजी ने लिखा था, "स्वराज का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रत्यन करना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के नियमन के लिए सरकार का मुँह ताकना शुरू कर दें, तो वह स्वराज्य-सरकार किसी काम की नहीं होगी।" गांधीजी ने यंग इंडिया में वर्ष 1931 में लिखा था, "कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय स्वराज तो ज्यादा संख्या वाले समाज का यानी हिन्दुओं का ही राज्य होगा। इस मान्यता से ज्यादा बड़ी कोई दूसरी गलती नहीं हो सकती। अगर यह सही सिद्ध हो तो अपने लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं उसे स्वराज मानने से इनकार कर दूँगा और अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका विरोध करूँगा। मेरे लिए हिन्द स्वराज्य का अर्थ सब लोगों का राज्य, न्याय का राज्य है।"

गांधीजी स्वराज शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे, वे साधारण अर्थ में इसे रामराज की संज्ञा देते थे। वे कहते हैं, "निश्चय ही स्वराज शब्द सर्वव्यापक है। इसके अंतर्गत संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ-साथ और भी बातें आ जाती हैं। इसे अर्थ और परिभाषा के सीमित घेरे में बांधना इसके दृष्टिकोण को संकीर्ण बनाना है और जो कुछ भी आज असीम है, उसे सीमित कर देना होगा। स्वराज के अंतर्गत जो कुछ भी आता है उसका विकास उसी तरह होने दो जिस प्रकार राष्ट्रीय चेतना व आकांक्षाओं का होता है। आज हम उपनिवेश की स्थिति से प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन भावी पीढ़ी शायद उससे संतुष्ट न हो। वह शायद कुछ और चाहे।" उनके स्वराज में स्वनिर्वाचित स्वशासन अधिक व स्वतंत्रता कम थी। उन्होंने स्वशासन का महत्त्व समझाते हुए 'यंग इंडिया' में लिखा था, "व्यक्तिगत रूप से मैं अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता की कामना करता हूँ। मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैं इसके बदले में घोर अराजकता करने को प्रस्तुत हूँ, क्योंकि यह अंग्रेजी शांति कब्र की शांति है। यह निश्चय ही एक समूचे जन समुदाय की जीवन्त मृत्यु से श्रेयस्कर होगा। इस सुन्दर धरती को

इस शैतानी शासन ने भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से समाप्त प्रायः कर दिया है।”

वर्ष 1929 में गांधी जी भोपाल गए। वहाँ की जनसभा में उन्होंने कहा, “मैं जब कहता हूँ कि रामराज आना चाहिए तो उसका मतलब क्या है? रामराज का मतलब हिन्दूराज नहीं है। रामराज से मेरा मतलब है ईश्वर का राज। मेरे लिए तो सत्य और सत्यकार्य ही ईश्वर हैं। प्राचीन रामराज का आदर्श प्रजातंत्र के आदर्शों से बहुत कुछ मिलता-जुलता है और कहा गया है कि रामराज में दरिद्र व्यक्ति भी कम खर्च में और थोड़े समय में न्याय प्राप्त कर सकता था। यहाँ तक कहा गया है कि रामराज में एक कुत्ता भी न्याय प्राप्त कर सकता था।” यंग इंडिया के 26 मार्च, 1931 के अंक में उन्होंने लिखा, “मेरे...हमारे... सपनों के स्वराज में जाति (रेस) या धर्म के भेदों का कोई स्थान नहीं हो सकता। उस पर शिक्षितों या धनवानों का एकाधिपत्य नहीं होगा। वह स्वराज सबके लिए सबके कल्याण के लिए होगा। सबकी गिनती में किसान तो आते ही हैं, किन्तु लूले, लंगड़े, अंधे और भूख से मरने वाले लाखों-करोड़ों, मेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं।”

यंग इंडिया के 5 मार्च, 1931 के अंक में महात्मा गांधी ने लिखा, “पूर्ण स्वराज...कहने का आशय यह है कि वह जितना किसी राजा के लिए होगा उतना ही किसान के लिए, उतना किसी धनवान जमींदार के लिए होगा, उतना ही भूमिहीन खेतिहर के लिए, जितना हिंदुओं के लिए होगा उतना ही मुसलमानों के लिए, जितना जैन, यहूदी और सिख लोगों के लिए होगा उतना ही पारसियों और ईसाइयों के लिए, उसमें जाति-पांति, धर्म अथवा दर्जे के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होगा।” 26 मार्च, 1931 के ‘यंग इंडिया’ के अंक में उन्होंने लिखा, “मेरे सपने का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वहीं तुम्हें भी सुलभ होनी चाहिए, इसमें फर्क के लिए स्थान नहीं हो सकता। लेकिन यह अर्थ नहीं कि हमारे पास उनके जैसे महल होने चाहिए। सुखी जीवन के लिए महलों की कोई आवश्यकता नहीं। हमें महलों में रख दिया जाये तो हम घबरा जायें। लेकिन तुम्हें जीवन की वे सामान्य सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए, जिनका उपभोग अमीर

आदमी करता है। मुझे इस बात में बिलकुल भी संदेह नहीं है कि हमारा स्वराज तब तक पूर्ण स्वराज नहीं होगा, जब तक वह तुम्हें ये सारी सुविधाएँ देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।

‘हरिजन’ में वर्ष 1939 में अपने विचार प्रकट करते हुए गांधीजी ने लिखा, “स्वराज में राजा से लेकर प्रजा तक कोई भी अंग अविकसित नहीं रहना चाहिए। अहिंसा पर आधारित स्वराज में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, सारी जनता की भलाई का सामान्य उद्देश्य सिद्ध करने में हरेक अपना अभीष्ट योग देता है, सब लिख-पढ़ सकते हैं और उनका ज्ञान दिनों-दिन बढ़ता रहता है। बीमारी और रोग कम-से-कम हो जाएँ ऐसी व्यवस्था की जाती है। कोई निर्धन नहीं होता और रोजगार चाहने वाले को काम अवश्य मिल जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था में जुआ, शराबखोरी और दुराचार को या वर्ग विद्वेष का कोई स्थान नहीं होता।

अमीर लोग अपने धन का उपयोग बुद्धिपूर्वक उपयोगी कार्यों में करेंगे, अपनी शान-शौकत बढ़ाने में या शारीरिक सुखों में वृद्धि में उसका अपव्यय नहीं करेंगे। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि चन्द अमीर तो रत्न जड़ित महलों में रहें और लाखों-करोड़ों ऐसी मनहूस झोपड़ियों में, जिनमें हवा और प्रकाश का प्रवेश न हो। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अहिंसक स्वराज में न्यायपूर्ण अधिकारों का किसी के भी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता और इसी तरह किसी को कोई अन्यायपूर्ण अधिकार नहीं हो सकते। सुसंघटित राज्य में किसी के न्यायिक अधिकार का किसी दूसरे के द्वारा अन्यायपूर्वक छीना जाना असंभव होना चाहिए और कभी ऐसा हो जाए तो ऐसे अधिकार अपहर्ता को अपदस्थ करने के लिए हिंसा का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।” गांधीजी के स्वराज और रामराज जैसे विचार आज भी प्रासंगिक हैं। यदि इन विचारों को अमल में लाया जाए तो निसंदेह देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।

सम्पर्क:

सेक्टर -1, वैशाली, उत्तर प्रदेश -201010

मो.-9899650039

महात्मा गांधी एवं रेलगाड़ी

महात्मा गांधी एवं रेलगाड़ियों का अनूठा संबंध रहा है। याद कीजिए दक्षिण अफ्रीका की वह ऐतिहासिक रेलयात्रा, जब 7 जून 1893 को प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद अश्वेत होने के कारण पुलिस ने गांधीजी को तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने को मजबूर किया। लेकिन गांधीजी नहीं माने। गांधीजी के विरोध करने पर सेंटपीटरमारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें सामान सहित धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया। वे रात भर स्टेशन पर ठंड में कांपते रहे, लेकिन दूसरे डिब्बे में जाना स्वीकार नहीं किया। उस रात गांधीजी के मन में पहली बार सत्याग्रह की भावना ने जन्म लिया जो आगे चलकर एक वटवृक्ष में बदल गयी।

इस घटना को याद करते हुए गांधीजी अपनी आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग' में लिखते हैं: 'मैंने अपने धर्म का विचार किया; या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए.. मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है, सो तो ऊपरी कष्ट है। वह गहराई तक पैठे हुए महारोग का लक्षण है। यह महारोग है रंग-द्वेष। यदि मुझ में इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो, तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़ें सो सब सहने चाहिए और उनका विरोध रंग-द्वेष को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए।' इस प्रकार एक रेलयात्रा के दौरान हुए इस अपमान ने गांधीजी के जीवन की दिशा ही बदल दी।

औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक : दरअसल, गांधीजी रेलगाड़ियों के धुर विरोधी थे। अपनी किताब 'हिन्द स्वराज' में वे लिखते हैं, 'अगर रेल न हो तो अंग्रेजों का काबू हिन्दुस्तान पर जितना है उतना तो नहीं ही रहेगा।' गांधीजी को यह भली-भांति पता था कि रेलगाड़ियां हिन्दुस्तान के औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक हैं। उनके अनुसार हिन्दुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने मिलकर कंगाल बना दिया। कई महामारियों के फैलने के पीछे भी वे रेलगाड़ियों को जिम्मेदार मानते थे। उनका कहना था कि यदि रेलगाड़ी न हो तो कुछ ही लोग एक जगह से दूसरे जगह जायेंगे और इस कारण संक्रामक रोग सारे देश में नहीं पहुँच पायेंगे। इस प्रकार रेलगाड़ियों के आने से पहले हम कुदरती तौर पर सेग्रेगेशन - सूतक - पालते थे।



सौरव कुमार राय

मैंने अपने धर्म का विचार किया; या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए.. मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है, सो तो ऊपरी कष्ट है। वह गहराई तक पैठे हुए महारोग का लक्षण है। यह महारोग है रंग-द्वेष। यदि मुझ में इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो, तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़ें सो सब सहने चाहिए और उनका विरोध रंग-द्वेष को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए।'

इसके साथ ही गांधीजी का यह भी मानना था कि रेल से अकाल बढ़े हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहाँ महंगाई हो वहाँ अनाज खिंच जाता है, लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुःख बढ़ता है।

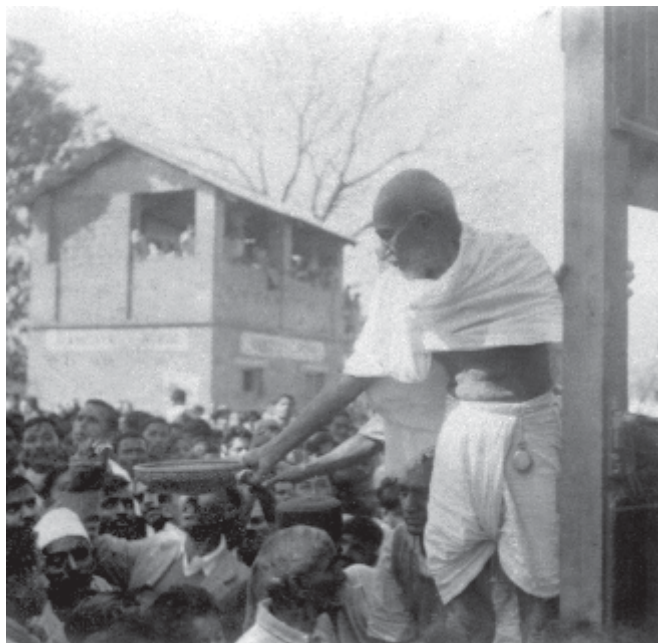
हालाँकि, इन सबके बावजूद महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों का बखूबी प्रयोग किया। यह गौरतलब है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आगमन के बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी ने रेलगाड़ी से देशव्यापी दौरा किया। इन यात्राओं के दौरान गांधीजी ने असली भारत को करीब से देखा। यहाँ कलकत्ते से हरिद्वार तक की उनकी एक यात्रा उल्लेखनीय है जब उन्हें हिन्दुस्तान में बढ़ती सांप्रदायिकता का एहसास हुआ। गांधीजी यह यात्रा खुले बिना छतवाले डिब्बे में कर रहे थे जिनपर दोपहर का सूरज तपता था। डिब्बे में नीचे निरे लोहे का फर्श था। इतने पर भी श्रद्धालु हिन्दू अत्यन्त प्यासे होने पर भी 'मुसलमान-पानी' के आने पर उसे कभी न पीते थे। 'हिन्दू-पानी' की आवाज आती तभी वे पानी पीते।

गांधीजी को यह देखकर सहसा भान हुआ कि हिन्दुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर किस कदर घुल चुका है जहाँ ईश्वर द्वारा प्रदत्त पानी जैसी जीवनदायिनी वस्तु को भी 'हिन्दू-पानी' और 'मुसलमान-पानी' में बाँट दिया गया है।

तीसरा दर्जा : 1915 में भारत आगमन के बाद गांधीजी आम तौर पर तीसरे दर्जे के रेल डिब्बे में सफर किया करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य देश की आम जनता से संपर्क स्थापित करना था। सितम्बर 1921 में मद्रास से मद्रुरै की ऐसी ही एक रेलयात्रा के दौरान जब तीसरे दर्जे में सवार उनके सहयात्रियों ने उनसे कहा कि वे लोग इतने गरीब हैं कि खादी के कपड़े पहनने का खर्च

वहन नहीं कर सकते हैं, गांधीजी ने उसी क्षण अपनी काठियावाड़ी वेशभूषा त्यागकर जीवन-पर्यंत 'लंगोटी' धारण करने का निर्णय ले लिया। यह महात्मा गांधी के जीवन का एक निर्णायक क्षण था जिसकी गवाह एक बार फिर रेलगाड़ी बनी।

गांधीजी भारतीय रेल के तीसरे दर्जे के रेलडिब्बे में फैली गंदगी से भी काफी परेशान रहते थे। अपनी आत्मकथा में वे एकाधिक स्थानों पर इसका उल्लेख भी करते हैं। यहाँ तक कि गांधीजी की आत्मकथा में एक अध्याय का शीर्षक ही 'तीसरे दर्जे की विडम्बना' है जहाँ वे तीसरे दर्जे में सफर करने वाले यात्रियों को क्या-क्या झेलना पड़ता है इसकी बानगी प्रस्तुत करते हैं। आत्मकथा में ही गांधीजी एक जगह लिखते हैं, 'पहले और तीसरे दर्जे के बीच सुभीतों का फरक मुझे किराये के फरक से कहीं ज्यादा जान पड़ा। तीसरे दर्जे के यात्री भेड़-बकरी समझे जाते हैं और सुभीते के नाम पर उनको भेड़-बकरियों के से डिब्बे मिलते हैं। यूरोप में तो मैंने तीसरे ही दर्जे में यात्रा की थी। अनुभव की दृष्टि से एक बार पहले दर्जे में भी यात्रा की थी। वहाँ मैंने पहले और तीसरे दर्जे के बीच यहाँ के जैसा फरक नहीं देखा। दक्षिण



अफ्रीका में तीसरे दर्जे के यात्री अधिकतर हब्शी ही होते हैं। लेकिन वहाँ के तीसरे दर्जे में भी यहाँ के तीसरे दर्जे से अधिक सुविधायें हैं। कुछ प्रदेशों में तो वहाँ तीसरे दर्जे में सोने की सुविधा भी रहती है और बैठकें गद्दीदार होती हैं। हर खण्ड में बैठनेवाले यात्रियों की संख्या की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। यहाँ तो तीसरे दर्जे में संख्या की मर्यादा पाले जाने का मुझे कोई अनुभव ही नहीं है।' भारतीय रेल के तीसरे दर्जे में सफर को लेकर बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों को याद करते हुए लिखा गया महात्मा गांधी का यह संस्मरण आज भी कितना प्रासंगिक जान पड़ता है।



गिरफ्तार करने का प्रावधान था। इस ऐक्ट का पूरे भारत में जोरदार विरोध हुआ। अप्रैल 1919 में गांधीजी रॉलेट ऐक्ट के विरोध में पंजाब जा रहे थे। लेकिन 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को रास्ते में पलवल (हरियाणा) के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। यह भारत में उनकी पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी।

इस घटना का उल्लेख करते हुए महात्मा गांधी लिखते हैं: 'मुझे पलवल स्टेशन पर उतार लिया गया

इतिहासकार रितिका प्रसाद अपनी किताब 'ट्रेक्स ऑफ चेंज: रेलवे एंड ऐवरीडे लाइफ इन कोलोनियल इंडिया' (2016) में बताती हैं कि बाद के वर्षों में जब गांधीजी ने स्वास्थ्य कारणों से तीसरे दर्जे में सफर करना छोड़ दिया तब भी वे कांग्रेस के सदस्यों एवं नेतागणों को तीसरे दर्जे में ही सफर करने की सलाह दिया करते थे। एक बार जब 1925 में बंगाल प्रांतीय सभा की बैठक फरीदपुर में होने वाली थी, तो स्वागत समिति ने महात्मा गांधी की तबीयत देखते हुए उनकी व्यवस्था पहले दर्जे में कर रखी थी। इस पर गांधीजी ने अफसोस व्यक्त करते हुए लिखा कि इस एक व्यवस्था से वे भारत के लाखों लोगों से कट गये। उनका यह मानना था कि 'जैसे वाइसराय शिमला के अपने अगम्य भवन में रहते हुए लाखों भारतवासियों के हृदय पर अधिकार नहीं कर सकते, वैसे ही मैं भी पहले दर्जे का दुगुना ही नहीं, पांचगुना किराया खर्च करके अपना सन्देश लाखों लोगों को प्रभावकारी रूप में नहीं पहुंचा सकता।'

पहली राजनीतिक गिरफ्तारी : भारत में गांधीजी की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी की गवाह भी रेलगाड़ी ही बनी। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट ऐक्ट लागू कर दिया था। इस ऐक्ट के अंतर्गत पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर

और पुलिस के हवाले किया गया। फिर दिल्ली से आनेवाली किसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में मुझे बैठाया गया और साथ में पुलिस का दल भी बैठा। मथुरा पहुँचने पर मुझे पुलिस की बैरक में ले गये। मेरा क्या होगा और मुझे कहाँ ले जाना है, सो कोई पुलिस अधिकारी मुझे बता न सका। सुबह 4 बजे मुझे जगाया गया और बम्बई की ओर जानेवाली मालगाड़ी में बैठा दिया गया। दोपहर को मुझे सवाई माधोपुर स्टेशन पर उतारा गया। वहाँ बम्बई की डाकगाड़ी में लाहौर से इन्स्पेक्टर बोरिंग आये। उन्होंने मेरा चार्ज लिया।'

रेलवे स्टेशन और दर्शनाभिलाषी : असहयोग आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी ने लगातार पूरे देश में रेलयात्राएं की और लोगों से विदेशी कपड़ों के बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। हालांकि, महात्मा गांधी इस दौरान प्रायः रेलवे स्टेशन पर उनके दर्शन हेतु आए हुए लोगों की भीड़ को लेकर चिंतित रहा करते थे। 8 सितंबर 1920 को 'यंग इंडिया' में प्रकाशित अपने एक लेख 'लोकशाही बनाम भीड़शाही' में रेलवे प्लेटफार्म पर दर्शन हेतु आए लोगों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने स्वयंसेवकों को कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए। इसके बावजूद उन्हें बार-बार रेलवे स्टेशनों पर दर्शनाभिलाषियों की अनियंत्रित भीड़ का सामना करना पड़ा।

फरवरी 1921 में गोरखपुर से काशी तक की उनकी एक यात्रा तो दुःस्वप्न की भांति थी जब वे पूरी रात सो नहीं सके। इसे याद करते हुए वे लिखते हैं: 'गाड़ी हरेक स्टेशन पर काफी देर तक रुकती थी और हर स्टेशन पर एकत्र लोगों की भीड़ का शोर-गुल होता था। मेरे साथी लोगों से विनती करते और उस परिस्थिति में जितना सम्भव था उतनी शान्ति रखने का प्रयत्न करते थे। मैं बहुत थका हुआ और श्रान्त महसूस कर रहा था। मेरी पत्नी और भाई महादेव ने एक स्टेशन पर लोगों को शान्त रखने का भारी प्रयत्न किया। लेकिन वे कहाँ माननेवाले थे। उन्हें तो मेरे 'दर्शन' अवश्य चाहिए थे। वे खिड़की से झाँकते थे, अनेक तरह की बातें कहते थे और ताने भी मारते थे।' यह प्रसंग महात्मा गांधी के सार्वजनिक जीवन में रेलगाड़ियों एवं स्टेशन जैसे सार्वजनिक मंचों की भूमिका एवं गांधीजी को होने वाली कठिनाइयों को दर्शाता है।

हरिजन यात्रा : महात्मा गांधी एवं रेलगाड़ी के संबंधों पर चर्चा उनकी 'हरिजन यात्रा' का उल्लेख किए बिना अपूर्ण है। दलितों के उत्थान के लिए गांधीजी ने 7 नवंबर 1933 को वर्धा से 'हरिजन यात्रा' का शुभारंभ किया। इस क्रम में नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधीजी ने एक बार फिर रेल द्वारा पूरे देश की यात्रा की जिसके अंतर्गत उन्होंने लगभग 20 हजार किलोमीटर का सफर तय किया। गांधीजी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था - हर रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करना। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर और कटोरा लेकर दान मांगा जिसकी कई जीवंत तस्वीरें मौजूद हैं। इस यात्रा में इकट्ठे किए हुए धन को उन्होंने हरिजन उत्थान हेतु स्वयं द्वारा स्थापित संगठन 'हरिजन सेवक संघ' को सौंप दिया।

महात्मा गांधी और रेलगाड़ी से जुड़े एक अन्य रोचक प्रसंग का उल्लेख मनुबहन अपनी पुस्तिका 'बापू - मेरी माँ' में करती हैं। 30 मार्च 1947 को महात्मा गांधी भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन से पहली बार मिलने दिल्ली जा रहे थे। वाइसराय की ओर से सूचना तो यह थी कि महात्मा गांधी हवाई जहाज से दिल्ली पहुँचेंगे। मगर गांधीजी ने यह कहकर हवाई जहाज में जाने से इनकार कर दिया कि 'जिस वाहन में करोड़ों गरीब सफर नहीं कर सकते, उसमें मैं कैसे बैठ सकता हूँ?' और उन्होंने रेल से जाना ही तय किया।

नियत दिन जब गांधीजी स्टेशन पहुँचे तो मनुबहन ने सोचा कि हर स्टेशन पर दर्शन करनेवालों की भीड़ के कारण बापू घड़ीभर भी आराम नहीं ले पायेंगे। फिर हरिजन फंड भी गिनना पड़ेगा और उसकी आवाज होगी। इसलिए मनुबहन ने दो भाग वाला एक डिब्बा पसंद किया। एक में सामान रख लिया और दूसरे में बापू के सोने-बैठने का इंतजाम कर दिया। जैसे ही महात्मा गांधी को इस बात का पता चला उन्होंने न सिर्फ मनुबहन को डांटा बल्कि स्टेशन मास्टर को तत्काल बुलाकर ट्रेन के बाहर लटक रहे लोगों को डिब्बे के अंदर बिठाने का आदेश दिया। गांधीजी को यह कतई मंजूर नहीं था कि वे आराम से बैठें और उनके सहयात्री लटकते हुए सफर करें।

अंतिम रेलयात्रा : गांधीजी की अंतिम रेलयात्रा कलकत्ता से दिल्ली शाहदरा जंक्शन तक की थी। आजादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं थी। ऐसे में इन दंगों को शांत करने 9 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी रेल द्वारा कलकत्ता से दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ उन्हें लेने देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर आईं। यह गांधीजी का दिल्ली में 80वाँ आगमन था।

गांधीजी का इरादा पहले की भांति मंदिर मार्ग स्थित वाल्मिकी बस्ती में ठहरने का था। परन्तु सरदार पटेल ने उनसे आग्रह किया कि सुरक्षा कारणों से उनका वाल्मिकी बस्ती में ठहरना उचित नहीं होगा। हालांकि, गांधीजी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी और वे वाल्मिकी बस्ती को ही लेकर अड़े रहे। ऐसे में सरदार पटेल ने उनसे कहा कि वाल्मिकी बस्ती के आस-पास पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी रुके हुए हैं। इस कारण मुस्लिम समुदाय के लोग वाल्मिकी बस्ती में उनसे मिलने आने में झिझकेंगे। गांधीजी को यह बात सही लगी और उन्होंने अपने मित्र घनश्याम दास बिरला के अलबुकर्क रोड (वर्तमान तीस जनवरी मार्ग) स्थित आवास पर रुकना स्वीकार किया।

इसी बिरला हाउस में महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन गुजारे और 30 जनवरी 1948 को यहीं उनकी शहादत हुई। वर्तमान में इसी स्थान पर 'गांधी स्मृति' अवस्थित है।

(लेखक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के शोध अधिकारी हैं।)

संपर्क: मो. 9717659097

नई तालीम जीवन शिक्षण

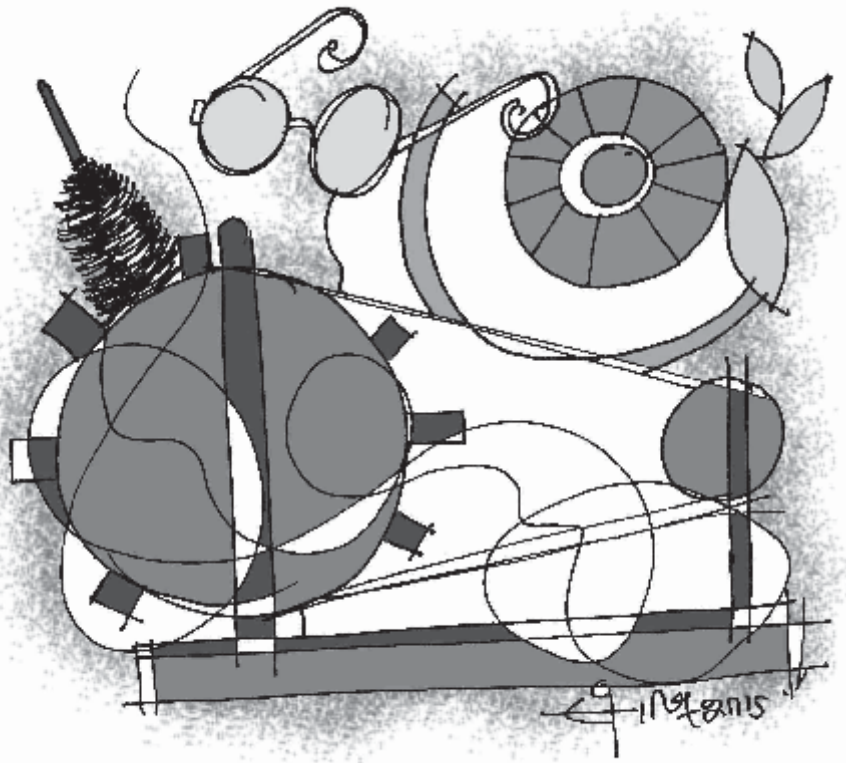
डॉ. प्रभाकर पुसदकर

‘जीवन शिक्षण’ जीने की कला और पद्धति का नाम है जो जीवनशैली को इस तरह से गढ़ती है कि शरीर चक्र को संतुलित करते हुए मानसिक और बौद्धिकता का समग्र और समुचित विकास करता है। जीवन व्याप्त मूल्यों और आदर्श की ओर अग्रेषित कर मानवीयता का जीवन आधार बनाती है। शिक्षण का अर्थ व्यक्ति के समग्र विकास के साथ जीवन और सामाजिक मूल्यों को अपना कर ‘आदर्श समाज’ का निर्माण करना है, जो समता आधारित, न्यायपूर्ण, शाश्वत और अहिंसक समाज का होगा।

नई तालीम का बुनियादी सिद्धांत, काम या श्रम के द्वारा ज्ञान और बौद्धिक विकास है। हाथों से काम, श्रम द्वारा उत्पादन और उसको मध्य में रखकर ज्ञान का सृजन और उसी के साथ मन-मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का विकास किया जा सकता है। इसी अवधारणा को जीवन शिक्षण की नींव के रूप में माना गया है। शरीर के हर हिस्से, अवयवों और अंगों का उपयोग कर, हम सृजनात्मक और नवनिर्माण के काम में उसे लगा सकते हैं। जिसमें बुद्धि और मस्तिष्क की उपयोगिता अधिक रहती हैं। बुद्धि के द्वारा चीजों को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषित करना और उसकी विवेकी तथा सृजनात्मक उपयोगिता बढ़ाना होता है। जिससे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया प्राकृतिक तथा सहज होती है। ‘सीखना’ क्या होता है? या ‘जानने’ का मतलब क्या है? और ‘समझ’ बनाते हैं उसका अर्थ क्या होता है? यह समझना जरूरी है। इसके लिए “बच्चा कैसे सीखता है?” यह जानने की जरूरत है। बच्चे को जिज्ञासा, कुतूहल और जानने की प्रेरणा प्रकृति से मिली है। हर बच्चा उसी के अनुसार सीखता है। फिर सवाल खड़ा होता है कि, सीखता मतलब क्या है? वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि बुद्धि (brain) की संरचना, गर्भाशय में 70%, जन्म के बाद 6 साल की उम्र तक 20% तथा 12-13 साल तक शेष बुद्धि का विकास होता है। इस कार्यकाल में उसके भीतर जो भी चला जाता है, उसकी सक्रियता, जीवन के हर कालखंड में होती रहती है। इसीलिए ‘बचपन’ महत्वपूर्ण है। बुद्धि की रचना तो बन जाती है पर इस बुद्धि में सीखने की प्रक्रिया हमें समझनी होगी। हमारे मस्तिष्क के भीतर कई तरह की गतिविधियां चलती

नई तालीम का बुनियादी सिद्धांत, काम या श्रम के द्वारा ज्ञान और बौद्धिक विकास है। हाथों से काम, श्रम द्वारा उत्पादन और उसको मध्य में रखकर ज्ञान का सृजन और उसी के साथ मन-मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का विकास किया जा सकता है। इसी अवधारणा को जीवन शिक्षण की नींव के रूप में माना गया है।

है, जिससे जानने की प्रक्रिया सुलभ होती है। फिर भी सीखने की प्रक्रिया को समझना होगा। गर्भाशय में बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह के केंद्र गठित हो जाते हैं। जिससे वह ध्वनि, कंपन, महसूस कर सकते हैं। जब बच्चे के जन्म के बाद उसके भीतर के सभी अवयवों और अंगों की सक्रियता बढ़ जाती है। उसके संवेदक (sensor) सक्रिय हो जाते हैं। यह सेन्सर हमारे सीखने की प्रक्रिया को सशक्त करते हैं। कान, नाक, त्वचा, जीभ (रसना) और आँख हमें ध्वनि, गंध, स्पर्श, स्वाद और दृश्य की अनुभूति देते हैं। जिससे हम मानस प्रतिमा बनाते हैं। और छटा अवयव दिमाग उसे विवेक के आधार पर समझते हुए मानस प्रतिमाएँ बनाता है। उदाहरण के रूप में हम किसी 'फूल' के पास गये, तो हमें गंध आयेगी जिससे एक मानस प्रतिमा बनेगी, फिर हमने उस फूल को छुआ, तो दूसरी प्रतिमा बनेगी। फिर हमने पखुंडी चख कर देखी, तीसरी प्रतिमा बनी और देखकर हमने उसका आकार, रंग से प्रतिमा बनी। हम ने उसे संज्ञात्मक नाम 'गुलाब' कहा। फिर हम दूसरे फूल के पास गये। रंग रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, किया और उसकी भी प्रतिमा बनी। किन्तु दो मानस प्रतिमाओं में फर्क था। पहले प्रतिमा से कोई तालमेल नहीं बैठा। किन्तु 'फूल' था। रंग, रूप, स्वाद और गंध में अलग गुणधर्म और लक्षण हमें दिखे इसीलिए हमने उसे 'गेंदा' कहा। इसी तरह हम अपने संवेदक से प्रतिमा बनाते, उसका समग्र रूप बनाते और 'एक समग्र' प्रतिमा बनाकर उसे 'मस्तिष्क' में संग्रहीत करते। जब भी उसी तरह की 'समग्र' प्रतिमा हमारे सामने आती है तो, उसे पहले की प्रतिमा से मिलाकर देते, तुलना करते और उसकी संकल्पना अवधारणा विकसित कर 'संज्ञा' देते तथा वर्गीकृत कर उसे भी संग्रह करते हैं। इस संग्रह को जब भी चाहे फिर से वापस दे सकते हैं। इसी सिद्धांत पर हम बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझेंगे कि बच्चा कैसा सीखता है? जब बच्चा जन्मता है, तो



पहला स्पर्श उसे मिलता है उसमें मस्तिष्क में एक प्रतिमा बनती है व्यक्ति के आवाज साथ में गंध भी आती है। एक आकार दिखता है। स्पर्श होता है। जिससे वह 'मानस प्रतिमा' बनाता है। फिर वह उस आकार से दूध पिता है। जिससे उसे स्वाद भी मिलता है। दृश्य, गंध, आकार, स्पर्श और स्वाद के आधार पर वह समग्र मानस प्रतिमा बनाता है। यह प्रतिमा बार बार उसके पास आती है। और उसकी प्राकृतिक जरूरतों को पुरा करने में सहयोग देती है। जिससे उसे सुरक्षा महसूस होती है। सुरक्षा, एहसास और भावनाओं का एकीकृत दर्शन उस प्रतिमा के साथ होता है। इसीलिए उस मानस प्रतिमा के आने से ही प्रतिसाद मिलता है। यह 'मानस प्रतिमा' यह सिखलाती है। यह जो प्रतिमा है वह "माँ" है। यह संज्ञा बनती और जब उसे 'अर्थबोध' होता है। अपना विश्लेषण करता है। कई तरह की प्रतिमाओं को तोड़ता है। तब उसे व संज्ञा के रूप में डालकर 'माँ' की संकल्पना को विकसित करता है। माँ के साथ वैसा ही आवाज पर अलग, आकार भी वैसा ही किन्तु भिन्न, उसकी भी वह मानस प्रतिमा बनाता है। पर 'माँ' नहीं और वह नई संज्ञा उसे समझ में आती है 'मौसी'। उसी तरह एक बड़ा आकार आता है, आवाज भी अलग, सब कुछ अलग किन्तु वह आकार प्रतिमा बार-बार उसके पास आती है।

वैसी ही सुरक्षा, स्नेह उसे मिलता है। फिर उसे अर्थबोध होता वह उसका 'पिता' है। उसी तरह कई तरह की प्रतिमाएँ वह बनाते रहता है और अपने जेहन में उन 'मानस प्रतिमा' का संग्रहण करता है। और जब चाहे उन प्रतिमाओं को स्मरण (Recall) कर नये प्रतिमाओं की ताड़ना नई प्रतिमाओं का संग्रहण करता है। बच्चा मानस प्रतिमाओं से सीखता है। और यह मानस प्रतिमा उसे जानकारी के साथ संकल्पना स्पष्ट हो जाती है। यह देन हमें प्रकृति से मिली है। संवेदक जितने सक्रिय होंगे उतनी ही उसके सीखने की

बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक व्यक्तित्व का विकास होते रहता है। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू उम्र के साथ और परिस्थितिनुरूप विकसित होते रहते हैं। इसलिए "शिक्षा, जीवन के द्वारा, जीवन के लिए और आजीवन शिक्षा की बात या चर्चा नई तालीम द्वारा की जाती है।" विनोबा के अनुसार नई तालीम के बुनियादी तत्व और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझ ले तो अनुभव और कृति द्वारा शिक्षण ही शिक्षा की सही और विवेकी पद्धति है।

प्रक्रिया सहज और सशक्त होगी। इसलिए शरीर का अंग-प्रत्यांगन इस्तेमाल करना, काम और कृति के साथ सीखना तथा अनुभव और अनुभूति से समझना जरूरी है। इसका मतलब "श्रम के द्वारा बौद्धिक विकास" हो, न की बौद्धिक विकास के लिए काम। अनुभव और काम से ही बौद्धिक और मस्तिष्क का विकास है। इसी मानस शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर गांधीजी ने नई तालीम की बुनियाद रखी। काम के द्वारा ज्ञान और

'उद्योगमूलक शिक्षण' यह कोरा विचार नहीं, बल्कि टॉलस्टॉय और फीनिक्स आश्रम में 'बच्चों की शिक्षा' को लेकर जो प्रयोग गांधी जी ने किए; उस अनुभव के आधार पर गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर नई तालीम की बुनियाद रखी गई। इसीलिए 'उद्योगमूलक शिक्षण' के द्वारा ही समता आधारित,

न्यायपूर्ण, शाश्वत और अहिंसक समाज का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य ही 'अहिंसक समाज' का निर्माण है। जो समता, न्याय और प्रेम, सत्य के मूल्यों पर बन सकता है। शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों और आदर्श पर समाज की कल्पना की जा सकती है क्योंकि, शिक्षा ही ऐसा सशक्त साधन है जिसका परिणाम और प्रभाव दीर्घकाल ही नहीं बल्कि आजीवन रहता है।

बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक व्यक्तित्व का विकास होते रहता है। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू उम्र के साथ और परिस्थितिनुरूप विकसित होते रहते हैं। इसलिए "शिक्षा, जीवन के द्वारा, जीवन के लिए और आजीवन शिक्षा की बात या चर्चा नई तालीम द्वारा की जाती है।" विनोबा के अनुसार नई तालीम के बुनियादी तत्व और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझ ले तो अनुभव और कृति द्वारा शिक्षण ही शिक्षा की सही और विवेकी पद्धति है। जीवन के लिए, जीवन के द्वारा अहिंसक शिक्षा ही 'जीवन शिक्षा' है।

सा विद्या या विमुक्तये ।

नई तालीम जीवन शिक्षण है, जो मुक्ति की ओर अग्रेषित करता है। खुलापन और मुक्तता के एहसास को जगाती है। हर चीज जानने, समझने और अनुभूति करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुक्तता ही विद्या और ज्ञान को आत्मसात करती है। ज्ञान के संक्रमण के साथ-साथ सृजन करना और ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं को, सिद्धांतों को, तत्वों के द्वारा उजागर करना ही सच्ची शिक्षा है।

नई तालीम शिक्षा प्रणाली में इन तत्वों को सहजता से पाठ्यक्रम और अभ्यासक्रमों में पिरोया गया है। जिससे व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व को निखारने का मार्ग सहज हो जाता है। काम के साथ-साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ काम करने से विद्याओं को समझने में, जानने में, प्राकृतिक जिज्ञासाओं को पूरा करने में सहजता आती है। मन-मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का समग्र और एकीकृत विकास करने से हमें अवकाश मिलता है। यही नई तालीम की मौलिकता है।

आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः ।

“विश्व से हर दिशाओं से ज्ञान हमारे पास आये।”
 ऐसी व्यवस्था हमें शिक्षा प्रणाली में करने की जरूरत है।
 मन-मस्तिष्क, शरीर और आत्मा जिसे गांधीजी द्वारा
 स्थापित 3h- head, hand, heart की उपमा दी है। किन्तु
 वैश्विक स्तर पर जो बदलाव, परिवर्तन और नई
 व्यवस्थाओं को गढ़ा जा रहा है। उसे समझते हुए शिक्षा को
 और भी व्यापक और विस्तारित स्वरूप में देने की जरूरत
 है। गुणवत्तापूर्ण सार्थक शिक्षा के जो प्रयोग जिला परिषद्
 और सरकारी स्कूलों के साथ किये गए उससे
 मन-मस्तिष्क शरीर और आत्मा के साथ और कई तत्वों
 को समग्रता के साथ समझा गया। स्वास्थ्य सचेतना
 (Social] environment Health consciousness),
 मानवीयता (Humanity), आदरभाव और आशा-उम्मीद
 जैसे तत्वों को भी अंगिकारना जरूरी हो गया। इस नई
 तालीम का दायरा बढ़ गया है। अब सात H तक का हो
 गया। शिक्षा में इन 7-H को आधार बनाया जा सकता है।
 आंतरिक और बाह्य तत्वों के आधार पर परिपूर्णता लायी जा
 सकती है। शिक्षा, अगर बदलाव के प्रति, या कुछ करने के
 प्रति उम्मीद नहीं जगा सकेगी; तो शिक्षा अर्थहीन हो
 जाएगी। मन-मस्तिष्क, शरीर, आत्मा, स्वास्थ्य, मानवीयता,
 आदरभाव और उम्मीद-आशा जीवन शिक्षण के तत्वों का
 समग्र दर्शन शिक्षा का अभिन्न अंग बन जाता है।

नई तालीम के सात तत्व:

नई तालीम के सात तत्व महत्वपूर्ण हैं जिससे ‘दर्शन’ बन
 जाता है। जो जीवन की सार्थकता और अहमियत का दर्शन
 कराता है।

- गांधी ने ज्ञानतत्व जो सामाजिक जीवन की दृष्टि से
 रखे थे। वे शिक्षा से भी जुड़ जाते हैं। शिक्षा का यह
 मॉडल हमें नई तालीम की दिशा तथा दर्शन प्रस्तुत
 करता है।
- Head (मन-मस्तिष्क) बौद्धिक और ज्ञान का समग्र
 विकास। काम के साथ ज्ञान।
- Hand (तन, शरीर) हाथ और शरीर के साथ

कृतिशीलता, कार्य जिसके आधार पर काम के साथ
 संपदा।

- Heart (हृदय, आत्मा) आत्मीयता, भावनात्मक,
 संवेदना और मानसिक तथा आपसी संबंधों का
 विकास।
- Health (स्वास्थ्य) सामाजिक, सांस्कृतिक,
 पर्यावरणीय और आर्थिक स्वास्थ्य के प्रति संचेतना।
 सामाजिक पर्यावरणीय समझ ही शिक्षा का अभिनव
 अंग हैं। (नैतिकता के साथ व्यवहार) सुदृढ़, स्वस्थ
 और उन्नत समाज के लिए जरूरी है।
- Honour (सम्मान, गौरव, आदर) आदरभाव व्यक्ति,
 समाज और प्रकृति के प्रति आदरभाव और संबद्धों में
 विकास, विचार और तत्वों का आदर।
- Humanity (मानवीयता) सामाजिक सांस्कृतिक धारा
 को समझते हुए जय-जगत या वसुधैव कुटुंबकम को
 समझना होगा वैश्विक कल्याण का यह विचार और
 तत्व। इंसानियत और अपनापन समानाभूति के लिए
 जरूरी है।
- Hope (आशा/उम्मीद) आध्यात्मिक, भौतिक और
 जैविकता के आधार पर हर बदलाव और नव निर्माण
 करने की आशा-उम्मीद जगाना। नये विचार के साथ
 समाज को गढ़ना।

इन सात तत्वों को हम कई ऐसे और जीवन की
 संकल्पनाओं और सिद्धांतों को जोड़ सकते हैं। ये हैं -
 सत्य, अहिंसा, समता, विविधता, शांति-अमन, सामाजिक
 न्याय और शाश्वतता। जो जीवन की परिपूर्णता लगती हैं।
 पूर्णतः का यह दर्शन शिक्षा के माध्यम से परिपूर्णता की
 ओर जाता है।

सम्पर्क

मंत्री, नई तालीम समिति,
 सेवाग्राम-वर्धा (महाराष्ट्र)
 मो. 9699127401

उधार की संस्कृति



पूजा खिल्लन

कहते हैं संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे मनुष्य की आत्मा की उन्नति होती है। मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठतम उपलब्धि का नाम ही संस्कृति है। कुल मिलाकर मनुष्य की मानसिक प्रज्ञा का क्रियात्मक रूप संस्कृति है। किंतु संस्कृतियों के समानांतर कई अपसंस्कृतियाँ जन्म ले लेती हैं जिन्हें संस्कृति समझने की भूल हम अक्सर कर बैठते हैं। जिस तरह संस्कृतियाँ कई वर्षों के व्यवहार के बाद जीवन का अंग बनती हैं और इनके पीछे कई सकारात्मक पीढ़ियों का संघर्ष रहता है उसी प्रकार अपसंस्कृतियों को भी जीवन व्यवहार का अंग बनाने के लिए नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रयास और ऊर्जा लगाती हैं। बचपन में पिता द्वारा कहा एक वाक्य अक्सर दिमाग में कौंधता है 'कर्ज पाप है और इससे प्रतिभा विनष्ट होती है'। महाभारत में भी बताया गया है कि कर्ज से हानि होती है, किंतु आज उधार हमारे जीवन-व्यापार और संस्कृति का अंग बनता जा रहा है जिससे देश और समाज को हानि ही नहीं पहुँच रही बल्कि अंदर ही अंदर उसकी नींव भी खोखली हो रही है। जाहिर है इसके पीछे कई नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हैं। पर जब कभी वर्तमान पर संकट गहराता है मनुष्य अपने अतीत से सबक लेता है। बाप-दादाओं द्वारा कहे गए कथन उसका मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय संस्कृति को यदि समझना हो तो हजारिप्रसाद द्विवेदी के साहित्य को पढ़ना और गुनना चाहिए। बहरहाल बात हो रही है उधार की संस्कृति की जो वास्तव में एक अपसंस्कृति है लेकिन आज एक संस्कृति में तब्दील हो रही है। बात करें सन 2008 की विश्व मंदी की जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय भी भारत में क्रेडिट

कार्ड या उधार की संस्कृति ने अपने पैर उतने नहीं जमाए थे। भारतीय समाज अगर उस मंदी से उभर सका तो उसके पीछे उसकी बचत की मानसिकता और उस कछुआ धर्म का निर्वाह करना था जिसका निर्वहन करते हुए भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। आज हम कछुआ धर्म भूलकर खरगोश की गति को अपना रहे हैं जबकि विकास एक धीमी प्रक्रिया है। विकास और ग्रोथ में फर्क है। विकास चहुंमुखी होता है जबकि ग्रोथ एकांगी होती है।

जीडीपी में ग्रोथ के आंकड़ें वास्तविक विकास का परिचायक नहीं हैं। ये सब पूँजीपतियों की सोची-समझी साजिश है जो विकास के नाम पर समाज के एक वर्ग की ग्रोथ का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हैं जबकि गरीब आज भी गरीब है बल्कि और गरीब होता जा रहा है चूँकि हमने अब भी बेरोजगारी, अशिक्षा, मँहगाई, आदि से जूझने वाले गरीब-गुरबों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं दी हैं। हम उनसे न्याय नहीं कर पाए हैं। हमने एक न्यायसंगत व्यवस्था नहीं बनाई है बल्कि ऐसी पूँजीवादी व्यवस्था को पोसा है जो विकास के नाम पर केवल गरीब जनता का शोषण करना जानती है। इसके पीछे यही उधार की संस्कृति है जो उदारीकरण के नाम से 1990 से प्रकाश में आई और आगे चलकर भूमंडलीकरण में रुपांतरित हुई। जिसे कुछ बुद्धिजीवियों ने अमेरिकीकरण का नाम दिया। इस अमेरिकीकरण के कारण विश्व के तमाम देशों में पूँजी का प्रवाह अचानक फैला और यहीं से उधार एवं क्रेडिट कार्ड की संस्कृति को बल मिला या इसने अपने पैर तीसरी दुनिया के देशों में जमाने शुरू किए। जैनेन्द्र कुमार ने अपने बाजार दर्शन निबन्ध में यह बताने का प्रयास किया है कि पूँजी चंचल होती है और बिना जरूरत के इच्छा को जन्म

देने में सक्षम होती है इस बात को घोर पूंजीवादी लोगों ने पूंजी के प्रवाह को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया कि यदि पूंजी को बढ़ाना है तो उधार लो और उधार दो और यह प्रयास किया कि भारतीय मानस इस बात को बिल्कुल भुला दे कि भारतीय संस्कृति वास्तव में अपरिग्रह पर बल देना सिखाती है। लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास 'परीक्षा गुरु' जिसे हिंदी का पहला उपन्यास भी कहा जाता है में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि प्रामाणिक मनुष्य वह है जो आमदनी और खर्च के अनुपात को जानता है तथा सावधान मनुष्य वह है जो देशी और विदेशी के फर्क को जानता है। यह वह समय था जब देश में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी और उनका बहिष्कार किया गया था। आज हम विदेशी खरीदारी को स्टेट्स सिंबल मानते हैं। आज हम ऊपरी तौर पर संपन्न दिखाई दे रहे हैं और प्रदर्शनप्रियता की होड़ में कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी इमारतों और फैक्ट्रियों की आधारशिला कर्ज है। इस उदारीकरण या उधारीकरण के प्रभाव कोरोना जैसी देशव्यापी समस्या के दौरान और उभरकर हमारे सामने आए जब देश में कई व्यापारियों ने व्यापार में घाटे के कारण आत्महत्या की। प्राइवेट नौकरियाँ करने वाले भी प्रभावित हुए। कई परिवार बिखर गए और इस बुरे दौर की चपेट में आकर समाप्त हो गए। इससे पूर्व नोटबंदी में भी इसका असर दिखा। तब भी हम सावधान नहीं हुए या चेते नहीं। आज हम हर अच्छी चीज से दूर हैं। हमारे खानपान से लेकर जीवनशैली तक सब कुछ दूषित है। पर्यावरणिक संतुलन को हमने छिन्न - भिन्न कर डाला है। कुछ ऐसा नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके, ये सब कुछ उधार की इसी अपसंस्कृति की देन है। पहले जो पीढ़ी दाल, सब्जी और घर में बनी चटनी को भोजन के रूप में पाकर स्वस्थ और दीर्घजीवी होती थी वह आज पिज्जा, बर्गर और चाऊमीन जैसे फास्टफूड को खाकर नई एवं असाध्य बीमारियों की चपेट में है। कल तक जिन हाथों में किताब हुआ करती थी वह पीढ़ी लैपटॉप और मोबाइल से अपनी दुनिया को संचालित होते देख रही है जिससे रिश्ते नातों की बलि चढ़ रही है। अब केवल लाभ हानि से संचालित होकर बनने वाले सम्बन्ध हमारे जीवन का आधार है। सच्चा प्रेम, मित्रता, भाईचारे की जगह गला काट प्रतियोगिता ने मनुष्य को मनुष्य के प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा किया है। यह सचमुच मनुष्य जाति की बहुत बड़ी हानि है जिसमें मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध खड़ा है। यह सब विचारणीय बिंदु है। उधारीकरण के और भी गंभीर

दुष्परिणाम निकले हैं जिन्हें हमने देखकर भी अनदेखा किया है। जैसे किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएँ, बड़े पैमाने पर फैली असमानता और बदहाली जिससे पूँजीपति और अमीर हुए तथा गरीब और गरीब। गांधीजी ने जिन लघु और कुटीर उद्योगों को आधुनिक भारत का मन्दिर कहा था और जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को पुष्ट करते थे उन्हें भी हमारे द्वारा इस तथाकथित विकास की बलि चढ़ना पड़ा। आज हमने अपने स्वावलंबन को गिरवी कर दिया इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत तब भी उतना गरीब नहीं था जब अंग्रेजों ने इस देश की दौलत, सोना और भौतिक संसाधनों को लूटा था बल्कि अब वास्तव में गरीब हो गया जब इसने अपनी आत्मा और स्वाभिमान के साथ समझौता किया। काशीनाथ सिंह के द्वारा नामवर सिंह पर लिखे एक लेख का शीर्षक है 'गर्वीली गरीबी', तब की गरीबी आज गलत तरीकों और अन्याय की व्यवस्था को बढ़ावा देकर कमायी गई दौलत से कई गुना बेहतर थी। आज हम जिसे अपना अच्छा भाग्य कहकर इतराते हैं और इस पाप की मूल संस्कृति का गुणगान इस रूप में करते हैं कि हमारे बाप-दादा तो बहुत कम वेतन पाते थे और हम तो इतना कमाते हैं या हमारे बाप दादा तो कभी साईकिल से आगे नहीं बढ़े थे और हम एयर कंडीशनर गाड़ी में घूमते हैं। ऐसा कहते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारे पुरखों ने अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया था वह उनकी नैतिकता और ईमानदारी से कमाई गई गाढ़ी कमायी थी जिसे उन्होंने अपने स्वाभिमान को बेचकर नहीं बल्कि संघर्षों की भट्टी में तपकर कमाया था। हम भूल चुके हैं 'रघुवीर सहाय ने देश के पूँजीपतियों को नहीं इस देश की गरीब जनता को इसका भाग्य विधाता बताया था। उन्होंने लिखा 'राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है फटा सुथन्ना, पहले जिसका गुण हरचरना गाता है।' अब भी देर नहीं हुई है हमें तय करना होगा हमारा भाग्य निर्माता कौन है स्वयं हमारा पुरुषार्थ या फिर इस देश में नई नई दौलत देखने वाले ये पूँजीपति और उद्योगपति जो हमें गलत ढंग से अर्जित की जाने वाली धन-दौलत का चस्का लगाकर हमारी वास्तविक अस्मिता को नष्ट करने में लगे हैं।

संपर्क : 141, चौथी मंजिल,

एन. के. एस. अस्पताल के नजदीक,
संजय नगर, गुलाबी बाग, दिल्ली-110007

मो. 9971284476

गांधीजी के जीवन की झलक दांडी कुटीर में

गुजरात जीवंत संस्कृति और अपनी वेशभूषा के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही लोकप्रिय है अपने पर्यटन स्थलों के लिए। पोरबंदर में जन्मे गांधीजी को अहमदाबाद से खास लगाव था, यही कारण है वहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस भारत लौटने के बाद यही उनका निवास स्थान था। कस्तूरबा भी वही रहती थीं। दोनों के कक्ष वहाँ देखे जा सकते हैं। साबरमती या जिसे अब गांधी आश्रम कहा जाता है, का सारा वातावरण ऐसा आभास देता है जैसे मानो बापू कहीं आसपास ही हैं। इसमें स्थित संग्रहालय में गांधीजी से जुड़ा तमाम साहित्य उपलब्ध हैं।

गांधीजी के जीवन से जुड़े दुर्लभ चित्र और पेंटिंग्स देख लगता है जैसे गांधीजी अभी भी हमारे बीच हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम 25 मई, 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया था। इस आश्रम को 17 जून, 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। साबरमती नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस आश्रम को 'साबरमती आश्रम' नाम दिया गया। साथ ही इस आश्रम को 'हरिजन आश्रम' और 'सत्याग्रह आश्रम' के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 से 1930 तक साबरमती आश्रम में निवास किया। 12 मार्च, 1930 को यहीं से गांधीजी ने नमक आंदोलन के लिए उठाए गए कदम दांडी मार्च की शुरुआत की थी। उन्होंने इसी आश्रम में कपड़े को कातना और बुनना शुरू किया था। गांधीजी एवं उनके साथी देश की आजादी के लिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहीं बैठकर योजना बनाते थे।

यह आश्रम तीन अद्भुत स्थलों से घिरा हुआ है, एक ओर विशाल पवित्र साबरमती नदी, है तो दूसरी तरफ श्मशान घाट है और एक तरफ जेल है। गांधीजी यहाँ रहने वालों को सत्याग्रही कहते थे। उनका मानना था सत्याग्रही के पास जीवन में दो ही विकल्प होते हैं, जेल जाना या जीवन समाप्त करके श्मशान जाना।



सुमन बाजपेयी

दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम 25 मई, 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया था। इस आश्रम को 17 जून, 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। साबरमती नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस आश्रम को 'साबरमती आश्रम' नाम दिया गया। साथ ही इस आश्रम को 'हरिजन आश्रम' और 'सत्याग्रह आश्रम' के नाम से भी जाना जाता है।



आश्रम का मुख्य स्थल हृदय कुंज है, जहाँ बापू रहा करते थे। यहाँ गांधीजी की प्रयोग की जाने वस्तुओं को आज भी सहेज कर रखा गया है। उनके द्वारा उपयोग की गई मेज, चरखा, उनका खादी का कुर्ता एवं स्वयं गांधीजी द्वारा लिखी गई कुछ चिट्ठियाँ को सहेज कर रखा गया है। आश्रम में प्रार्थना के लिए गांधीजी ने मुख्य रूप से मगन निवास एवं हृदय कुंज के बीच उपासना मंदिर नाम का स्थान बनवाया था, वह यहाँ प्रार्थना किया करते थे।

संग्रहालय को पाँच इकाइयों में बाँटा गया है— एक पुस्तकालय, दो फोटो गैलरी और एक सभागृह है। इस संग्रहालय में एक स्थान है जिसे “माय लाइफ इज माय मेसेज गैलरी” कहते हैं। इसमें उनके जीवन से जुड़ी विशाल 8 पेंटिंग्स हैं, जिसमें उनके जीवन की कहानी करीब से देखी जा सकती है।

वहाँ से गांधी नगर जाने के लिए बहुत साफ-सुथरी, चौड़ी सड़कें हैं। आजादी के बाद आज का गुजरात बम्बई का हिस्सा था, तो 1947 से 1960 तक राजधानी बम्बई ही थी। फिर 1 मई 1960 को गुजरात नया राज्य बना तब अहमदाबाद ही राजधानी बनी पर साथ में गांधीनगर नाम का नया शहर भी बन रहा था। अहमदाबाद पुराना एवं

ज्यादा तंग शहर होने के कारण नया शहर जो अहमदाबाद के पास ही हो, बनाने की जरूरत पड़ी। और इसीलिए 1970 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थानांतरित कर दी गई।

जब गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ था तब महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अभी तो अहमदाबाद को उसकी राजधानी बना लो, पर बाद में एक नया शहर बसाना होगा। गांधीनगर जो एक गाँव था, उस पर 1965 में अधिग्रहण कर शहर विकसित किया गया। गांधीनगर में लेकिन गांधीजी से जुड़ी कोई चीज नहीं थी। तब सचिवालय में उनकी एक मूर्ति लगाई गई। लेकिन फिर लगा कि मात्र मूर्ति लगाने से तो नई पीढ़ी उन्हें याद नहीं रख पाएगी। पहले इसलिए यहाँ एक महात्मा मंदिर बनाया गया और फिर 2014 में दांडी कुटीर बनाया गया।

दांडी कुटीर का प्रवेश एक हैरत करने वाले चमत्कार की तरह है। शांति, सुकून और सफाई—तीनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। दांडी कुटीर, महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षाओं पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र संग्रहालय है। गांधीजी के शुरुआती जीवन की झलक को ऑडियो-विजुअल की मदद से खूबसूरती से चित्रित किया

गया है। संग्रहालय को विशेष रूप से महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित और परिष्कृत तकनीक के साथ बनाया गया है जिसमें ऑडियो, वीडियो और 3-डी दृश्य, 360 डिग्री शो और डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है।

दांडी कुटीर एक 41 मीटर ऊँचे शंकु के आकार वाले गुंबद के अंदर स्थित है जो नमक के ढेर का प्रतीक है। यह नमक का टीला 1930 के ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ गांधीजी के प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 का प्रतिनिधित्व करता है। जब गांधीजी ने 1930 में अहमदाबाद में 361 किलोमीटर की दांडी यात्रा

ट्रेन में बैठे हुए पल भर को भी नहीं लगता कि ट्रेन चल नहीं रही। वह चलती है और सामने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक दृश्य भी चलता है। यह वही ट्रेन थी जिसमें बैठकर गांधीजी बनारस गए थे और इस विश्वविद्यालय के उस समारोह में हिस्सा लिया था, जब उसकी नींव रखी जा रही थी। दोनों तरफ खिड़कियों से दिखाई देने वाले नजारे जहां एक कौतुहल पैदा करते हैं, वहीं जब ट्रेन से उतरते हैं तो लगता है कि जैसे किसी वास्तविक स्टेशन पर ही खड़े हैं।

की थी और जो आजादी पाने का एक मजबूत आधार बनी थी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, एक टीला बनाया गया है जो नमक के टीले का प्रतीक है।

आप हिंदी, अंग्रेजी या गुजराती भाषा में ऑडियो सुन सकते हैं। उसके हिसाब से हेडफोन दिए जाते हैं, जो सेंसर से जुड़े होते हैं। इसमें ऑडियो गाइड सिस्टम लगा है यानी आप जिस भी पोस्टर के सामने रुकते हैं, उसके बारे में आप इसमें सुन सकते हैं। देखा जाए तो यह यह एक सेल्फ गाइड म्यूजियम है।

नवीनतम तकनीक से युक्त ऐसा म्यूजियम और कोई नहीं है। 10,700 वर्ग मीटर में फैले इस संग्रहालय में 40.5 मीटर का सॉल्ट म्यूजियम है। इससे जब बाहर आते हैं तो लगता है मानो गांधीजी की पोरबंदर से दिल्ली तक की पूरी यात्रा देखकर आए हैं। इसमें 14 प्रकार के मल्टीमीडिया हैं

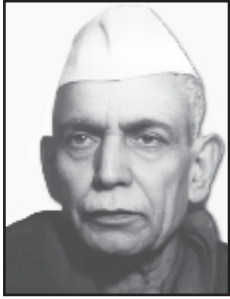
और इस यात्रा की शुरुआत तीसरे फ्लोर से होती है, फिर दूसरे व पहले फ्लोर पर आते हैं। यह संग्रहालय मात्र गांधीजी की जीवनी ही प्रस्तुत नहीं करता है, वरन उनके विचारों व आदर्शों को समझा पाना ही इस जगह का उद्देश्य है।

तीसरे फ्लोर पर बचपन से लेकर उनके लंदन पढ़ने जाने की यात्रा दर्शाता है, दूसरे फ्लोर पर लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा का वर्णन है और पहले फ्लोर पर एक ट्रेन है। ट्रेन में बैठे हुए पल भर को भी नहीं लगता कि ट्रेन चल नहीं रही। वह चलती है और सामने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक दृश्य भी चलता है। यह वही ट्रेन थी जिसमें बैठकर गांधीजी बनारस गए थे और इस विश्वविद्यालय के उस समारोह में हिस्सा लिया था, जब उसकी नींव रखी जा रही थी। दोनों तरफ खिड़कियों से दिखाई देने वाले नजारे जहां एक कौतुहल पैदा करते हैं, वहीं जब ट्रेन से उतरते हैं तो लगता है कि जैसे किसी वास्तविक स्टेशन पर ही खड़े हैं। सब कुछ एक तिलिस्म की तरह लगता है। एक अलग ही दुनिया है यह और यह दुनिया है गांधीजी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा की जो बसी है दांडी कुटीर में।

इसमें विभाजन व आजादी का एक हिस्सा है। वीडियो चलता है और कहानी ऑडियो में सुन पाते हैं। उसका कंसेप्ट यह है कि एक तरफ तो हम इस बात से खुश हैं कि हमें आजादी मिल रही है, दूसरी ओर विभाजन का दर्द भी है। वहाँ एलईडी लगी हैं। एक तरफ पूरा शीशा है और दूसरी तरफ विभाजन का प्रतीक टूटा शीशा। दिलचस्प बात तो यह है कि उसके लिए एक-एक मिलीमीटर का माप लेकर इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है। यहां जो भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है वह एक कंसेप्ट और स्टोरी से संबंधित है जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है।

संपर्क: 12, एकलव्य विहार, सेक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली-110085

माखनलाल चतुर्वेदी की कविता



निःशस्त्र सेनानी

‘सुजन, ये कौन खड़े हैं?’ बंधु!
नाम ही है इनका बेनाम,
‘कौन-सा करते हैं ये काम?’
काम ही है बस इनका काम।

‘बहन-भाई’, हाँ कल ही सुना,
अहिंसा, आत्मिक बल का नाम,
‘पिता!’ सुनते हैं श्री विश्वेश,
‘जननि?’ श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम।

हिलोरें लेता भीषण सिंधु
पोत पर नाविक है तैयार,
घूमती जाती है पतवार,
काटती जाती पारावार।

‘पुत्र-पुत्री हैं?’ जीवित जोश,
और सब कुछ सहने की शक्ति;
‘सिद्धि’-पद-पदों में स्वातंत्र्य-
सुधा-धारा बहने की शक्ति।

‘हानि?’ यह गिनो हानि या लाभ,
नहीं भाती कहने की शक्ति,
‘प्राप्ति?’-जगतीतल का अमरत्व,
खड़े जीवित रहने की शक्ति।



विश्व चक्कर खाता है
और सूर्य करने जाता विश्राम,
मचाता भावों का भू-कंप,
उठाता बाँहें, करता काम।

‘देह?’-प्रिय यहाँ कहाँ परवाह
टँगें शूली पर चर्मक्षेत्र,
‘गेह?’-छोटा-सा हो तो कहूँ
विश्व का प्यारा धर्मक्षेत्र!

‘शोक?’-वह दुखियों की
आवाज कँपा देती है मर्मक्षेत्र,
‘हर्ष भी पाते हैं ये कभी?’-
तभी जब पाते कर्मक्षेत्र।

फिसलते काल-करों से शस्त्र,
कराली कर लेती मुँह बंद;
पधारे ये प्यारे पद-पद्म,
सलोनी वायु हुई स्वच्छंद!

‘क्लेश?’-यह निष्कर्षों का साथ
कभी पहुँचा देता है क्लेश;
लेश भी कभी न की परवाह
जानते इसे स्वयम् सर्वेश।

‘देश?’-यह प्रियतम भारत देश,
सदा पशु-बल से जो बेहाल,
‘वेश?’-यदि वृंदावन में रहे
कहा जावे प्यारा गोपाल!

द्रौपदी भारत माँ का चीर,
बढ़ाने दौड़े यह महाराज,
मान लें, तो पहनाने लगूँ,
मोर-पंखों का प्यारा ताज!

उधर वे दुःशासन के बंधु,
युद्ध-भिक्षा की झोली हाथ;
इधर ये धर्म-बंधु, नय-सिंधु,
शस्त्र लो, कहते हैं-‘दो साथ।’

लपकती हैं लाखों तलवार,
मचा डालेंगी हाहाकार,
मारने-मरने की मनुहार,
खड़े हैं बलि-पशु सब तैयार।

किंतु क्या कहता है आकाश?
हृदय! हुलसो सुन यह गुंजार,
‘पलट जाये चाहे संसार,
न लूँगा इन हाथों हथियार।’

‘जाति?’-वह मजदूरों की जाति,
‘मार्ग?’ यह काँटोंवाला सत्य;
‘रंग?’-श्रम करते जो रह जाय,
देख लो दुनिया भर के भृत्य।

‘कला?’-दुखियों की सुनकर तान,
नृत्य का रंग-स्थल हो धूल;
‘टेक?’-अन्यायों का प्रतिकार,
चढ़ाकर अपना जीवन-फूल।

‘क्रांतिकर होंगे इनके भाव?’
विश्व में इसे जानता कौन?
‘कौन-सी कठिनाई है?’-यही,
बोलते हैं ये भाषा मौन!

‘प्यार?’-उन हथकड़ियों से और
कृष्ण के जन्म-स्थल से प्यार!
‘हार?’-कंधों पर चुभती हुई
अनोखी जंजीरें हैं हार!

‘भार?’-कुछ नहीं रहा अब शेष,
अखिल जगतीतल का उद्धार!
‘द्वार?’ उस बड़े भवन का द्वार,
विश्व की परम मुक्ति का द्वार!

पूज्यतम कर्म-भूमि स्वच्छंद,
मची है डट पड़ने की धूम;
दहलता नभ मंडल ब्रह्मांड,
मुक्ति के फट पड़ने की धूम!

केशव शरण की कविताएँ



सपने में भाषा

मैं सपने में
विश्व भ्रमण कर रहा था
भिन्न-भिन्न भेस, भाषा वाले
क्षेत्रों से गुजरता
कब, कहाँ पहुँच जाता था
मैं खुद नहीं समझ पाता था
पर आनंद बहुत आता था
और अनुभूति होती थी
वसुधैव कुटुम्बकम् की

सोचिए तो
होश की उड़ जाए चिन्दी
मुझे सारी भाषाएँ आ रही थीं
और सबको
मेरी भाषा- हिन्दी!

यह जगह

यह जगह
सनराइज प्वाइंट
कही जाती है
अंग्रेजी में

यहाँ से
सूर्योदय का सम्पूर्ण नजारा
पूरी तरह



हिंदुस्तानी है
विविध रंगों में
नदी का पानी है

उगता हुआ सूरज
एक बड़ी-सी गुलाबी बिंदी है
यहाँ चिड़ियाँ जो बोल रही हैं
जिस भाषा में
वह बहुत पुरानी हिंदी है

बतंगड़

फूल को
तोड़ने से मना करना,
भगवान को
हाथ जोड़ने से मना करना
नहीं है

यह बात का
बतंगड़ है
व्यर्थ का बहकना है

खुद से टपके फूल उठाओ
धोओ और चढ़ाओ
बस इतना कहना है
महात्मा गाँधी जी का

शहर में कोयल

कोयल के पास
कोयल की भाषा है
कोयल की भाषा में ही
कोयल से बात कर सकते हो
कोयल की भाषा
जंगल की भाषा है
वह पिंजरे में भी
कू-कू ही बोलेंगी



वह तोता नहीं है कि
संस्कृत का श्लोक बोले
और कहे राम-राम
सवेरे-शाम
तुम्हारे साथ

जंगल की भाषा
नैसर्गिक आजादी की भाषा है
वह एक गाती भाषा है
जिसके गीत सुनाने
कोयल जंगल से
गाँवों में जाती है
शहरों में आती है

साइबेरियन पंछी

पंछी नहीं हैं हम
हमें पासपोर्ट चाहिए

हम उनकी भूमि पर नहीं उतर सकते
बिना पासपोर्ट के
वे हमारी गंगा में
अठखेलियाँ कर रहे हैं

वे उन्मुक्त हैं
लेकिन उनके यहाँ के लोग नहीं
उनके यहाँ के लोग भी
हमारी तरह ही बँधे हैं

गनीमत है कि
उनके यहाँ के लोगों की तरह
हम नहीं
युद्ध में फँसे हैं

गुनगुनी धूप में
काशीराज का किला देखते
आराम से
घाट पर बैठे हैं



सम्पर्क:

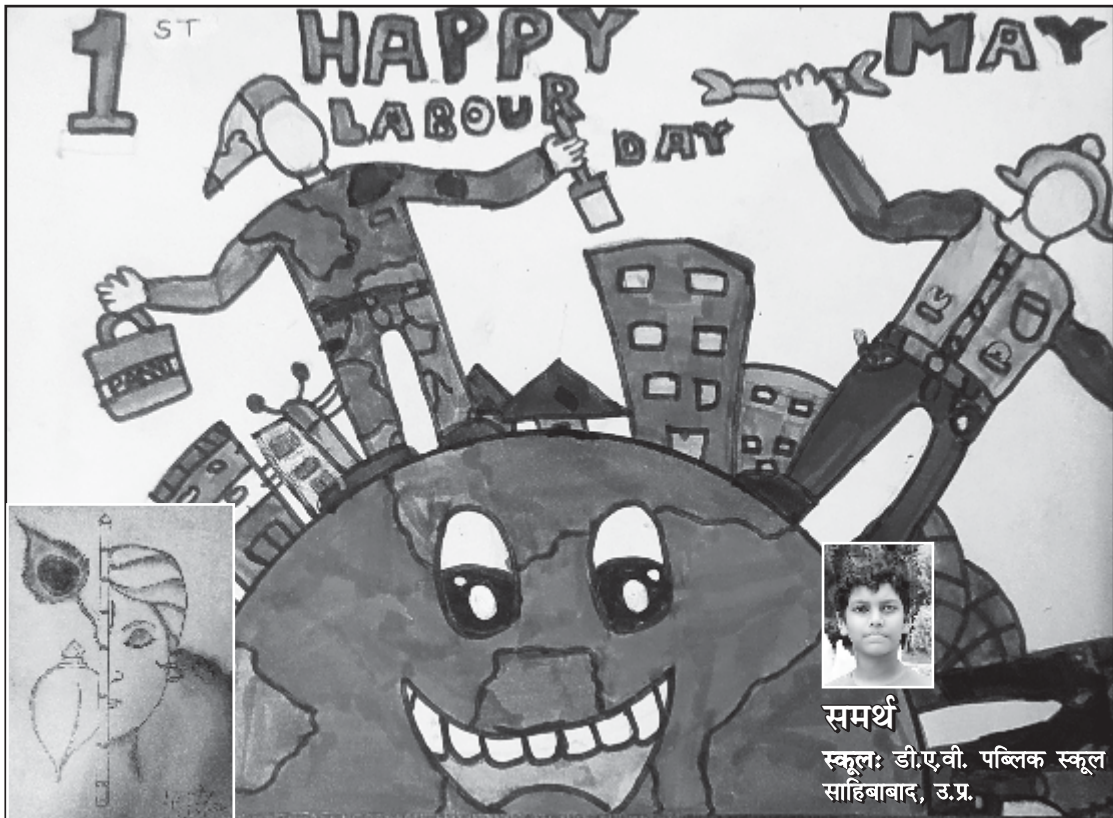
एस 2/631-3 के के
कुंज विहार कॉलोनी, सेंट्रल जेल रोड
सिकरौल, वाराणसी 221002

9580619244

फोटो में गांधी



चित्रकारी



गांधी क्विज-6

प्रश्न 1. बंगाल विभाजन कब हुआ ?

1. 1901
2. 1902
3. 1904
4. 1905

प्रश्न 2. निम्न में से कौनसा तत्व गांधीजी के एकादश व्रत में शामिल नहीं है?

1. अहिंसा
2. अभय
3. अपरिग्रह
4. धरना

प्रश्न 3. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब हुआ?

1. 1913
2. 1914
3. 1915
4. 1916

प्रश्न 4. चंपारण में किसानों की दुर्दशा को जानने के लिए गांधीजी प्रथम बार मोतिहारी कब पहुँचे?

1. 14 अप्रैल 1916
2. 14 अप्रैल 1917
3. 15 अप्रैल 1917
4. 16 अप्रैल 1917

प्रश्न 5. कौन से आन्दोलन के दौरान प्रथम बार गांधीजी वल्लभ भाई पटेल से मिले?

1. असहयोग आन्दोलन
2. चंपारण आन्दोलन
3. खेड़ा आन्दोलन
4. अस्पृश्य आन्दोलन

प्रश्न 6. रोलेट एक्ट कब लागू हुआ?

1. 1917
2. 1918
3. 1919
4. 1920

प्रश्न 7. गांधीजी ने कहाँ से वस्त्रों का त्याग कर लंगोटीनुमा धोती पहननी आरम्भ कर दी?

1. मद्रास
2. कन्याकुमारी
3. मदुरै
4. कटक

प्रश्न 8. गांधीजी ने कितने रचनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की?

1. 11
2. 16
3. 17
4. 18

प्रश्न 9. ब्रिटिश सरकार ने कौन से समझौते के तहत नमक कानून वापस लिया?

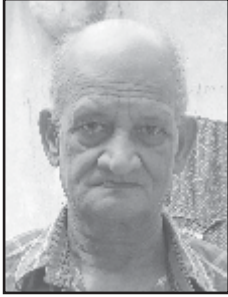
1. पूना पैक्ट
2. गांधी इरविन समझौता
3. गोलमेज समझौता
4. शिमला समझौता

प्रश्न 10. 30 जनवरी 1948 को गांधीजी ने किसके साथ अंतिम मुलाकात की थी?

1. सरदार पटेल
2. महादेव देसाई
3. अरुण रॉय
4. सुशीला नय्यर

नोट: आप गांधी क्विज के उत्तर antimjangsds@gmail.com पर भेज सकते हैं।
प्रथम विजेता को उपहार स्वरूप गांधी साहित्य दिया जायेगा।

बट्टी प्रसाद वर्मा अनजान



गाय हमारी माता है

सदियों से इससे नाता है
गाय हमारी माता है।
रोज दूध देती बाल्टी भर
देख कर मन खुश हो जाता है।

मक्खन पनीर खोआ रबड़ी
सब इससे बन जाता है।
दही घी इसके दूध से
हमको सब मिल जाता है।

गोबर से उप्पल बनता है
जो जलाने के काम आता है।
अब तो इसका पेशाब
बाजार में बिक जाता है।

हर किसान के घर की शोभा
गाय बढ़ती रहती है।
गाय के गोबर से खाद
खूब अच्छी बनती है।

भूसा चोकर खली दरी
दाल का खंडा चाव से खाती है।
बरसीम घास बाजरा मक्का का
हरा चारा मन भाती है।



सम्पर्क

गल्ला मंडी गोलाबाजार 273408
गोरखपुर उ. प्र.
मो. 983891183

जुलू का जोश

संदीप पांडे “शिष्य”

जुलू को हर समय कुछ न कुछ करने का शौक था। आराम से वह बैठ नहीं सकता था। रविवार की सुबह थी। आज, उसका मन हुआ कि चलो जरा बाहर घूमकर आओ। मां ने कहा था कि अभी छोटे हो। दो चार दिन रूको। जिधर भी जाना है। हमारे बगैर मत जाना। बाहर खतरा है। लेने के देने पड़ सकते हैं। जुलू ने उस समय तो बहुत ही समझदार बच्चे की तरह गरदन हिलाकर कह दिया। “जी मां ठीक है। मैं आपका कहना मानूंगा।” मगर, नहीं।

आज जुलू ने फिर वही किया। उसने मौका देखकर बाहर कदम रख ही दिया। इतना सुहाना मौसम था कि उसे मजा आ गया। बाहर की हवा में पलकें झपकाते हुए, उसने अपनी पूंछ को हिलाया डुलाया। दो-तीन बार म्याऊँ-म्याऊँ की आवाज की। अपनी मीठी आवाज जुलू को बेहद अच्छी लगी। वह अपने आप से बोला, “बाहर का नजारा तो वाकई खूबसूरत है। आहा! आनंद।” आज कुछ अनोखा हो जाये। सोचकर, उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसकी मां ने उसे बच्चा ही समझकर कहा तो है कि वह अभी बच्चा है। उसे शिकार करना ही नहीं आता। मगर सच तो यह है कि मां समझती ही नहीं। उसे सब आता है। वह आज शिकार कर ही लेगा। जुलू ने खुद से फुसफुसाकर कहा। इस तरह उसने खुद का हौसला भी बुलंद कर लिया। कुछेक कदम चला ही था, कि उसे

एक कचरे के ढेर के पास ही एक चूहा नजर आ गया। “आहा! मेरा जायकेदार नाश्ता। वाह वाह यमी।” जुलू अपनी जीभ से टपकती हुई लार को भरसक संभालने की कोशिश कर रहा था। वह खुश था कि कुछ नासमझ और आलसी लोग आज भी इस तरह कूड़ा-कचरा सड़क पर ही फेंक देते हैं। तो मेरे मजे हो जाते हैं। इसे खाने वाले चूहे जो मिल जाते हैं। “सोचकर वह खुशी से भर उठा। मगर उसने देर करना ठीक न समझा। आज बता देगा घरवालों को। वह भी अकेला ही शिकार कर सकता है। यह सोचकर वह चूहे पर पूरी ताकत से झपटा। मगर यह क्या? उछलते ही चूहे की जगह पर उसका सर एक पत्थर पर जा लगा। उसने सर सहलाते हुए देखा कि चूहा तो सड़क के किनारे की एक पतली सी नाली में घुसकर गायब हो गया था। “हैं,, मुझे बेवकूफ बनाता है। अब मजा चखाता हूँ।” ऐसा कहकर जुलू नाली के उस पार चला गया। जुलू को पूरा भरोसा था कि चूहा इधर के रास्ते ही आयेगा। मगर नहीं। चूहा तो आया ही नहीं। उल्टे उस तरफ दो कुत्ते थे। भूखे थे। और जुलू को देखकर शिकारी आखें चौड़ी करके लार टपकाने लगे थे। दोनों एक दूसरे से बोले। सुबह-सुबह ऐसा जायकेदार नाश्ता। वाह! मजा आ गया। जुलू समझ गया था कि वह बुरी तरह फंस गया है। अब तो घरवाले खोजते ही रह जायेंगे, मगर जुलू का अता पता ठिकाना तो इन कुत्तों के पेट में



ही मिलेगा। जुलू के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। गुराते हुए वह दोनों उसकी तरफ झपटने ही वाले थे कि नगर निगम की कचरा गाड़ी तेज तेज आवाज लगाती हुई रूकी। दो आदमी कचरा उठाने बाहर आये। उनको एकदम सामने देखकर कुत्ते चौंककर घबरा गये। इस तरह उनका ध्यान हटा तो फिर होशियार नन्हे से बिलौटे जुलू को पल भर का मौका मिला और वह पूरी ताकत से भाग लिया। अपने घर पहुंच कर ही उसने दम लिया। “अरे जुलू! मैं दूध और ब्रैड लेकर आवाज देती रही। तुम कुछ देर से घर पर नहीं थे। सब ठीक-ठाक है ना। मगर तुम यह इतनी तेज सांस किसलिए ले रहे हो? तुम तो हांफ रहे हो जुलू। बैठकर आराम से सुस्ता लो।”

मां ने फिक्र से कहा। जुलू ने जरा सा शरमाते हुए बताया “ओह मां आज तो रोमांचक सीन हो गया।” इतना कहने के बाद जुलू ने कुछ गहरी सांस ली। फिर कुछ देर बाद सारी कहानी सुना दी। मां गौर से सुन रही थी।

“ओह जुलू! यह खतरनाक था। मगर मैं जानती हूं जुलू कि तुम बहादुर हो। तुम को खुद पर भरोसा है। तुम जीवन में सफल रहोगे जुलू।” मां ने उसे शाबाशी दी। जुलू को यह अच्छा लगा। अब उसे सब याद करके और भी अधिक रोमांचक महसूस हो रहा था।

सम्पर्क:

पुष्कर रोड, कोटडा, अजमेर, राजस्थान

पिन 305004

मो. 9414070143

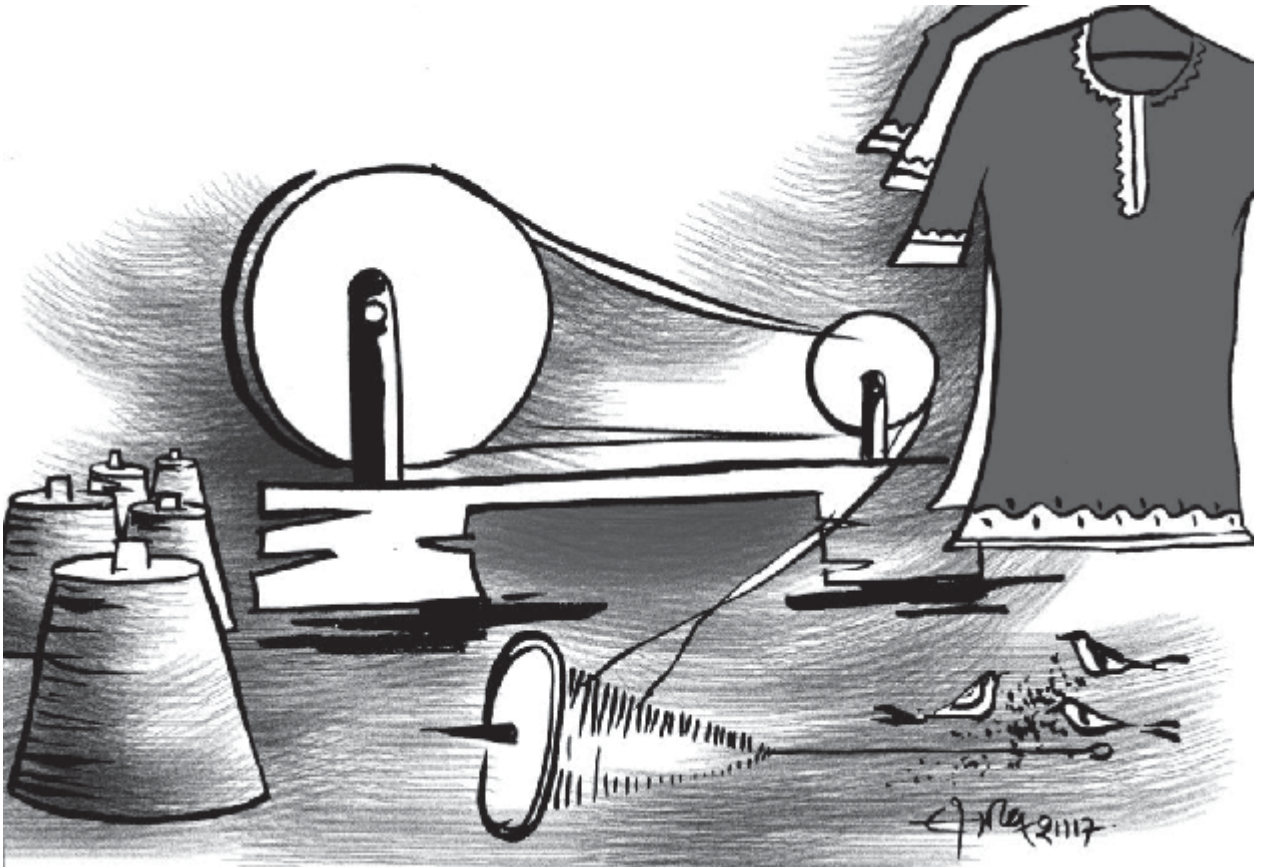
समझदार शिबू

हरीशचंद्र पांडे

शिबू पांचवी कक्षा में पढ़ता था। शिबू के माता-पिता एक कोरियर कंपनी में नौकरी करते थे। माता पिता शिबू की सारी जरूरत पूरी किया करते थे। जैसे कि प्यारी-प्यारी बाल पत्रिका खरीदकर देना। चित्र बनाने के लिए रंगीन पेंसिल देना। मगर शिबू को एक चीज के लिए मना करते थे। दरअसल बात यह थी कि शिबू को घर पर बना दाल चावल चपाती की जगह रोजाना ही छोले भटूरे

या चाट खाने का मन होता था। माता पिता उसे समझाते रहते थे कि जरूरत से अधिक बाहर की बनी चीजें मत खाओ। मगर शिबू इन दिनों कुछ ज्यादा ही जिद करने लग गया था।

आज शिबू इसी बात पर नाराज होकर स्कूल गया। उसको चटपटे पकौड़े खाने थे मगर मम्मी ने उसके लिए मूंग के चीले तैयार कर दिये थे। मम्मी ने समझाया था कि



आज खेल दिवस है। खेलकूद के लिए ताकत चाहिए। तेल में तले हुए पकौड़े शाम को जरूर बना देंगी मगर शिबू गुस्से में पैर पटकता चला गया।

स्कूल जाकर उसका मन बदल गया। खेलकूद का वातावरण था। स्कूल में हरेक छात्र को दूध और बिस्कुट दिये गये। दूध बिस्कुट की ताकत से शिबू ने खेलकूद में भाग लिया। छुट्टी होने तक वह थक कर चूर हो गया था।

वीर उसका सहपाठी था। वीर ने उससे कहा कि, “शिबू बहुत थक गये हो। चलो मेरे घर पर नींबू पानी पी लो।” वीर का घर तो स्कूल से कोई पचास कदम पर ही था। शिबू इतना थका हुआ था कि उसने हामी भर दी।

वीर के घर पर आकर उसे आराम आया। वीर के माता पिता घर पर नहीं थे। शिबू ने उसके घर पर लगे गमले देखे। बड़े-बड़े गमले में खीरे लगे थे।

शिबू खीरे की बेल देखने लगा। वीर ने उसे बताया कि, “पिछले साल जब वह सभी घर से बाहर गये थे तो रसोई में रखा हुआ एक खीरा पककर पीला हो गया। शिबू की मम्मी ने उसे गमले में डाल दिया। उसी से यह पौधा उगा। और खीरे की बेल फैलने लगी। फिर मोटी लकड़ी का सहारा देकर इसे फलने फूलने दिया। अब इसमें खीरे आ गये हैं।”

शिबू को खीरे खाने का मन था। वीर ने उसको एक ताजा खीरा जीरे के नमक से खाने को दिया। शिबू के टिफिन में मूंग के चीले रखे थे। वीर और शिबू ने आनंद लेकर खाये। वीर ने मूंग की दाल के फायदे बताये। उसने बताया कि, “मूंग की दाल से बनी खिचड़ी में बादाम के हलवे के बराबर ताकत होती है।” शिबू उसकी हरेक बात को बहुत ध्यान से सुनता रहा।

फिर शिबू और वीर ने मिलकर नींबू पानी बनाया। उसमे शक्कर और काला नमक मिलाया। शिबू को वह बहुत अच्छा लगा।

शिबू को बातों ही बातों में वीर ने बताया कि वह घर पर बनी दाल और चपाती खाकर हमेशा स्वस्थ रहता है। इसीलिए आज खेलकूद में तीन पदक जीते हैं। शिबू समझ गया था। दरअसल शिबू ने टमाटर खीरा आदि की जगह चाकलेट खाने की आदत डाल ली थी इसलिए वह आज रेस की प्रतियोगिता में सातवें नंबर पर आया था। लंबी कूद भी वह न कर पाया था। कुछ देर बाद शिबू अपने घर चला गया।

शिबू का घर लगभग एक किलोमीटर से जरा कम दूर था। कभी-कभार वह रिव्शा कर लेता था। मगर आज वह हंसते गाते हुए पैदल ही चला गया। कमाल हो गया था। उसे थकान ही नहीं हुई।

वह घर आया और उसने हाथ पैर धोकर कुछ देर अपनी पसंदीदा बाल पत्रिका पढ़ी। उसके बाद वह रसोई में टोकरी से लाल टमाटर निकाल कर उसे नमक से खाने लगा। तभी माता-पिता भी घर आ गये। वह बहुत खुश हुए कि शिबू लाल टमाटर खा रहा है। “इससे खून बढ़ता है और पेट भी ठीक रहता है।” शिबू ने कहा तो यह सुनकर वह दोनों बहुत खुश हुए।

उनके हाथ में बेसन का पैकेट था। मम्मी ने कहा कि, “वह अभी जायकेदार पकौड़े बनाकर खिलायेंगी।” मगर शिबू ने कहा, “मां मैं दाल चपाती ही खाना चाहता हूँ। इसी में ताकत और सेहत का राज छिपा है।” यह सुनकर मम्मी ने शिबू को प्यार से गले लगा लिया। शिबू खुद ही सब समझ गया था। यह एक अच्छी बात थी।

संपर्क:

आर. के. टैण्ट रोड

कुसमखेड़ा, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)

पिन-263141

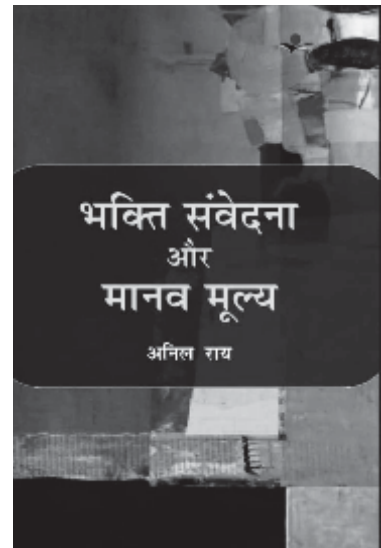
संवेदना और मूल्य के अंतःसूत्रों की तलाश

भारतीय साहित्य में भक्तिकालीन साहित्य की महत्ता इसी से सिद्ध होती है कि भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले प्रत्येक देशी एवं विदेशी आलोचक-चिंतक ने इसे स्वर्णयुग अथवा अति विशिष्ट साहित्यिक-आन्दोलन उद्भव के रूप में देखा है। भक्ति काल संबंधी बहसों में यह तो निश्चित रूप से सिद्ध रहा है कि इसने भारतीय सांस्कृतिक सूत्रों को स्पष्टतः उजागर किया। लोक से उद्भूत इस साहित्य में दार्शनिक चर्चाएँ, साहित्यिक कला वैशिष्ट्य, धार्मिक वैभव, सहित मानवीय मूल्यों एवं जन विमर्शों का गौरवशाली पक्ष समाहित है। इस काल पर लिखी गयी प्रत्येक पुस्तक अथवा आलोचकीय कर्म की विशेषता इसी से सिद्ध होती है कि इस काल के विशिष्ट पहलू को वह किस तरह नई दृष्टि प्रदान करता है। इसी क्रम में प्रसिद्ध चिंतक-विचारक प्रो. अनिल राय की पुस्तक 'भक्ति संवेदना और मानव मूल्य' महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। यह पुस्तक भक्ति संवेदन के उन सूत्रों की भी तलाश है जिसने इसे अखिल भारतीय क्रांति के रूप में प्रख्यात किया।

'भक्ति संवेदना और मानवीय मूल्य' कई मायनों में महत्वपूर्ण पुस्तक कही जा सकती है, पहला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ही यह है कि पुस्तक में भक्तिकाल में पुष्ट मानवीय संवेदना के तन्तुओं का अध्ययन दार्शनिकता के धरातल पर किया गया है। यह पुस्तक मूल रूप से अलग-अलग समय पर लिखे गये लेखों का संग्रह है। पुस्तक के आमुख में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न समय पर लिखे गये लेखों का संकलन इस किताब के रूप में प्रस्तुत है किन्तु इस पुस्तक को जब शीर्षकस्थ बिंदु के आलोक में देखा जाये तब यह स्पष्टतः एक महत्वपूर्ण भक्ति साहित्य केन्द्रित आलोचकीय प्रयास के रूप में प्रकट होती है। पुस्तक में पन्द्रह आलेखों को संकलित किया गया है। प्रत्येक आलेख का अपना प्रकाशन काल भी रहा होगा किन्तु पुस्तक में इन सभी आलेखों में एक समन्वित सूत्र प्रस्तुत होता है। भक्ति काल की दार्शनिकता के आधार को जितनी सरलता और सुगमता से यह पुस्तक प्रस्तुत करती है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। सगुण, निर्गुण भक्ति भावों के मध्य लोक की



डॉ. अरुंधति



लेखक

अनिल राय

प्रकाशक

नई किताब प्रकाशन

मूल्य : 195

उपस्थिति, सौंदर्य का उत्कर्ष और मानवीय मूल्यों की स्थापना इन बिन्दुओं पर विस्तार से लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। तुलसीदास, सूरदास, कबीर सहित कुतुबन, गुरु जम्भेश्वर एवं तुलसी साहब के अवदानों के माध्यम से भारतीय भक्ति संवेदना के अखिल स्वरूप की चर्चा इस पुस्तक में मौजूद है। 168 पृष्ठ में इस विपुल साहित्य को समेटने का प्रयास लेखक ने निपुणता से किया है।

इस पुस्तक में सात लेख तुलसीदास पर स्वतंत्र रूप से संकलित किये गये हैं, जिनमें 'समय की तुला पर तुलसीदास', 'तुलसीदास की काव्य दृष्टि', 'मानस की अवधी', 'भक्त कवि तुलसी और उनकी विनय पत्रिका', 'विनयपत्रिका' में तुलसीदास का दर्शन', 'हिंदी गीतिकाव्य की परम्परा और तुलसीदास' लेख शामिल हैं। पुस्तक के केंद्र में तुलसी साहित्य ही है, भक्ति संवेदन पर लिखते हुए लेखक की दृष्टि में तुलसीदास का साहित्य केन्द्रीय भाव के रूप में स्थापित है। पुस्तक में तुलसीदास के साहित्य के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में तुलसी साहित्य की चर्चा करते हुए केंद्र में केवल मानस ही नहीं बल्कि तुलसी का समग्र साहित्य अवलोकित हुआ है। इस क्रम में एक साहित्यकार, एक द्रष्टा, लोकनायक के रूप में तुलसीदास का उल्लेखनीय अवदान भक्ति साहित्य के मूल भाव के रूप में उपस्थित होता है। तुलसी साहित्य की चर्चा करते हुए लेखक तुलसीदास को भक्ति काल के केंद्र में रखते हैं, मानवीय मूल्यों की स्थापना का जो प्रयास तुलसी-साहित्य में है उसकी विवेचना करते हुए दर्शन की भारतीय परम्परा को भी उद्घाटित करते हैं। तुलसीदास के साहित्य चर्चा को पुस्तक में भक्ति काल की संवेदना के धरातल के रूप में देखा जा सकता है। भक्तिकाल पर लिखने वाले प्रत्येक विद्वान के लिए तुलसीदास का महत्व अनन्य है किन्तु दर्शन और मानवीय मूल्यों के आलोक में भक्तिकालीन साहित्य में तुलसीदास के महत्व को स्थापित करने का श्रेय इस पुस्तक को भी अवश्य जाता है। वर्तमान में तुलसीदास के साहित्य की मीमांसा कई सन्दर्भों में प्रस्तुत हुई है अतः भक्तिकालीन संवेदन निर्माण में तुलसीदास के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है और यह पुस्तक उसकी पुख्ता आधारभूमि रखने में सफल है।

तुलसी-साहित्य के अतिरिक्त इस पुस्तक में सूफी साहित्य का जो विशद अवलोकन है वह भी उल्लेखनीय है। पुस्तक में दो लेख कुतुबन से सम्बन्धित हैं, जिसमें पहला लेख कुतुबन केन्द्रित है तो दूसरा उनकी रचना मृगावती के वैशिष्ट्य को विवेचित करता है। भक्तिकालीन कविता का विशेष पक्ष सूफी साहित्य के रूप में स्थापित है, जिसे प्रायः विदेशी प्रभाव अथवा बाह्य दर्शन एवं सिद्धांत के प्रतिपादन के रूप में देखा जाता है

किन्तु इस पुस्तक में लेखक ने सूफी साहित्य के भारतीय आधार की विवेचना की है तथा वैदिक दर्शन का सूफी साहित्य पर जो सकारात्मक प्रभाव रहा है उसे तार्किक विवेचन के माध्यम से सिद्ध किया है। कुतुबन पर लिखे लेख में भी लेखक की दृष्टि इस बात पर अधिक केन्द्रित रही है कि उन्होंने किस तरह भारतीय दार्शनिक परम्परा को ही अपनी कृति में रूपायित किया है, 'सूफी कवि कुतुबन: दर्शन मीमांसा', और 'प्रेम दर्शन की अनन्यतम कृति 'मृगावती'' दोनों ही लेख इस विचार बिंदु को भक्ति संवेदन की उस विराट चेतना से जोड़ते हैं जिसकी अन्विति

सूरदास, कबीर और तुलसी साहित्य में भी प्रकट है। 'हिंदी सूफी काव्य में मानवतावाद' लेख भी इसी मूल भाव की तात्विक विवेचना है, सूफी साहित्य परम्परा का उल्लेख करते हुए लेखक ने भारतीय सूफी साधना और साहित्य की भारतीयता को ही मुख्य रूप से उद्घाटित किया है, इस तरह

तुलसी साहित्य की चर्चा करते हुए लेखक तुलसीदास को भक्ति काल के केंद्र में रखते हैं, मानवीय मूल्यों की स्थापना का जो प्रयास तुलसी-साहित्य में है उसकी विवेचना करते हुए दर्शन की भारतीय परम्परा को भी उद्घाटित करते हैं। तुलसीदास के साहित्य चर्चा को पुस्तक में भक्ति काल की संवेदना के धरातल के रूप में देखा जा सकता है। भक्तिकाल पर लिखने वाले प्रत्येक विद्वान के लिए तुलसीदास का महत्व अनन्य है किन्तु दर्शन और मानवीय मूल्यों के आलोक में भक्तिकालीन साहित्य में तुलसीदास के महत्व को स्थापित करने का श्रेय इस पुस्तक को भी अवश्य जाता है।

से सूफी साहित्य पर लिखे गये लेखों में मूल रूप से विराट भारतीय भक्ति संवेदन की तलाश इस पुस्तक में की गयी है।

भारतीय भक्ति परम्परा के सूत्र में सगुण साहित्य-निर्गुण साहित्य की चर्चा करते हुए अक्सर संत परम्परा के उस समृद्ध परिपाटी को रेखांकित किया जाता है जिसने लोक को जोड़ने का कार्य किया। इस पुस्तक में 'आज का समय और गुरु जम्भेश्वर वाणी की प्रसंगिकता' और 'तुलसी साहब (हाथरस वाले): सांस्कृतिक चेतना के आयाम' महत्वपूर्ण लेख हैं। तुलसी साहब का उल्लेख करते हुए लेखक ने संत परम्परा की उस धारा का उल्लेख किया है जिसने लोक चेतना को जागृत किया। इन संतों का जीवन त्याग और संयम का उदाहरण है इसलिए जनता के लिए ये संत ईश्वर तुल्य हैं। 'आज का समय और गुरु जम्भेश्वर वाणी की प्रासंगिकता' लेख राजस्थान के प्रसिद्ध संत जम्भेश्वर के उच्च आदर्शों एवं जनता के लिए दूरगामी दृष्टि सम्पूक्त साहित्य एवं दर्शन के महत्व को विस्तार से प्रस्तुत करता है। यह लेख संत के उपदेशों का उल्लेख करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी दूरदर्शी दृष्टि के महत्व को बिन्दुवार विवेचित करता है। भक्ति संवेदना का निर्माण अंततः भारतीय जनमानस के जागरण से संबंधित है, इन संतों के जीवन के माध्यम से भारतीय जनमानस के अवचेतन में विद्यमान उन सूत्रों की तलाश भी इस पुस्तक में है जो आज भी भारतीय समाज की समाजिकता को सुदृढ़ बनाये हुए है।

कबीर और सूरदास के साहित्य की चर्चा किये बिना भारतीय भक्ति संवेदना के निर्माण के तन्तुओं का विश्लेषण अधूरा है। पुस्तक में 'कबीर कल, आज और कल', 'समावेशी समाज की परिकल्पना और कबीर', एवं 'भ्रमरगीत-परम्परा और सूरदास का काव्य' लेख इन दोनों कवियों के साहित्य के माध्यम से विशद् भक्ति भाव के अनन्य प्रभाव का सामाजिक विश्लेषण है। विशेषकर कबीर पर लिखे गये लेखों में कबीर के उसी व्यक्तित्व की तरफ लेखक का ध्यान अधिक रहा है जिसमें समाज के लिए व्यापक दृष्टि है। जन जागरण के संत कबीर का लोक-जुड़ाव निश्चित तौर पर उनके साहित्य के तीक्ष्ण मारक क्षमता का परिचायक है। यह दोनों लेख कबीर की

सीमाओं को भी उल्लेखित करते हैं किन्तु लेखक की दृष्टि कबीर के उस तत्व की तरफ अधिक रही है जिसमें समावेशी समाज का स्वप्न छुपा हुआ है, वहीं सूरदास के साहित्य में मौलिक दार्शनिक संकल्पना के माध्यम से नये भाव का प्रसार किस तरह समाहित हुआ, उसकी तरफ लेखक ने ध्यान केन्द्रित किया है। भ्रमरगीत की परम्परा का उल्लेख करते हुए सूर की मौलिक उद्भावनाएँ कैसे उनकी सामासिक दृष्टि को प्रकट करती हैं, उसे इस लेख द्वारा स्पष्टतः प्रकट किया गया है। भक्ति संवेदन से मानवीय मूल्यों के सूत्रात्मक संबंधों की पड़ताल इन कवियों के साहित्य उद्भूत भावों से ही तय होता है यह दोनों लेख इसी भावभूमि के अंतर्गत सूर-कबीर की चर्चा करते हैं।

पुस्तक का शीर्षक मानवीय मूल्य पर केन्द्रित है। भक्ति काल की चर्चा करते हुए मूल रूप से भक्ति संवेदना में किस प्रकार भारतीय दर्शन में समाहित मानवीय मूल्यों को जन चेतना के रूप में कवियों ने प्रसारित किया उसे यह पुस्तक विशेषतः इंगित करती है। 'भक्ति परम्परा और मानव मूल्य' लेख दर्शन-परम्परा में मौजूद मानवीय भावों के विस्तृत चेतन प्रसार को विश्लेषित करता है। सम्पूर्ण भारत में भक्ति आन्दोलन ने एक अलख जागृत किया। यह अलख मूलगामी परिवर्तनों के रूप में प्रसारित हुआ, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से ही सिद्ध हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर प्रो. अनिल राय की किताब भारतीय भक्ति आन्दोलन के सूत्रों पर विचार करते हुए भारतीय दर्शन की परम्परा और मानवीयता की आधार भूमि की पड़ताल सकारात्मक दृष्टि से करती है। पुस्तक का वैशिष्ट्य उसकी सम्प्रेषण शक्ति और भाषिक सरलता में भी समाहित है। गूढ़ विषयों को जिस सहजता से लेखक ने उठाया है वह साधारण पाठक को भी भक्ति संवेदना के निर्माण को समझाने के लिए प्रभावी प्रयास कहा जा सकता है। भक्ति काल पर लिखी गयी पुस्तकों में यह पुस्तक भी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती है।

संपर्क:

सहायक प्राध्यापक, सत्यवती महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

गतिविधियाँ

गांधी दर्शन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया रेल कोच का अनावरण

गांधी स्मृति एवम् दर्शन समिति द्वारा 11 सितंबर को राजघाट स्थित गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की रेल यात्राओं को समर्पित रेल कोच का अनावरण केंद्रीय संस्कृति एवम् पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया। इस रेल कोच में गांधीजी की रेलयात्राओं को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। समारोह की अध्यक्षता गांधी स्मृति एवम् दर्शन समिति के उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने की। समिति के निदेशक डॉ. ज्वाला प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री और अन्य अतिथियों का अभिनंदन किया।

इस अवसर पर गांधीजी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि गांधीजी के विचार

आज भी प्रासंगिक है। विश्व में आज रुस-यूक्रेन और गाजा-इजरायल में युद्ध छिड़ा है। ऐसे समय में गांधीजी की अहिंसा का दर्शन प्रयोग करके ही विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि गांधीजी सदैव तृतीय श्रेणी में यात्रा करके आम जनता से सीधे कनेक्ट होते थे। उनकी रेलयात्राओं को लेकर गांधी स्मृति एवम् दर्शन समिति ने ये रेलकोच बनाया। उसके लिए समिति बधाई की पात्र है।

श्री शेखावत ने गांधी दर्शन परिसर की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक सुखद आश्चर्य है कि



कुछ समय पहले यह स्थान बाढ़ की चपेट में था,लेकिन इतने कम समय में यहाँ हरियाली से परिपूर्ण सुंदर वातावरण हो गया। इसका श्रेय समिति के अधिकारी व कर्मचारीगण की मेहनत को जाता है।

श्री शेखावत ने कहा कि गांधी ने आजादी के आंदोलन को जनआंदोलन में तब्दील कर दिया। उनकी स्मृतियाँ भावी भारत के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनेंगी।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधीजी से प्रेरणा लेते हुए देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया। हमने रिकॉर्ड 11 करोड़ शौचालय बनाकर देश को खुले में शौच से मुक्त किया। यह गांधीजी का सपना था, जिसे मोदीजी ने साकार किया।



उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विजय गोयल ने कहा कि गांधीजी का रेलयात्राओं से गहरा संबंध है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में उन्हें अश्वेत होने के कारण ट्रेन से धक्के देकर बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वे रंगभेद और अन्य कुप्रथाओं का



विरोध करेंगे। इस तरह से बेरिस्टर मोहनदास से गांधीजी बनने में रेल भी एक माध्यम बनी।

समिति के निदेशक डॉ. ज्वाला प्रसाद ने कहा कि गांधी स्मृति एवम् दर्शन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम गांधीजी के सपने को साकार कर रहे हैं। गांधीजी और मोदीजी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए समिति ने स्वच्छता अभियान में उल्लेखनीय काम किया है। संस्था आगे भी ऐसे ही गांधी विचार को आगे बढ़ाती रहेगी। उन्होंने समिति के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी देते हुए गांधी स्मृति एवम् दर्शन समिति के संग्रहालयों का अवलोकन करने का आह्वान किया।

समारोह में समिति के प्रशासनिक अधिकारी संजीत

कुमार ने आये हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर श्री शेखावत ने पौधारोपण भी किया, जिसमें श्री विजय गोयल और डॉ ज्वाला प्रसाद ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के मार्च पास्ट बैंड, महावीर स्कूल के फैसी ड्रेस और मिस्टिक स्वर्णा म्यूजिकल ग्रुप की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया।

समारोह में पेरू, दक्षिण अफ्रीका, मारीशस, कोलंबिया, सेशेल्स, श्रीलंका, मेडागास्कर सहित अनेक देशों के राजनयिक व प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर समिति की कार्यक्रम समिति के सदस्य राजकुमार शर्मा, धर्मवीर शर्मा, सतपाल भाटिया, ज्योति अरोड़ा, सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा 17 सितंबर को समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ गांधी दर्शन में स्वच्छता अभियान के साथ किया गया। समिति के

उपाध्यक्ष विजय गोयल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया। समिति के निदेशक डॉ ज्वाला प्रसाद भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर विजय गोयल ने कहा कि हम



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व का जश्न मना रहे हैं। स्वच्छता और सफाई गांधीवादी जीवनशैली का अभिन्न अंग हैं और आज मोदी जी ने इसे स्वच्छता अभियान के रूप में पूरे देश के हर घर तक पहुंचा दिया है। गोयल ने कहा कि जिस तरह आज भारत का पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है वह मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है आज का यह नया भारत अंतरिक्ष, कृषि, मशीनरी क्षेत्र और भी अन्य क्षेत्रों में नए-नए आयाम स्थापित कर रहा है।

निदेशक डॉ ज्वाला प्रसाद ने कहा कि गांधीजी का

सपना था कि भारत स्वच्छ बने, यहां की नारी सशक्त हो, आयुर्वेद, योग जैसी पद्धतियों का इस्तेमाल कर लोग स्वस्थ व सुगठित बनें। उनके आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्रीजी भी स्वच्छता, शौचालय, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, योगा, नारी सशक्तिकरण जैसी योजनाओं को अमल में ला रहे हैं।

इस अवसर पर महात्मा गांधी एवं स्वच्छता पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया व साथ ही उपाध्यक्ष ने सभी उपस्थित कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

स्वभाव-स्वच्छता, संस्कार-स्वच्छता विषय पर व्याख्यान

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वभाव-स्वच्छता, संस्कार-स्वच्छता विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। गांधी दर्शन में आयोजित इस व्याख्यान में 'सक्षम' संस्था के दिल्ली राज्य सचिव श्री मामचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री शर्मा ने

आंतरिक स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया। समिति के निदेशक डॉ. ज्वाला प्रसाद ने सभी को स्वभाव में स्वच्छता को ढालने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं अपितु हमारी सभी आदतों और व्यवहारों में स्वच्छता की भावना को आत्मसात करने की आवश्यकता है।



गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
‘अंतिम जन’ मासिक पत्रिका
(सदस्यता प्रपत्र)

मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा प्रकाशित अंतिम जन मासिक पत्रिका, (हिन्दी) का/की ग्राहकवर्ष/वर्षों के लिये बनना चाहता/चाहती हूँ।

वर्ष	रुपये	वर्ष	रुपये
[] एक प्रति शुल्क	20/-	[] दो वर्ष का शुल्क	400/-
[] वार्षिक शुल्क	200/-	[] तीन वर्ष का शुल्क	500/-

..... बैंक चेक संख्या/डिमांड ड्राफ्ट संख्या

दिनांक राशि Director, Gandhi Smriti & Darshan Samiti,
New Delhi में देय, संलग्न है।

ग्राहक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

व्यवसाय :

संस्थान :

पता :

पिन कोड : राज्य :

दूरभाष (कार्यालय) निवास मोबाईल.....

ई मेल :

हस्ताक्षर

कृपया इस प्रोफॉर्मा को भरकर (शुल्क) राशि (चेक/ड्राफ्ट) सहित निम्नलिखित पते पर भेजें :

प्रधान संपादक

‘अंतिम जन’ मासिक पत्रिका

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली - 110002

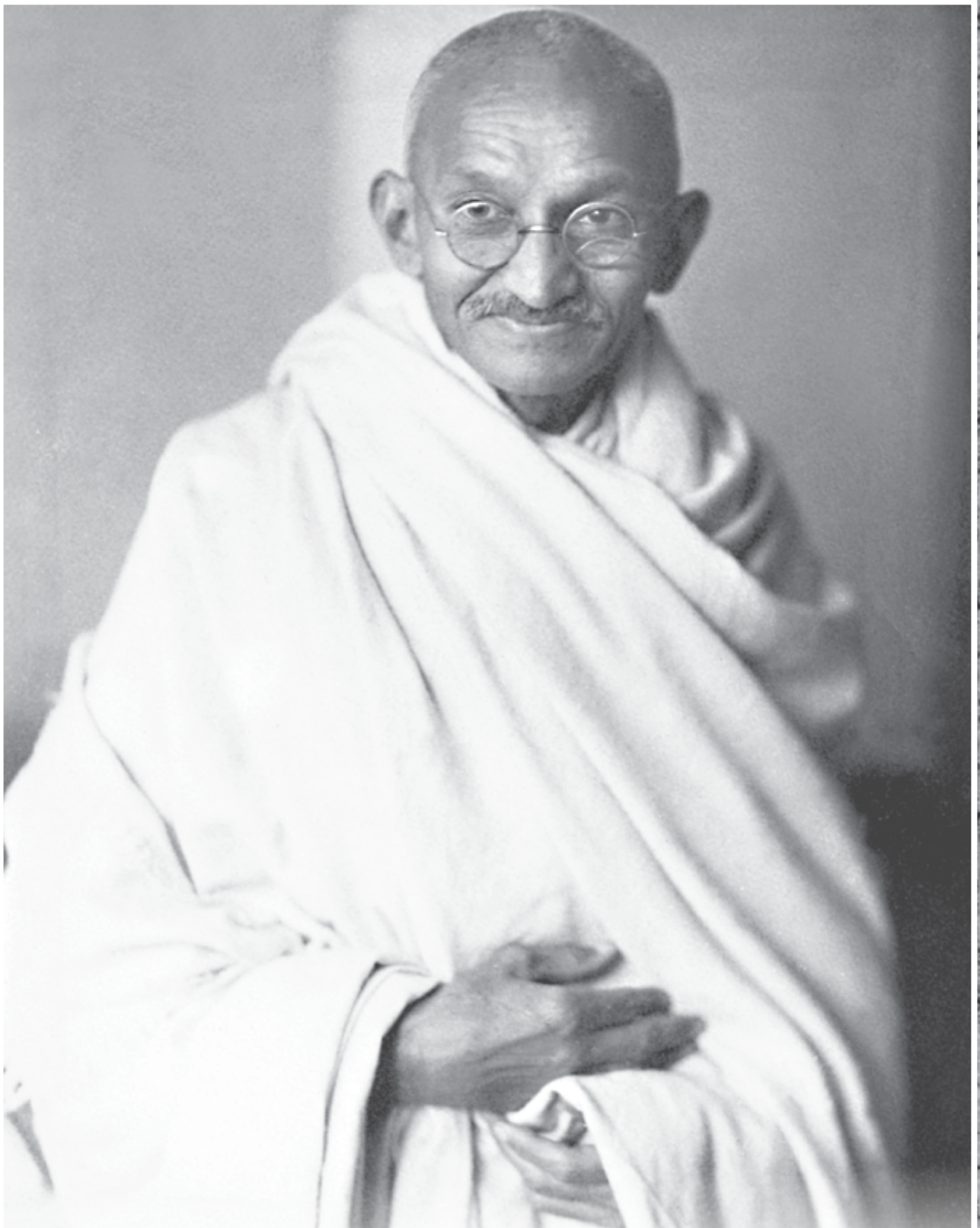
आप हमसे संपर्क कर सकते हैं :- दूरभाष : 011-23392796

ई मेल : antimjangsds@gmail.com, 2010gsds@gmail.com

अगर आप ‘अंतिम जन’ पत्रिका के नियमित पाठक बनना चाहते हैं तो अकाउंट में पेमेंट कर भुगतान की प्रति या स्क्रीनशॉट और अपना पत्राचार का साफ अक्षरों में पता, पिनकोड, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी सहित भेजें।

Name – Gandhi Smriti & Darshan Samiti
A/c No. – 90432010114219
IFSC Code – CNRB0019043
Bank – Canara Bank
Branch – Khan Market, New Delhi-110003





मैं उस रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे चारों ओर व्याप्त अंधकार को मिटा दे।
जिन्हें अहिंसा की जीवन्तता में आस्था है वे आएँ और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो।

म.क.जी.



गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति



हमारे आकर्षण

गांधी स्मृति म्यूजियम (तीस जनवरी मार्ग)

- * गांधी स्मृति म्यूजियम
- * डॉल म्यूजियम
- * शहीद स्तंभ
- * मल्टीमीडिया प्रदर्शनी
- * महात्मा गांधी के पदचिन्ह
- * महात्मा गांधी का कक्ष
- * महात्मा गांधी की प्रतिमा
- * वर्ल्ड पीस गॉग

गांधी दर्शन (राजघाट)

- * गांधी दर्शन म्यूजियम
- * कले मॉडल प्रदर्शनी
- * गांधीजी को समर्पित रेल कोच प्रदर्शनी
- * गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री (200 लोगों के लिये)
- * सेमीनार हॉल (150 लोगों के लिये)
- * कॉन्फ्रेंस हॉल (300 लोगों के लिये)
- * प्रशिक्षण हॉल: (80 लोगों के लिये)
- * ओपन थियेटर
- * राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र
- * गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री



(डॉ. जवाला प्रसाद)
निदेशक

प्रवेश निःशुल्क (प्रातः 10 बजे से सायं: 6.30 बजे तक), सोमवार अवकाश
हॉल व कमरों की बुकिंग के लिये संपर्क करें- ईमेल: 2010gsds@gmail.com, 011-23392796



gsdsnewdelhi



www.gandhismriti.gov.in



“आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं, उसे कम कराने की भावना से मैं यह बयान नहीं दे रहा हूँ। मुझे तो यही जता देना है कि आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून से-अर्थात् अन्तरात्मा की आवाज को स्वीकार करता है, उसका अनुसरण करना ही मेरा उद्देश्य है।”

M.T. Kar. 1/1/19

(मोहनदास करमचंद गांधी)



गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
(एक स्वायत्त निकाय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

प्रकाशक - मुद्रक : स्वामी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के लिए पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092
से मुद्रित तथा गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110092 से प्रकाशित।